GurusNotes.com

IAS

सामान्य अध्ययन – II

भाग – III

GurusNotes.com

GurusNotes.com

CONTENTS

भारतीय राजनीति और संविधान

संविधान और मौलिक अधिकार	01 – 19
वंजित वर्गों का संरक्षण	20 – 44
अनुच्छेद 15 – 35	45 – 83
राज्य के नीति निदेशक तत्त्व – अनुच्छेद 36 -51	084 – 111
संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन	112 – 124
अंतर्राजीय परिषद्	125 – 131
नीति आयोग	132 – 140
विषम संघीय शासन	141 – 148
राज्यपाल का पद	149 – 154
अनुच्छेद 370 - जम्मू - कश्मीर	155 – 161
दिल्ली का विवाद	162 – 168
शक्ति और वित्त का विकेन्द्रीकरण - पंचायती राज	170 – 187
74 वां संविधान संशोधिकरण	188 – 195
संसद की संरचना	196 – 197
लोकसभा	197 – 201

GurusNotes.com

राज्यसभा	202 – 221
संसद के कार्य	222 – 252
संसदीय शासन	253 – 261
राष्ट्रपति	262 – 294
लोकसभा राज्यसभा के साथ चुनाव	295 – 302
सविंधान संशोधन और आधारभूत ढांचा	303 – 316
न्यायपालिका	317 – 340
उच्चतम न्यायलय और अनुच्छेद 142	341 – 342
न्यायिक पुनरावलोकन	343 – 374

GurusNotes.com

भारतीय राजनीति और संविधान

Gurus Notes

सरकार

सरकार क्या है

→ राज्य का मूर्त रूप सरकार है।

सरकार

1. विधायिका
   - (i) लोकसभा
   - (ii) राज्यसभा
   - ⇓ राज्यों में
     - 1. विधान सभा
     - 2. विधानपरिषद

2. कार्यपालिका
   - अस्थायी
     - (A) राष्ट्रपति
     - (B) प्रधानमंत्री → मंत्रीपरिषद
     - – राज्यपाल
     - – मुख्यमंत्री → मंत्रीपरिषद
   - स्थायी → सिविल सेवक

3. न्यायपालिका
   - विवाद के समाधान का कार्य
   - मूल अधिकारों की रक्षा
   - न्याय पालिका द्वारा ~~विधिक~~ विधायिका एवं कार्यपालिक के कार्यों का पुनर्लोकन भी किया जाता है।
   - उच्चतम न्यायलय ↓ उच्च न्यायलय ⇓ जनपद न्यायलय

विधायिका का कार्य :-

1. विधि का निर्माण करना
2. संविधान का संशोधन

कार्य :-

1. विधायिका द्वारा निर्मित विधि का क्रियान्वयन
2. कार्यपलिका के द्वारा नीतियों का निर्माण होता है। (Policy Making)

संविधान (Constitution)

(i) सर्वोच्च विधि ही संविधान है।

→ Article 32 (संविधान)
→ दण्ड संहिता (IPC)

(ii) सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

(iii) सरकार की इन अंगों पर प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है।

(iv) संविधान में नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों का भी निर्धारण किया जाता है इसलिए संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं।

* **संविधान वाद** (Constitutionalism)

1. सरकार की शक्तियों का संविधान के द्वारा सीमित किया जाता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का ~~संरक्षण हो सके।~~

2. संविधान वाद के द्वारा विधि के शासन की

स्थापना की जाती है क्योंकि व्यक्ति का शासन से शक्ति का दुरुपयोग संभव है

3. संविधानवाद एक लोकतांत्रिक सरकार का प्रावधान करता है।

इसलिए संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता होती है।

संविधान

भारत	UAE
(1) लोकतांत्रिक	– राजा / गैर लोकतांत्रिक
(2) विधि का शासन	– व्यक्ति का शासन
(3) संविधान की सर्वोच्चता	– शासक की सर्वोच्चता
(4) सीमित शासन	

↓

संविधानवाद

लोकतंत्र :- - जनता के द्वारा निर्वाचित शासक।

~~- जनता के प्रति उत्तरदायी शासन।~~

- विधि एवं संविधान पर आधारित शासन।
- ऐसा शासन जहाँ जनता को शक्ति का सर्वोच्च केन्द्र माना जाता है।

- जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त हों तथा समाज में समानता विद्यमान हो।

संविधान और राजव्यवस्था

संविधान (Constitution)	राजव्यवस्था (Polity) Indian political system (भारतीय लोकतंत्र)
1. सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का उल्लेख होता है।	1. सरकार की कार्यप्रणाली का राजनीतिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन ही राजव्यवस्था है।
2. न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा होगी।	2. जबकि व्यवहारिक रूप में न्यायधीशों की नियुक्ति, न्यायधीशों के समूह (Collegeum) के द्वारा हो रही है।
3. संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है	3. राजव्यवस्था के अन्तर्गत संविधान को सामाजिक ढाँचे के अन्तर्गत समझने का प्रयास किया जाता है।
4. संविधान में विधि का उल्लेख होता है आर्थिक प्रणाली का विवरण नहीं उल्लेखित नहीं है।	4. 1991 में उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति अपनायी गई परिणाम स्वरूप संघ राज्य संबंधों में परिवर्तन हुए और GST का प्रावधान

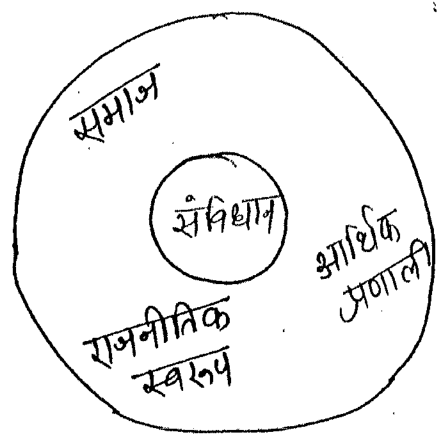

उदारवाद (Liberalism)

* उदारवादी व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं।

* उदारवादी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लैंगिक विभाजन को अस्वीकार करते हैं।

* उदारवादी विधि और संविधान के शासन को मानते हैं।

* ये लोकतांत्रिक शासन के समर्थक हैं।

* उदारवादी यह मानते है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

समाजवाद (Socialism)

1. समाजवादी आर्थिक समानता पर बल प्रदान करते हैं।
2. आर्थिक समानता के लिए राज्य का भूमि, भवन और उद्योगों पर भी नियंत्रण होना चाहिए।
3. समाजवादी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विरोधी होते हैं। और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय है जहाँ कल कारखानों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण हो और उत्पादन लाभ के लिए किया जाय।

साम्यवाद (Communism) :-

1. समाजवादी आदर्शों को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने वालों को साम्यवादी कहा जाता है।
2. साम्यवादी विचारधारा एक आदर्शवादी विचारधारा है जो कहीं लागू नहीं हो सका क्योंकि यह समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए राज्य, धर्म, सरकार, को भी समाप्त करने के समर्थक हैं।

Fundamental Rights

मौलिक अधिकार मौलिक क्यों :-

1. यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है

A) संघ सरकार

B) संसद

C) राज्य सरकार

D) राज्य विधानसभा

E) नगर पालिका / पंचायतें

F) अन्य प्राधिकारी
- दिल्ली विश्वविद्यालय → प्रशासन, वेतन, शिक्षा
- AIIMS

व्यवहारिक समस्याएँ :-

- मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं व्यक्ति के विरुद्ध नहीं परन्तु 1991 के उदारीकरण के बाद राज्य के द्वारा ज्यादातर कार्य निजी कम्पनियों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं और इन निजी कम्पनियों के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता जिससे यह प्रतीत होता है कि मूल अधिकारों का दायरा सीमित होता जा रहा है इसलिए वर्तमान में यह मांगा की जा रही है कि वे

निजी कम्पनियाँ जो सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं उन्हें भी राज्य के दायरें में शामिल करना चाहिए।

2. मूल अधिकार का अतिक्रमण यदि राज्य के द्वारा किया जाय तो न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। जिसका प्रावधान मूल अधिकारों के अध्याय अनुच्छेद 13(2) में किया गया है।

3. मूल अधिकारों के उलंघन के बाद व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय में पहुँचकर अपने अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। (अनुच्छेद 32) जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। (Right of Constitutional Remedies)

Right of Constitutional Remedies

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Heabus Corpus) :-

- इसका शाब्दिक अभिप्राय है अपना शरीर प्राप्त करना।
- इसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय अवैधानिक रूप में बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति

को रिहा करने का आदेश देता है।

- बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है।

- न्यायालय के द्वारा दण्डित व्यक्तियों के लिए तथा निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों के लिए यह उपचार उपलब्ध नहीं होगा।

iii) <u>परमादेश (Mandamus)</u> :-

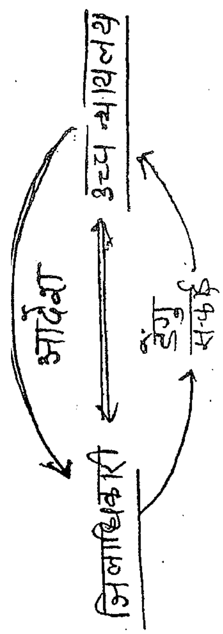

- उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों (राज्य में कार्य करने वाले अधिकारियों) के विरुद्ध आदेश दिया जाता है।

- यह आदेश केवल सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को दिया जायेगा किसी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा क्योंकि सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति से किसी <u>सार्वजनिक कार्य</u> के करने की अपेक्षा है।

- निजी व्यक्तियों के अलावा दो संवैधानिक पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता - i) राष्ट्रपति और ii) राज्यपाल

iii) अधिकार पृच्छा (Quo warranto):-

- यदि राज्य के किसी भी पद पर व्यक्ति के द्वारा अवैधानिक रूप में नियंत्रण किया गया है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उससे पूछा जा सकता है कि वह किस हैसीयत से इस पद पर कायम है।

- उच्चतम न्यायालय किसी निजी पद पर बैठे व्यक्ति से यह नहीं पूछ सकता कि उसने यह पद क्यों धारण किया है

(iv) प्रतिषेध (Prohibition):-

- इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय जनपद न्यायालयों के कार्यों पर निगरानी बनाए रखता है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो।

- यदि जनपद न्यायालय किसी ऐसे मामले पर विचार कर रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है तो जनपद

न्यायालय को उस मामले के सुनवाई से रोका जा सकता है।

- इसलिए प्रतिषेध का प्रयोग उस समय किया जाता है जब जनपद न्यायालय में कोई मामला लंबित हो।

(V) उत्प्रेषण (Certiorari)

- शाब्दिक अर्थ है मंगा लेना जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय जनपद न्यायालय द्वारा दिये गए किसी निर्णय को अपने पास मंगा सकता है।

- उत्प्रेषण का प्रयोग जनपद न्यायालय के निर्णय आने के बाद होता है।

- उच्चतम न्यायालय जनपद न्यायालय से मामला इसलिए मंगाता है क्योंकि न्यायालय के द्वारा ठीक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

GurusNotes.com

मूल अधिकारों की रक्षा की प्रक्रिया :-
(Locus Standi)

1* परम्परागत प्रक्रिया

- वादी
  ⇓
  अधिकारों का हनन
- न्यायाधीश
- प्रतिवादी
  ⇓
  जिसने अधिकारों का हनन किया

* मूल अधिकारों के रक्षा के लिए परम्परागत प्रक्रिया के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा केवल वही उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ सकता है। कोई अन्य तीसरा व्यक्ति इसके अधिकारों की रक्षा के न्यायपालिका में नहीं आ सकता।

* न्यायपालिका की इस परम्परागत वादी-प्रतिवादी प्रक्रिया (Adversarial System) के कारण न्याय अत्यधिक महंगा हो गया।

* अधिकारों की रक्षा के बजाय प्रक्रिया का महत्व ही प्राथमिक हो गया जिससे आम व्यक्तियों के लिए उच्चतम न्यायालय में प्रवेश कठिन हो गया।
* भारत जैसे समाज में जहाँ लोग गरीब है, निरक्षर है और वंचित स्थिति में है जिनके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपलब्ध नहीं हो सका।

2. परिवर्तित प्रक्रिया :-

* 1980 के दशक उच्चतम न्यायालय के द्वारा वादी- प्रतिवादी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए यह कहा गया- कि- कोई तीसरा व्यक्ति भी वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय आ सकता है।
* उच्चतम न्यायलय ने प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति पोस्टकार्ड लिख कर भी अधिकारों का रक्षा कर ~~सकता है~~

* इससे भी बढ़कर उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान (Suo Muto) कर सकता है। इस परिवर्तित प्रक्रिया को ही लोकप्रिय रूप में 'जनहित याचिका' (Public Interest Litegation)

* 'सामाजिक हित याचिका' का नाम दिया गया क्योंकि इस याचिका के द्वारा दो पक्षों के बीच विवाद हल करने का प्रयास नहीं किया गया अपितु वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की गई।

ATUL PHOTOSTAT

मूल अधिकार के प्रकार

1. समानता का अधिकार :-

(i) क) विधि के समक्ष समानता :-

- सभी के लिए एक समान विधि लागू होगी।
- विधि सर्वोच्च होगी।
- कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, प्रतिष्ठा हैसियत का हो उसके लिए समान विधि लागू होगी।

GurusNotes.com

- विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटेन के विधि के शासन के विचार से लिया गया है जो मूलतः नकारात्मक विचार है क्योंकि इसके द्वारा समाज में भेदभाव की उपेक्षा की जाती है।

ख) <u>विधि का समान संरक्षण (Equal protection of Law)</u>

- यह अमेरिकी विधि से लिया गया विचार है जहाँ समाज के वंचित वर्गों को <u>संरक्षित</u> किया जाता है।

ATUL PHOTO STAT

- इसलिए वंचित वर्गों के लिए अलग विधि का निर्माण भी किया जाता है।
- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान तथा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए विशेष प्रावधान समान संरक्षण का उदाहरण है।
- विधि के समान संरक्षण के अन्तर्गत समाज ~~में विद्यमान सा परिस्थितियों में विषमता को~~ निम्नतम करने का प्रयास किया जाता है।

विधि के समान संरक्षण के अन्तर्गत भेदभाव का आधार :-

* संविधान में समानता बनाए रखने के लिए भेदभाव करने की अनुमति दी गई है। जो संसद और कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है परन्तु न्यायालय यह निगरानी बनाए रखता है कि भेदभाव अतार्किक एवं मनमानी नहीं हो सकता है।

ATUL PHOTOSTAT

- भौगोलिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है इसलिए पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाले निवासियों को राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में भर्ती के लिए छूट दी जा सकती है।

- सामाजिक आधारों पर भी भेदभाव हो सकता है जैसे अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए संसद में किया गया आरक्षण।

- व्यवसाय के आधार पर भी भेद भाव सम्भव है उदाहरण के लिए कुछ सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष प्रकार की माप दण्ड की आवश्यकता होती है।

विधि के समक्ष समानता के अपवाद :- (अनुच्छेद 361)

(i) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को ।

किन विषयों में दिया गया :-

- इनके द्वारा किए गए आधिकारिक कार्य के लिए वे न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे ।

क्यों नहीं

- भारत में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है औ मंत्रीपरिषद के सलाह और सहायता के आधार पर कार्य करते हैं ।

निजी कार्य :-

- राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपने पद में रहने के दौरान न तो कोई मुकदमा आरंभ किया जा सकता है और न ही उसे हिरासत में लिया जा सकता ।

- सिविल मामले में

किसी सम्पत्ति अथवा पारिवारिक विवाद के मुद्दे पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पद में रहने के दौरान मुकदमा चलाया जा सकता है बशर्ते

इस संबंध में वाद लाने वाले व्यक्ति को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।

(ii) सामाजिक समानता :— (Art 15)

* राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता (Art 15(1))

* राज्य के द्वारा नागरिकों के पर केवल जाति, धर्म मूलवंश, (Race) जन्म स्थान लिंग के आधार पर निम्न लिखित स्थानों पर
— (i) दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश

(ii) कुएँ, तालाब, स्नान घाट, सार्वजनिक रिसार्ट सड़क जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हों अथवा आंशिक एवं पूर्ण रूप से सरकारी वित्त से संचालित हों। इनमें किसी प्रकार के प्रतिबंध देयता या अयोग्यता नहीं आरोपित किए जायेंगे।

वंचित वर्गों का संरक्षण

* राज्य के अनुसार सभी नागरिकों का महत्व समान है। परन्तु समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे। [अनु० 15(3)]

* सामाजिक एवं शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास राज्य करेगा। [Art 15(4)]

सामाजिक पिछड़े → जाति व्यवस्था

शैक्षिक पिछड़ा → अनपढ़

→ संविधान में वर्णन

आर्थिक पिछड़ा → बेरोजगार, आय विहिन

Ex:- (पंडित जी)

* भारतीय संविधान में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग का उल्लेख है जिनको

परिभाषित करते हुए 1979 में स्थापित 'मंडल आयोग' ने कहा कि –
(विन्देश्वरी प्रसाद मंडल)
भारत में पिछड़ी जातियाँ ही पिछड़े वर्ग में शामिल हैं। इसलिए भारत में जाति एवं वर्ग एक दूसरे के पर्याय हैं।

* 1991 के उदारीकरण के बाद यह माँग की जा रही है कि आर्थिक पिछड़ेपन को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता है।

(iii) सरकारी सेवाओं में समानता [अनुच्छेद 16]

1. राज्य के द्वारा राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता प्रदान की जायेगी। [Art 16(1)]

2. राज्य के द्वारा राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग जन्म स्थान उद्भव या निवास के आधार पर भेद भाव नहीं होगा।

(iii) सरकारी सेवाओं में वंचित वर्गों का संरक्षण :-

* भारतीय संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के अधिकार के साथ वंचित वर्गों के हितों को संरक्षित करने का प्रत्येक उपाय किया है इसलिए भारतीय संविधान को विधि का दस्तावेज नहीं अपितु सामाजिक न्याय का उपकरण कहा गया है इसलिए Art 16-(3) में यह उल्लेखित है कि राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसके लिए विधि का निर्माण संसद के द्वारा होगा।

(iv) सरकारी सेवाओं में समानुपात बनाए रखने के लिए Art 16(4) में यह उल्लेखित किया गया कि - राज्य के अन्तर्गत नियुक्ति एवं सेवाओं में नागरिकों के पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यदि राज्य के अनुसार नागरिकों के पिछड़े वर्गों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त (inadequated) है।

पिछड़ा वर्ग :-

(i) नागरिकों के पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को भी शामिल किया जाता है।

(ii) यह उल्लेखनीय है कि पिछड़ी जातियों को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है परन्तु अनुसूचित जातियों/जनजातियों से अलग होने के कारण उन्हें OBC का नाम दिया गया।

ATUL PHOTOSTAT
98406 ... 9540...

* आरक्षण का अभिप्राय :-

(i) संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए लोकसभा में (अनु॰ 330), विधानसभा में (अनु॰ 332) के अन्तर्गत आरक्षण प्रदान कर दिया गया।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदाय के लिए सरकारी सेवाओं में भी 22.5% आरक्षण प्रदान कर दिया गया।

* पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

* मण्डल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर BP Singh सरकार द्वारा 1990 में ~~संघीयसरकार~~ सेवाओं एवं अखिल भारतीय सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान की गई। जिससे आरक्षण की कुल मात्रा 49.5% हो गया और यहीं से आरक्षण पर गहरे विवाद शुरू हो गए।

* 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ऊँची जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% अतिरिक्त आरक्षण दे दी जिससे आरक्षण की मात्रा बढ़कर 59.5% हो गई।

ATUL PHOTOSTAT

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व :-

(i) 1994 में उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद (मंडलवाद) में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद 335 में उल्लेखित है कि आरक्षण प्रदान करते समय सेवाओं की कुशलता पर भी ध्यान देना चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक रूप में TN में 69% आरक्षण दिया गया है तथा हाल में ही तेलंगाना राज्य द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 62% कर दिया है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग

i) मंडलवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया कि पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग में शामिल है और यह भी कहा कि भारत में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक है इसलिए वी पी सिंह सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को संवैधानिक माना परन्तु आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को अवैध कहा।

(ii) उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि पिछड़ी जाति के सभी लोग पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है।

(iii) अत: न्यायालय ने 'क्रिमी लेयर' का विचार प्रतिपादित किया जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) क्रिमी लेयर की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायालय ने सरकार को राष्ट्रीय पिछड़े आयोग के गठन का निर्देश भी दिया

---

25 April

प्रोन्नति में आरक्षण

ATUL PHOTOSTAT

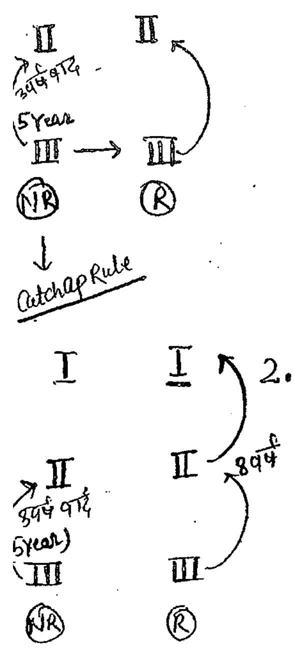

1. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था परन्तु इंद्रा साहनीवाद ने उच्चतम न्यायालय में यह कहा कि आरक्षण का लाभ केवल नियुक्ति के लिए होगा न कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

2. उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण बनाए रखने के लिए 77वाँ संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया। और इसी अनुच्छेद में संविधान में 85वें संशोधन से यह भी प्रावधान कर दिया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को प्रोन्नति में

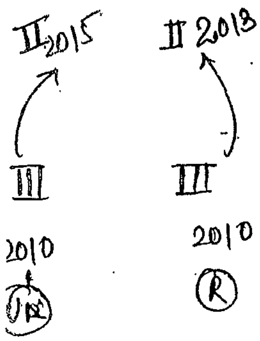

आरक्षण के साथ पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। परन्तु उच्चतम न्यायालय के हाल में ही दिए गए निर्णय में यह कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है परन्तु उन्हें वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

बैकलॉक रिक्तियाँ (Back log Vacancies):-

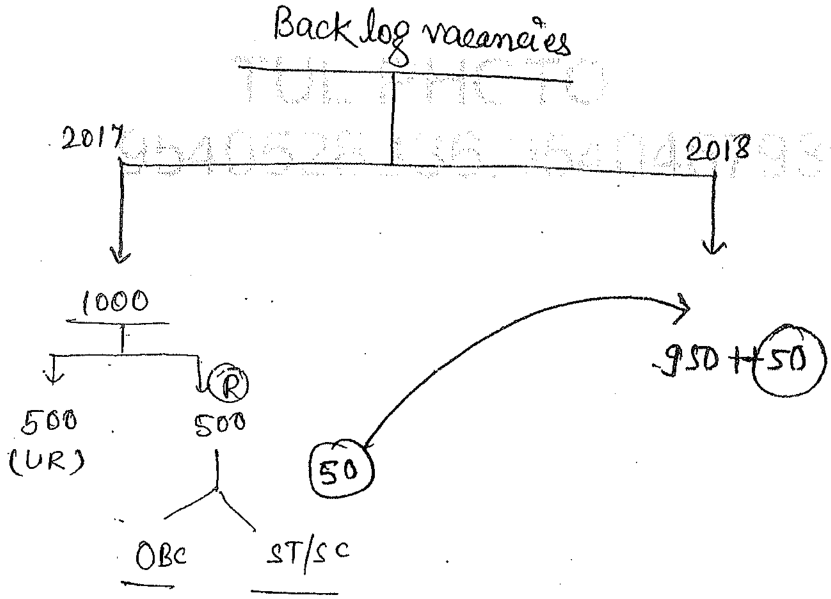

- उच्चतम न्यायालय ने मंडलवाद में यह स्वीकार किया कि आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को अगले वर्ष की रिक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है ~~जिसे लोकप्रिय रूप में Carry forward का~~ नियम कहा जाता है परन्तु उच्चतम न्यायालय

ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए 81वाँ संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4)(b) जोड़ दिया गया जिसके अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों पर 50% की सीमा लागू नहीं होगा।

शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण

* सेवाओं में आरक्षण के बाद वर्ष 2008 में 93वाँ संविधान संशोधन किया गया जिसके अनुसार अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया जिसमें यह उल्लेखित है सभी केन्द्रिय संस्थाओं जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थाएँ भी शामिल होंगी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जायेगा लेकिन यह आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थान के लिए लागू नहीं होगा।

आरक्षण में विद्यमान समस्याएँ :-

संस्थाएँ
संविधिक — संवैधानिक
Statuary — 1-395
↓
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग

1. पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण के लिए संघ सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग सूचियों का निर्माण किया गया जिससे लगातार समस्या उत्पन्न हुई। जिसे हल करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि अब पिछड़े वर्गों के सूचि के निर्माण का अधिकार संसद को दिया जायेगा। अतः राज्य अलग से मनमानी रूप में किसी भी जाति को पिछड़ी जाति के श्रेणि में शामिल नहीं कर सकेंगे।

2. आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं है। यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि निजीकरण उदारीकरण के दौर में सरकारी सेवाओं में रिक्तियां घटती जा रही है और आरक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

3. संविधान में आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए किया गया है परन्तु व्यवहारिक रूप में जो भी शक्तिशाली हो रहा है वही आरक्षण का लाभ लेना चाहता है।

4. आरक्षण के साथ साथ अनारक्षण का विचार भी लागू होना चाहिए और जो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके है उन्हे इस सूची से बाहर करने की आवश्यकता है।

समाधान

1. वर्तमान में आरक्षण के आधार को ज्यादा तार्किक बनाने की आवश्यकता है इसलिए जाति के अलावा शहरी, ग्रामीण, लैंगिक भौगोलिक स्थिति और आर्थिक आधारों को भी शामिल किया जाना चाहिए

2. निजी क्षेत्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों विशेष प्रशिक्षण ~~योजना के द्वारा निजी क्षेत्रों में कार्य~~ के लिए समायोजित करना चाहिए।

3. वर्तमान आरक्षण प्रणाली के साथ साथ पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति / जनजातियों के शैक्षिक उत्थान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तभी ये आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

विषमताओं और विशेषाधिकारों की समाप्ति :-

1. विषमताओं का अभाव :- Art 17 में छुआछूत प्रतिबंधित है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग दण्डनीय है।

छुआछूत :- संविधान में छुआछूत परिभाषित नहीं है लेकिन 1955 में संसदीय अधिनियम बना जो 1976 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

1976 के अधिनियम के अनुसार छुआछूत :-

- किसी को जाति के आधार पर अपमानित करना
- छुआछूत का दार्शनिक या धार्मिक रूप में औचित्य सिद्ध करना।
- सार्वजनिक स्थान पर किसी को प्रवेश से प्रतिबंध करना।

- जाति के आधार पर किसी सार्वजनिक सेवा से वंचित करना।

दण्डनीय अपराध

— 1976 के अधिनियम के अनुसार छुआछूत का व्यवहार करने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा दी सकती है। लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रकृति

- छुआछूत के विरुद्ध अधिकार की प्रकृति निरपेक्ष है।
— यह राज्य के अलावा व्यक्तियों के विरुद्ध भी है।

मूल अधिकार :-

(i) संविधान लागू होने के बाद ही उपलब्ध

(ii) संसदीय विधि द्वारा लागू किया जायेगा (1955) (Art 17)

विशेषाधिकारों का अन्त : — Art 18

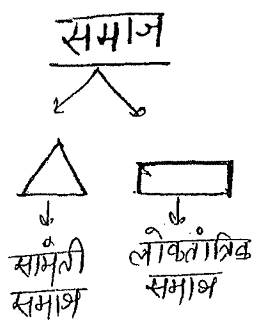

Art 18 :-

1) राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि (title) प्रदान नहीं की जायेगी। लेकिन शैक्षिक एवं सैनिक उपाधियाँ दी जा सकती हैं।

ii) भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं लेगा।

सशर्त :- Art 18 (3)

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अन्तर्गत किसी पद या Trust पर नियुक्त है वह राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकता है।

पद, उपलब्धि

(#) कोई व्यक्ति जो राज्य के अन्तर्गत किसी पद या ट्रस्ट पर नियुक्त है किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई उपलब्धि पद या उपहार नहीं लेगा।

- उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत रत्न, पदम् विभूषण उपाधि नहीं पुरस्कार है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि मूल कर्तव्य के अध्याय में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता का विकास करेगा इसलिए विशिष्ट लोगों को सम्मानित करना समानता के विचार का उल्लंघन नहीं है।
- वर्तमान में यह विवाद नहीं है कि किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए जाय अथवा नहीं बल्कि इन पुरस्कारों के वितरण में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता की मांग की जा रही है जिससे इनका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं कर सके।

विशिष्ट स्वतंत्रताओं के अधिकार (Art 19, 20, 21, 22)

Art 19 :-

* प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति (Art 19(1) A)

* शाँति पूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन [Art 19(1) B]

* समूह एवं संगठन का निर्माण, सहकारी संस्थाओं [Art 19(1) C] (97वाँ संशोधन)

* समूचे भारतीय भू-भाग में आवागमन की स्वतंत्रता [Art 19(1)D]

* देश के किसी भू-भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता Art 19(1) E

* Art 19(1) F - निरसित

* Art 19(1) G :- व्यापार, व्यवसाय, आजीविका वृत्ति की स्वतंत्रता

Art 19(1) A :- वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- वाक् स्वतंत्रता का अभिप्राय बोलने की स्वतंत्रता है जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न-लिखित विषय शामिल हो जाते हैं—

A) अपने विचार के अलावा दूसरे के विचार को भी अभिव्यक्त करना।

B) प्रेस की स्वतंत्रता।

C) किताब लिखने की स्वतंत्रता।

D) फिल्म बनाने की स्वतंत्रता।

E) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तार्किक परिणाम है कि हमारे विचार दूसरों से पृथ्थक हो सकते हैं और हम दूसरों के विचारों की आलोचना भी कर सकते हैं।

F) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संवाद, एवं अपनी बात को रखना का अधिकार है।

महत्व :-

1. व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है

2. लोकतांत्रिक शासन के प्रभावी कार्यकरण की आधारभूत शर्त है।

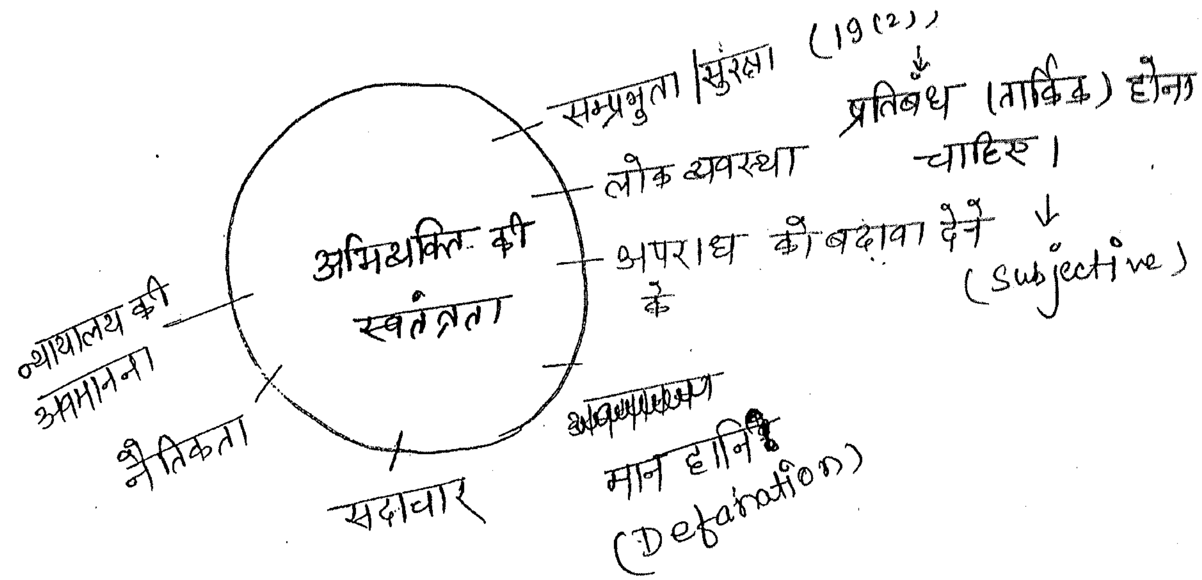

अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के विभिन्न माध्यम :-

1. उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनेक माध्यम है परन्तु फिल्में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के विशिष्ट रूप है क्योंकि फिल्मों का प्रदर्शन एक अँधेरे और बंद कमरे में किया जाता है जिसका व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

2. फिल्म का निर्माण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध का भी प्रावधान है। इसलिए यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। न्यायालय के अनुसार फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशिष्ट माध्यम

है इसलिए फिल्मों पर लगने वाला तार्किक प्रतिबंध की तुलना अन्य माध्यमों से नहीं की जा सकती है।

प्रेस की स्वतंत्रता

1. संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित होने वाले सभी प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी लागू होते हैं।

2. लोकतांत्रिक शासन में प्रेस को चौथे खम्भे के रूप में जाना जाता है और स्वतंत्र प्रेस के द्वारा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण बनाया जाता है जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं को सरकार तक संप्रेषित किया जाता है परन्तु वर्तमान समय में कार्य करने वाले मीडिया घरानों का व्यापारिक हित अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है इसलिए मीडिया जनमत को आगे बढ़ाती है अथवा अपने व्यापारिक हित को पूरा कर रही है यह विवाद का विषय बन जाता है।

3. वर्तमान में मीडिया के द्वारा समाचारों को अत्यधिक सनसनी खेज रूप में प्रस्तुत करना भी तार्किक और उचित प्रतीत नही होता इसके बावजूद मीडियापर प्रतिबंध सरकार के द्वारा मनमानी और अनुचित रूप से नही लगा सकता है बल्कि इसके लिए प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया और मीडिया घरानों को एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए।

* <u>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह का मामला :-</u>

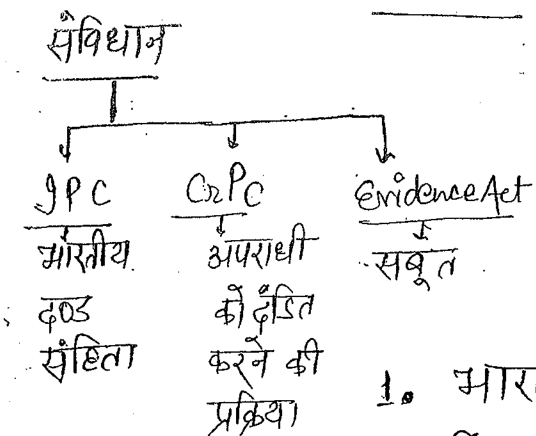

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124(a) में देशद्रोह को दण्डनीय अपराध कहा गया है। और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अभाव राष्ट्र के विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधियों में भागीदारी देशद्रोह है।

2. यह उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का सर्वाधिक मार्मिक (core) भाग है और देश द्रोह के नाम पर सरकार के द्वारा सरकार विरोधी विचारों का दमन किया जायेगा।

3. भारत में नारे लगाने के विरुद्ध, योग गुरु को धोखेबाज कहने के कारण अथवा राष्ट्रगान न मानने के आधार पर व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज किए गए जबकि न्यायालय का कहना है कि महज नारा लगाना राष्ट्रद्रोह का उदाहरण नहीं है बल्कि जिस नारे से व्यापक हिंसा उत्पन्न हो जाये उसे राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है।

ATUL PHOTOSTAT

4. आलोचक यह मानते है कि देशद्रोह का कानून औपनिवेशिक है लोकतांत्रिक राज्य में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु भारत में जम्मू काश्मीर, उत्तरी पूर्वी राज्यों में उग्रवाद और माओवादी हिंसा को देखते हुए असीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माँग न तो तार्किक है न संवैधानिक। परन्तु देशद्रोह के नाम पर

GurusNotes.com

सरकार विरोधी विचारों को दमन की छूट नहीं दी जा सकती।

मानहानि :-

1. मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंध है और मानहानि को भारतीय दण्ड संहिता में भी दण्डनीय अपराध कहा गया है। स्वतंत्रता समर्थकों का तर्क है कि मान हानि के नाम पर प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और किसी पत्रकार के विरुद्ध मानहानि के मुकदमें का भय लगा रहता है क्योंकि वह संभावनों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

2. उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी की मानहानि शामिल नहीं क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जीवन ~~के अधिकार का अंग है। वह व्यक्ति~~ Whatsup, twitter के युग में किसी व्यक्ति

की प्रतिष्ठा को कुछ क्षण में समाप्त किया जा सकता इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह ~~अ~~ दण्डनीय अपराध है और वैधानिक है।

व्यापार की स्वतंत्रता

1. अनुच्छेद 19 में नागरिकों को वाणिज्य व्यापार व्यवसाय और आजीविका का अधिकार दिया गया है। परन्तु इस अधिकार पर भी संविधान में तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।

जिसके अनुसार

a) किसी भी व्यवसाय के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण।

b) किसी भी व्यवसाय को निजी क्षेत्रों के कार्य करण (क्षेत्राधिकार) से बाहर रखना।

2. न्यायालय के द्वारा व्यवसायकीअधिकार की समय समय पर व्याख्या की गई है जिसके अनुसार शराब बेचना व्यवसाय के अधिकार का भाग नहीं है।

- शैक्षणिक संस्थाओं का व्यापारिक उद्देश्यों के साथ संचालन व्यवसाय के अधिकार में शामिल नहीं है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 4 के निर्देशक तत्वों के अध्याय में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को प्रतिबंधित किया जा सकता है इसलिए कई राज्यों ने गोहत्या को प्रतिबंधित कर दिया है और इसे दण्डनीय अपराध माना है।

- निर्देशक तत्वों में यह भी उल्लेख है कि राज्य द्वारा दवाइयों के अलावा शराब के विक्रय और व्यापार को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- स्वतंत्रता पर आरोपित तार्किक प्रतिबंध का अभिप्राय ~~है कि व्यक्ति के हितों और सामुदायिक~~ हितों के बीच

संघर्ष में सामुदायिक हितों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

अनुच्छेद 20

i) किसी व्यक्ति को उतना ही दण्ड दिया जायेगा जितना अपराध के दौरान विद्यमान था और किसी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जायेगा यदि उस कार्य को तत्कालीन विधि में अपराध के रूप में वर्णित किया गया हो।

1. दण्डित ⇒ विधि
(X) = पीटा ⇒ 2 वर्ष ⇒ 10 वर्ष
2017 - 2018
2. प्रक्रिया

भूतलक्षी विधि (Ex post facto Law) :-

- अनुच्छेद 20 के पहले भाग में अन्तर्निहित है कि किसी भी अपराधी को अपराध करने के बाद विधि बनाकर दण्डित नहीं किया जायेगा।

- केवल आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का प्रयोग नहीं हो सकता लेकिन दीवानी मामलों में भूतलक्षी विधि का प्रयोग संभव है।

* अनुच्छेद 20 (2)

* एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को दो बार अभियोजित (prosecute) दण्डित नहीं किया जा सकता। अमेरिकी विधि में इसे ही दोहरा दण्ड या दोहरा जोखिम कहा गया है। जो भारत में प्रतिबंधित है।
- यह महत्वपूर्ण है कि दोहरे जोखिम में प्रशासन द्वारा दिया गया दण्ड शामिल नहीं किया होता जिसका अभिप्राय है न्यायपालिका किसी व्यक्ति को दो बार दण्डित नहीं करेगा।

* अनुच्छेद 20 (3)

किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जायेगा जिसका अभिप्राय है न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानता है और उसे दोषी सिद्ध करना सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 21

i) अनुच्छेद 19(1)-A-G
(विशिष्ट स्वतंत्रता)

ii) अनुच्छेद 19(2)-(6)
(तार्किक प्रतिबंध)

→ 1. किसी व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से (Procedure Established law) ही वंचित किया जायेगा।

Article 22

(i) किसी भी व्यक्ति को <u>हिरासत</u> में लेने एवं <u>बंदी बनाए जाने</u> के आधार बताए जायेंगे तथा उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी (वकिल) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार होगा

ATUL PHOTOSTAT

ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम Magistrate के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा।

iii) निवारक नजरबंदी एवं विदेशी शत्रु को उपलब्ध नहीं होगा

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया :-

1. उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐतिहासिक गोपालनवाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए कहा कि विधि के निर्माण का अधिकार संसद को है और संसद के द्वारा प्रक्रिया का भी निर्धारण होगा।

2. संसद द्वारा निर्मित यह प्रक्रिया वैधानिक होनी चाहिए।

3. न्यायपालिका के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि एवं प्रक्रिया के बिना दण्डित नहीं किया जा सकता है। और न्यायपालिका ने कहा कि गोपालन को विधि बनाकर दण्डित किया गया है। इसलिए वैधानिक है।

4. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अभिप्राय है कि संसद विधि बनाकर किसी को दण्डित कर सकती है परन्तु विधि के अभाव में पुलिस (कार्यपालिका) को दण्डित करने का अधिकार नहीं है।

जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के मायने

1. गोपालन वाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में लेने में प्रतिबंध तथा व्यक्ति के विरुद्ध प्रताड़ना अथवा यातना का अभाव।

मैनका गाँधीवाद (1978)

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या :-

- उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संसद को विधि के निर्माण का अधिकार है और उस संबंध में प्रक्रिया सुनिश्चित करने की भी शक्ति है परन्तु प्रक्रिया मनमानी अतार्किक नहीं बल्कि उचित होनी चाहिए। इसलिए न्यायपालिका ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया (Due process of Law.) में परिवर्तित कर दिया।

- विधि की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग अमेरिकी ~~संविधान में किया गया है जिसका अभिप्राय है~~ कि जीवन का अधिकार न तो पुलिस (कार्यपालिका) द्वारा छीना जा सकता न ही मनमानी रूप में संसद

इसे छीन सकती है।

- विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत अपनाकर न्यायपालिका ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली और व्यक्ति के जीवन के अधिकार का विस्तार हो गया।

जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय पशु के समान जीवन नहीं है बल्कि गरिमामय जीवन है।

ATUL PHOTOSTAT

- उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता अर्थात् अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी प्रकार का ~~अधिकार~~ स्वतंत्रताएँ जीवन के अधिकार का भाग है।

GurusNotes.com

• जीवन के अधिकारों का विस्तार

- मेनका गाँधी वाद से उच्चतम न्यायालय ने जीवन की अधिकार की उदारवादी धारणा आरंभ की परिणाम स्वरूप जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार, न्यूनतम आजीविका का अधिकार, त्वरित सुनवाई की अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, शामिल कर लिया गया।

• जीवन का अधिकार और आत्महत्या

- ज्ञान कौर वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है।
- वर्तमान में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को संशोधित करने की मांग की जा रही है क्योंकि समलैंगिक संबंध अभी भी दण्डनीय अपराध है और आलोचक यह मानते हैं कि यह दण्डनीय नहीं होना चाहिए तथा गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन है जीवन के अधिकारों का विरोधी है।

- भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार आत्महत्या का प्रयास एक दण्डनीय अपराध है और आलोचकों के अनुसार इस प्रावधान के प्रयोग द्वारा राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित किया जा सकता है. जैसा कि शर्मिला चानू पर आत्महत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि वे पूर्वोत्तर राज्य में लागू विशेष सैन्य अधिनियम को समाप्त करने के लिए आन्दोलन कर रही थी।

जीवन का अधिकार और धार्मिक अधिकार

- मूल अधिकारों के अध्याय में जीवन का अधिकार सर्वाधिक मूल है। इसलिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जैन धर्मावलंबी संथारा के अन्तर्गत आध्यात्मिक उत्थान के लिए उपवास करते हैं। जैन

धर्मावलंबियों का यह तर्क है यह आत्महत्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि आत्महत्या मानसिक विकृति की परिणाम होती है जबकि संथारा उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव है। इनका यह भी तर्क है कि संविधान से उन्हे धार्मिक अधिकार भी प्राप्त है।

निष्कर्ष :-

जीवन का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और धर्म जीवन के उत्थान के लिए है जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं। इसलिए जीवन का अधिकार धार्मिक अधिकार से प्राथमिक है।

* आधार कार्ड पर सरकार के तर्क :-

- सरकार के अनुसार- इससे कल्याणकारी योजनाएं बेहतर रूप में क्रियान्वित होंगी तथा सब्सिडी वास्तविक व्यक्तियों को प्राप्त होगी।
- देश के सभी नागरिकों के डाटा संचय के बाद आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का भी बेहतर रूप में सामना किया जा सकता है।

इन आँकड़ों के सुरक्षा का पूरा प्रावधान है इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं होगा।

आलोचकों का तर्क :-

- यह गोपनीयता का सीधा उल्लंघन है जिससे राज्य को व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप की छूट मिल जायेगी।
- व्यवहारिक रूप में भी आधार कार्ड निर्माण में समस्या है कि श्रमिकों के अंगूठे के निशान ही नहीं मिल पाते।
- पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी सभी नागरिकों आधार कार्ड नहीं दिया गया है क्योंकि अवैध घुसपैठियों को बाहर किए बिना आधार कार्ड नहीं दिया जा सकता है।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण :-

- उच्चतम न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर ~~दिया है कि आधार कार्ड का सीमित प्रयोग होना चाहिए केवल कल्याणकारी~~

सुविधा प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जाय। इसे अनिवार्य न बनाया जाय।

अनुच्छेद 22

अनुच्छेद 22 (4)-(7) :- निवारक नजरबंदी
Preventive Detention

निवारक नजरबंद # Preventive Detention	दण्डात्मक नजरबंद # Punitive Detention
• आशंका के आधार पर हिरासत (अपराध के पूर्व)	अपराध के बाद हिरासत में लेना
• पुलिस	• न्यायपालिका
• नजरबंद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा ↓	• 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ↓
• पुलिस राज	• विधि का शासन

निवारक नजरबंदी के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति :–

इस संबंध में संघ सरकार तथा राज्यसरकार दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार है क्योंकि यह समवर्ती सूचि का विषय है।

संघ → रक्षा
→ एकता–अखण्डता

1. – UPAA :– Unlawful prevention Activities Act
2. – COFESA → Conservation of Foreign exchange and Smugling activities Act.

राज्य लोकव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति

(1) UP → राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

2. MH → MACOCA
– Maharastra Control of Organized Crime Act.

निवारक नजरबंदी के प्रावधानों की आलोचना :–

- MISA - 1971 → Mentainance of Internal security Act
- TADA - 1985 – Terrarist Activities and Disruptive Prevention Act.
- POTA - 2001 → Prevention of Terrorism Act,

- मानव अधिकार कार्यकर्त्ता निवारक नजरबंदी की विधियों को मूल अधिकार और लोकतंत्र के विरुद्ध मानते है और उनका कहना है कि इस प्रावधान से भारत में विधि शासन के बजाय पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है।

- इनका प्रयोग विपक्षी दलों एवं राजनेताओं के विरुद्ध किया जाता है जैसा कि आपात काल के दौरान किया गया था।

- मूल अधिकारों के अध्याय में उपलब्ध स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं।

निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों को प्राप्त मूल अधिकार

अनुच्छेद 22 (4-7) तक नजरबंद व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा नजरबंद रखना है तो उच्च न्यायालय की न्यायधीश के अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया जायेगा और समिति की सहमति के बाद ही

3 महीने से ज्यादा के लिए बंदी बनाया जा सकता है।

- नजरबंद किए गए व्यक्ति को नजरबंदी के कारण की सूचना दी जायेगी। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल होने की स्थिति में सूचना देना से मना किया जा सकता।

- नजरबंद व्यक्ति को भी अपने मन पसंद विधि व्यवसायी (वकिल) से परामर्श का अधिकार होगा।

निष्कर्ष :-

- निवारक नजरबंदी का प्रावधान एक अनिवार्य बुराई है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

1. अनुच्छेद 23 में यह उल्लेखित है कि मानवीय दुर्व्यापार बेगार और बलातश्रम नहीं किया जा सकता | प्रतिबंध।

- मानवीय दुर्व्यापार → बच्चों, वेश्यावृति, मानवीय अंगों का दुर्व्यापार → Parliament

- बेगार → सामंतवादी → बिना किसी भुगतान के कार्य कराना।

- बलातश्रम → इच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश करना।

2. उच्चतम न्यायालय ने वर्तमान में शोषण की परिभाषा बढ़ा दी है जिसके अनुसार श्रमिकों को निर्धारित मूल्य से कम मजदूरी प्रदान करना भी शोषण है।

3. 1996 में उच्चतम न्यायालय ने विशाखावाद में यौन शोषण को भी शोषण के दायरे में शामिल कर लिया।

बलात श्रम का अपवाद :- अनु- 23(2)

- अनुच्छेद 23 (2) में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा लागू की जा सकती है। बशर्ते सेवा आरोपित करते समय जाति, धर्म, मूलवंश अथवा वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 24 -

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यमों/ कार्यों में, कारखानों में, खानों में नियोजित नहीं किये जायेंगे ~~या~~ कार्य पर नहीं लगाया जायेगा

- संकटमय नियोजन (Hazardous Industries) (चूड़ी, बारूद, रसायन)
- कारखानों
- खानों

- संसद ने विधि निर्माण के द्वारा परि संकटमय नियोजन को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार पटाखे रासायनिक ~~तथा चूड़ी बनाने के उद्यमों को परिसंकटमय नियोजन माना जाता है~~

- प्रथमदृष्ट्या में यह प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 24 निरपेक्ष अधिकार नहीं है क्योंकि 14 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चों के लिए नियोजन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही तीन उद्यमों के अलावा अन्य कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध है।

- इस कमी को दूर करते हुए वर्ष 2016 में बालश्रम अधिनियम को संशोधित करते हुए कहा गया 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जायेगा।

- वर्ष 2009 में Right to Education Act क्रियान्वित करके यह प्रावधान किया गया कि 6-14 वर्ष के बीच के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जायेगा।

- इसलिए अनुच्छेद 21 (A) (86 संशोधन) और अनुच्छेद 24 एक दूसरे के पूरक हैं।

धार्मिक अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

राज्य ⇓ सरकार ⇓ प्रशासनिक अधिकारी ⇓ जिलाधिकारी → समाज ⇓ हिन्दू ॥ मुस्लिम ॥ सिक्ख ॥ बौद्ध

* अनुच्छेद 25 :-

(i) प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने (Profess), आचरण करने (Practice) एवं प्रचार करने (Propagate) की स्वतंत्रता होगी।

राज्य ⇓ धर्म — पक्षपात, विरोध

(ii) धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध :-

* संविधान में वर्णित धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि उनपर निम्नलिखित प्रतिबंध आरोपित है

– लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।

धर्मनिरपेक्ष	पंथनिरपेक्ष
धर्म एवं राज्य का अलगाव	• राज्य - पूजास्थल
राज्य का नैतिकता से अलगाव	• राज्य - धार्मिक ग्रंथ
• कर्तव्य	• राज्य - ईश्वर

* अनुच्छेद 25 में ही यह उल्लेखित है कि धर्म से जुड़े लौकिक या भौतिक गतिविधियों (Secular Activities) जैसे वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक मामलों को राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

धर्म	पंथ (Religion)
भारतीय विचार	• ईश्वर की उपासना
जीवन पद्धति	• ग्रंथ
कर्तव्य/नैतिकता	• पूजास्थान
• सामाजिक समन्वय	

* सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक कल्याण के लिए एवं हिन्दू धर्म के सार्वजनिक प्रकृति के मंदिरों को समाज के सभी वर्गों और

समुदायों के लिए खोला जायेगा।

*** पंथनिरपेक्ष राज्य :-**

अनुच्छेद 25 में यह उल्लेखित है कि धर्म व्यक्ति के अन्तःकरण का विषय है राज्य का नहीं। इसलिए भारत में धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव विद्यमान है जिसके अनुसार राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न किसी धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा।

- राज्य के द्वारा धर्म से जुड़े लौकिक मामलों और सामाजिक सुधार के मुद्दे पर, धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप संभव है परन्तु धार्मिक संस्थाओं के द्वारा राज्य की गतिविधियों कार्यों में हस्तक्षेप का कोई विचार नहीं है।
- भारत में पंथनिरपेक्षता का अभिप्राय धर्म और राज्य के बीच अलगाव के अलावा सभी धर्मों का समान सम्मान है।

ATUL PHOTOSTAT 9911-285336, 9540467...

* धर्म के मूल और गौण लक्षण :-

1. अन्तःकरण के रूप में धर्म को मानना धर्म का केन्द्रीय या मार्मिक लक्षण है जबकि धर्म के नाम पर जानवरों की बलि देना, लाउडस्पीकर बजाना विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना धर्म के गौण लक्षण है जिनको सीमित किया जा सकता है।

* धर्मांतरण का विचार :-

1. अनुच्छेद 25 में या धार्मिक अधिकारों में धर्मांतरण का उल्लेख नहीं है न ही इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध का प्रावधान है परन्तु विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता में धर्मांतरण का अधिकार भी शामिल है।

2. इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने स्टेनेस्लास (1967) वाद में मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा सरकार द्वारा धर्मांतरण के रोकने की विधियों को ~~संविधान~~ संवैधानिक माना जिसे धार्मिक अधिकार के विरुद्ध नहीं माना

3. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है क्योंकि धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप लोकव्यवस्था के भंग होने का खतरा होता है।

4. यह भी उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और उड़ीसा सरकार द्वारा निर्मित विधियों में केवल तीन आधार पर धर्मांतरण को दण्डनीय अपराध माना गया था

i) लोभ (Allurement)

ii) बल (Force)

iii) कपट (Fraud

वर्तमान में धर्मांतरण को घर वापसी के रूप में बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो वैधानिक प्रतीक नहीं होता है।

धार्मिक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच का संबंध :-

1. मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 (1) (A) में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

2. यह उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है. परन्तु लोकव्यवस्था सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध

लगाये जा सकते है।

3. भारतीय दण्ड संहिता में यह उल्लेखित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो दण्डनीय अपराध है हाल मे ही SC द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा गया कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन उचित नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति द्वारा जान बुझ कर या सोची समझी रणनीति के आधार पर किसी धार्मिक मान्यता पर आक्रमण करता है तो यह अपराध होगा।

4. यदि अनजाने में अथवा संयोगवश कही गई किसी बात से धार्मिक मान्यताऐं प्रभावित होती है तो यह अपराध नहीं माना जायेगा।

धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार

1. संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित है (अनुच्छेद 25) कि धार्मिक अधिकारों के नाम पर सामाजिक सुधारों को नहीं रोका जा सकता। वर्तमान में तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय यह विचार कर रहा है कि यह महिलाओं से जुड़ा लैंगिक सशक्तिकरण का मुद्दा है अथवा धार्मिक अधिकारों का भाग होने के कारण राज्य के हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है।

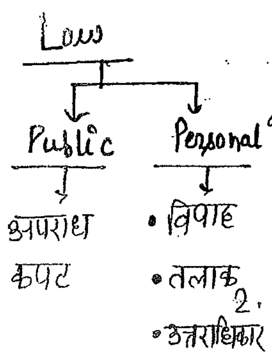

2. यह उल्लेखनीय है कि 1986 के शाहबानो वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कह दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है और न्यायपालिका ने सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया।

3. शाहबानो वाद में न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया था कि अपराधिक विधि संहिता, मुस्लिम पर्सनल लॉ से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:- तीन तलाक और बहुपत्नि प्रथा जैसी मान्यताओं को धर्म के अधिकार का मूल

भाग कहना विवाद का विषय है। यद्यपि इन मुद्दों के आधार पर किसी धर्म विशेष की भावनाओं का अतिक्रमण करना एवं सामाजिक सुधार के बजाय इसे राजनीतिक मुद्दा बना देना दुर्भाग्यपूर्ण है।

Article 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार

1. धार्मिक संस्थाओं एवं दान संस्थाओं (Charitable) की स्थापना।
2. इन संस्थाओं द्वारा अपने विषयों का प्रबंधन।
3. चल एवं अचल सम्पत्ति का अर्जन।
4. इनका विधि के अनुसार प्रशासन।

धार्मिक संस्थाओं के अधिकार निरपेक्ष नहीं अपितु सीमित हैं क्योंकि लोकव्यवहार सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है।

धार्मिक मामलों पर राज्य का हस्तक्षेप :-

Articl 27

- भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है इसलिए किसी धर्म विशेष के उत्थान अथवा संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कर आरोपित नहीं होगा। जिसका अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक भलाई के लिए कर आरोपित किए जा सकते हैं धार्मिक कार्यों के लिए नहीं।

Article 28

1. पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित
   wholly Maintained By State
   1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, :- कोई धार्मिक निर्देश या उपवास नहीं किया जायेगा जिससे पुनः प्रमाणित होता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है।

- उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक निर्देश एवं धार्मिक शिक्षा में अंतर होता है और किसी भी विश्व विश्व विद्यालय में अकादमिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

2. ऐसी शैक्षणिक संस्थाएँ जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है उनमें पूर्णतः धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

3. राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त (Recognised by state)
CBSE / ICSE / UGC
i) धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। परन्तु छात्रों की सहमति से।
ii) यदि छात्र Minor है तो अभिभावकों की सहमति से।

अल्पसंख्यकों के अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

Article 29

(i)- भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्गों (समुदाय) को अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा।

(ii)- राज्य के द्वारा संचालित शैक्षिणिक संस्था में प्रवेश केवल धर्म, जाति, मूलवंश एवं भाषा के आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा।

Artile 30 (अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार)

1. भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार होगा।

अल्पसंख्यक का अभिप्राय :-

(i) संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है अपितु दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है भाषायी एवं धार्मिक।

~~(ii) संख्यात्मक रूप में जिन भाषायी धार्मिक समुदाय~~ की अबादी आधे से कम है वे अल्पसंख्यक

है परन्तु इनका निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए क्योंकि भारत में भाषायी आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ:-

i) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा की गई है।

ii) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म और संस्कृति की शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ ही शामिल नहीं है बल्कि विज्ञान, प्रबंध और अन्य विषयों की शिक्षा देनेवाली संस्था शामिल हैं।

(iii) न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य से अनुदान लेने मात्र से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी।

स्थापना और प्रबंध का अधिकार:-

उच्चतम न्यायालय ने TMA पाई फाउन्डेशनवाद में अल्पसंख्यकों की स्थापना और प्रबंध की अधिकार को स्पष्ट करते हुए कहा कि

इन्हे निम्न लिखित क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त है -

1.— शैक्षणिक संस्था में शिक्षा का माध्यम।

2. — फीस का निर्धारण ।

3. — कर्मचारियों की नियुक्ति ।

4. — शिक्षकों की नियुक्ति ।

शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण:-

a) संस्थाएँ फीस का निर्धारण करेंगी परन्तु शैक्षणिक संस्थाएँ व्यवसायिक संस्थाएँ नहीं है इसलिए फीस के नाम पर डोनेशन नहीं लिया जा सकता है। (Capitation) (Donation)

ATUL PHOTOSTAT

b) शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण ।

c) अकादमिक सत्र का निर्धारण भी राज्य के द्वारा किया जायेगा।

अल्पसंख्यकों को विशिष्ट अधिकार देने के कारण:-

i) एक लोकतांत्रिक देश में सरकार सामान्यतः बहुमत समर्पित सरकार होती है इसलिए अल्प संख्यकों के हितों के विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

ii) भारत में सभी ~~नागरिकों को अनुच्छेद 19 द्वारा व्यवसाय का अधिकार दिया गया है~~

जिसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक शैक्षणिक संस्था का स्थापना कर सकता है

iii) भारतीय समाज अत्याधिक विविधतावादी और बहुलवादी समाज है जहाँ प्रत्येक समुदाय (Art29) तथा अल्पसंख्यक समुदाय (Art 30) को संरक्षण प्रदान किया गया है।

सम्पति का अधिकार (Right to Property)

Article 19(f)

- नागरिकों को सम्पति अर्जित करने एवं विक्रय का अधिकार होगा।

- **Article 31** :- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सम्पति से वंचित किया जायेगा। और व्यक्ति की सम्पति का अर्जन –

a) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होगा।

b) व्यक्ति को सम्पति अर्जन के बदले में मुआवजा (compensation) प्रदान किया जायेगा।

सम्पति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास:-

1. भूमि सुधार विधियों में न्यायालय के द्वारा आरोपित बाधाओं को हल करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित सम्पति के अधिकार को सीमित करते हुए अनुच्छेद 31(A) और अनुच्छेद 31(B) जोड़ा गया।

अनुच्छेद 31(A) के प्रावधान :-

- सरकार के द्वारा जागीर (Estate) को सीमित किया जा सकता था और जागीरों का अर्जन भी किया जा सकता था।
- किसी खान (Mines) पर सरकार का नियंत्रण था और उससे संबंधित लाइसेंस और समझौते को भी परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई।
- किसी वाणिज्यीक संस्था का अधिग्रहण एवं उस संस्था के प्रबंध के अधिकारों को सीमित करना।

अनुच्छेद 31(B)

- Art 31(A) के द्वारा अनेक प्रकार की सम्पतियों को सम्पति के अधिकार के दायरे से बाहर रख दिया। परन्तु अनुच्छेद 31(B), 31(A) से भी व्यापक है जिसमें यह उल्लेखित है कि इस अनुच्छेद में शामिल विषयों को न्यायालय इस आधार पर अवैध नहीं घोषित कर सकता कि इससे मूल अधिकारों की अवहेलना हुई है।

* इसी अनुच्छेद द्वारा नवीं अनुसूची का निर्माण किया गया जिसका प्रयोग भूमि सुधार विधियों को संरक्षित करने के लिए किया गया।

* मुआवजे से संबंधित विवाद :-

  - अनुच्छेद 31(A) और 31(B) जोड़ने के बाद भूमि सुधार के रास्ते साफ होगए परन्तु मुआवजे के विषय पर विवाद उत्पन्न हो गया बेला बनर्जी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुआवजे का अभिप्राय पर्याप्त मुआवजा होता है।

परिणाम स्वरूप चौथा संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31 के शब्दों को परिवर्तित करते हुए कहा (1955) गया कि मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार सरकार न्यायपालिक इसकी पर्याप्तता पर सवाल नहीं उठा सकती।

- इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 25वाँ संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजा शब्द ही हटा दिया गया। और उसके स्थान पर राशि (Amount) शब्द को प्रयोग किया गया। अतः मुआवजे पर होने वाला विवाद भी समाप्त हो गया।

- 44वाँ संविधान संशोधन (1978) :-

1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा सम्पति के मूल अधिकार को भाग तीन से हटा दिया। जिसका अभिप्राय है कि अब सम्पति के अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा नहीं लिया जा सकता और अब संपति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) है।

मूल अधिकारों पर प्रतिबंध {Article -(33-34)}:-

Article 33:-

* संसद विधि निर्माण के द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के पदाधिकारियों में कर्तव्य और अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

a) सैन्य बलों के कर्मी। (Member of Arm forces)
(Army. Airforce, Navy)

b) लोकव्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मी।
* पुलिस
* BSF / CISF

c) उपरोक्त संगठनों के लिए कार्य करने वाली आसूचना इकाइयाँ तथा काउन्टर आसूचना (counter intelligence) इकाइयाँ। agencies -(MI)
- RAW
- IB

d) उपरोक्त संगठनों के लिए संचार सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कर्मीयों के अधिकारों को भी सीमित किया जायेगा

अनुच्छेद 34 :-

* मार्शल लॉ / सैन्य विधि बनायी जायेगी।
* मार्शल लॉ को बनाए रखने के लिए तैनात संघ एवं राज्य सेवकों को विशेष उन्मुक्ति / छूट दी जायेगी।
* सैन्य विधि को बनाए रखने के लिए इन कर्मियों के द्वारा दिए गए दण्ड अथवा किए गए कार्य को वैधानिक (Legal) बनाया जायेगा।
* इनके लिए संसद विधि का निर्माण करेगी।

मार्शल ला

1) संविधान में सैन्य विधि को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा राज्य के किसी भी क्षेत्र को गड़बड़ी वाला क्षेत्र (Disturbed Region) घोषित किया जा सकता है परिणाम स्वरूप लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल, नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है।

संसद द्वारा विधि का निर्माण

* मार्शल लॉ को क्रियान्वित करने के लिए 1958 में संसद के द्वारा 3 Armed Forces (Special) Power Act. सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 का निर्माण किया गया जिसे वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया है जो 1958 से ही लागू है। 1988 में इसे काश्मीर में भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सैन्य बलों को विशेष छूट प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है —

a) सैनिकों के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के लिए उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

b) उन्हें देखते ही गोली मारने के अधिकार होते है।

c) वे किसी भी व्यक्ति के तलाशी ले सकते है।

d) किसी भी भवन को ध्वस्त कर सकते है।

e) किसी भी समय ~~किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा सकती है।~~

मानव अधिकार संगठनों की आलोचना :-

1. मानवअधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस सैन्य विधि को राज्य आतंकवाद का नाम दिया है। यह न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का विरोधी है अपितु विधि के शासन के विचार का उल्लंघन है जिसे भारत में पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है।

इनके अनुसार इतने लम्बे समय इस अधिनियम का प्रयोग अतार्किक और अनौचित पूर्ण है।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण :-

उच्चतम न्यायालय ने सैन्य बलों को आफस्पा (AFSPA) के अन्तर्गत विशेष छूट देने का समर्थन नहीं किया है। न्यायालय के अनुसार सैन्य बलों द्वारा अनावश्यक एवं मनमानी हिंसा का प्रयोग किया गया तो उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालयों में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

सरकार एवं सेना का दृष्टिकोण :-

~~सरकार के द्वारा न्यायपालिका द्वारा दिए गए~~ निर्णय पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई। सरकार

के अनुसार इन क्षेत्रों में परिस्थितियाँ अत्यधिक प्रतिकूल है जहाँ सैन्य बलों को छूट न देने से सैनिकों का मनोबल टूट जायेगा और लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

निष्कर्ष :-

एक लोकतांत्रिक देश में समस्याओं का समाधान संवाद और विचार-विमर्श के द्वारा होना चाहिए बंदूक के द्वारा नही। अतः AFSPA के दुरुपयोग रोकने के साथ-साथ इसे क्रमिक रूप से हटाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग संक्रमण काल में उचित हो सकता है लंबे समय तक नहीं।

प्रश्न

Pre

Q. विधि के समान संरक्षण में शामिल नहीं है

a) समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार।

b) वंचित वर्गों का संरक्षण।

c) व्यवहार में परिस्थितियों की अनदेखी।

d) अलग-अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार

Q. भारत में आरक्षण देने के लिए किन आधारों को अपनाया जाता है।

a) सामाजिक पिछड़ापन।

b) ऐतिहासिक भेदभाव।

c) सेवाओं की कुशलता को बनाए रखना।

d) अनुपातिक समानता का संरक्षण।

उत्तर:- (a) (b) (d)

Maims:-

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तार्किक अभिप्राय है कि दूसरों से असहमति अथवा भिन्न विचार रखना। क्या आप इस मत से सहमत हैं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए राज्य से ज्यादा बड़ा खतरा बहुमत समाज है फिल्मों के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शनों के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें।

2. क्या आपको लगता है कि संविधान में वर्णित धार्मिक और सांस्कृति अधिकार वर्तमान सामाजिक सुधारों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। तीन तलाक के विशेष संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत कीजिए।

3. विशेष सैन्य अधिनियम लोकव्यवस्था को बनाए रखने के बजाए मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। हाल में ही इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

ATUL PHOTOSTAT
9540 183 6 9540

राष्ट्र + राज्य → राज्य

राष्ट्र
↓
- मनोवैज्ञानिक
- भावना
- सामूहिक पहचान
- धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा,

राज्य
1. सरकार का निर्माण
2. प्रशासनिक एकता
3. सेना, पुलिस
4. वैधानिक विचारधारा

राज्य के नीति निदेशक तत्व   भाग-4   अनुच्छेद 36-51

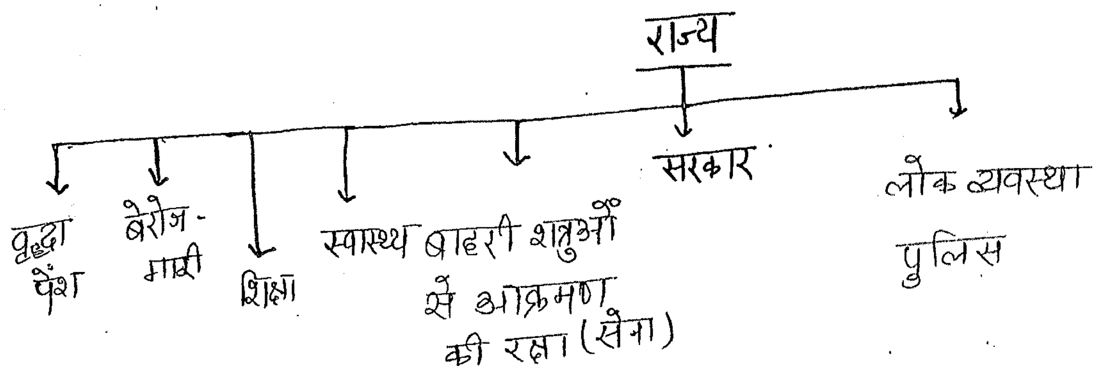

राज्य की प्रकृति :-

* निदेशक तत्वों के भाग में राज्य को कल्याणकारी (welfare) रूप में चित्रित किया गया है। (अनुच्छेद 38) जिसका कार्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना है।

* इसके अतिरिक्त राज्य का यह प्रयास होगा कि आय की विषमता को न्यूनतम किया जाय और सभी को <u>अवसर</u> और <u>परिस्थिति</u> (Status) की समानता प्रदान की जाय।

* वर्तमान में शिक्षा अधिकार अधिनियम, उज्जवला योजना इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संचालित की जा रही है।

समाजवाद की ओर झुकाव (समाजवादी राज्य) :-

- अनुच्छेद 39(b) में यह उल्लेखित है कि आर्थिक संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बल्कि इनका प्रयोग सभी की भलाई के लिए किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 39(c) में यह उल्लेखित है कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा जो सभी की भलाई के लिए उपयोगी हो।
- उपरोक्त मान्यताओं में समाजवादी सिद्धांत अन्तर्निहित प्रतित होते है और इन्ही आदर्शों को क्रियांवित करने करने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया जमींदारी उन्मूलन किया गया तथा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया जिससे इन उद्योगों से प्राप्त लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो सके।
- 1991 में उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक नीति अपना ली गई परिणाम स्वरुप आर्थिक संसाधनों का केन्द्रीकरण होने लगा और क्षेत्रीय

विषमता में भी वृद्धि हुई। इसलिए आलोचकों ने कहा कि संविधान वर्णित समाजवादी आदर्शों से हम विचलित हो गए।

- उदारीकरण और निजीकरण की आर्थिक प्रणाली अपनाकर अर्थव्यवस्था को कुशल सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है और आर्थिक विकास के द्वारा कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि परिवर्तित घरेलू एवं वैश्वीक वातावरण में भारत में भी आर्थिक विकास की रणनीति में बदलाव किया।

सामाजिक आर्थिक अधिकार (Social-Economic Rights)

* निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वृद्धावस्था तथा अक्षमता तथा अन्य प्रतिकूल अवस्थाओं में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

* महिलाओं को प्रसूति सुविधा का अधिकार और निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार (Art 39)

* मूल अधिकारों में नागरिक अधिकार प्रदान किया गया है जबकि निदेशक तत्व के माध्यम से सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए गए हैं इसलिए मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों भागों को मिलाकर भारतीय संविधान की अंतःकरण का निर्माण होता है। (Conscience of Indian Constitution)

निदेशक तत्वों की प्रकृति

1. मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 32 में यह उल्लेखित है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और उच्चतम न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करेगा जबकि निदेशक तत्वों के अध्याय के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि - निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। [Fundamental of Governance] जिनको क्रियान्वित करने के लिए न्यायपालिका में प्रवेश नहीं किया जा सकता बल्कि शासन

के द्वारा नीति निर्माण के लिए इसे निदेश (Directive) माना जायेगा।

मूल अधिकार	निदेशक तत्व
↓	↓
वाद योग्य Justiciable	अवाद योग्य Non-Justiciable

* निदेशक तत्व अवाद्य योग्य है कि सरकार के किसी भी कार्य अथवा विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इससे निदेशक तत्वों का उल्लंघन होता है।

* निदेशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका में पहुँचने का कोई प्रावधान ही नहीं है और इसे लागू करना सरकार और विधायिका की इच्छा पर है।

ATUL PHOTOSTAT
9891_ _ _ _, 9540467939

* आलोचकों के अनुसार निदेशक तत्व अवादयोग्य है इसलिए ये मूलतः नैतिक प्रकृति के है। परन्तु किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की ज्वंत इच्छाओं की कोई भी निर्वाचित सरकार अवहेलना नहीं कर सकती और यह वास्तविकता है कि निदेशक तत्व अवाद्य योग्य है लेकिन अनुच्छेद 39 (b)-(c) को क्रियांवित करने के लिए मूल अधिकारों से सम्पति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 40 को लागू करते हुए पंचायती राज्य को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा की गई शराब बंदी (Article 47) को लागू करना निदेशक तत्व के क्रियान्वयन का उदाहरण है।

मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध :-

मूल अधिकार	निदेशक तत्व
1. सम्पत्ति का अधिकार < Art 19(1), 31	1. अनुच्छेद 39(b) (c)
2. 15(1) जाति, 29(2)	2. Art - 46. राज्य के द्वारा वंचितों (weaker section) एवं अनुसूचित जाति/जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य किया जायेगा।

* आरंभिक रूप में चंपकम दोरई राजन वाद तथा गोलकनाथ वाद मामले में मूल अधिकारों

को प्राथमिकता प्रदान की गई परन्तु 25वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 (b) (c) को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, और 31 को निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है।

* उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में यह स्पष्ट कर दिया कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं।

ATUL PHOTOSTAT 9321...283 8,9541...929

* निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए न केवल सरकार के द्वारा पहल की गई अपितु उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अर्थ अधिकारों का अत्यधिक विस्तार कर दिया। और इसमें शिक्षा का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार आवास का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल किया गया जो प्रावधान निदेशक तत्वों पहले से ही अन्तर्निहित है। इसलिए संविधान एक शरीर की भाँति है जिसके दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व है।

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil code) :-

1. हिन्दू ⇓ — 2. मुस्लिम — 3. ईसाई

विवाह → 1 — 4

उत्तराधिकार

तलाक — तलाक

1. सिक्ख, बौद्ध, जैन

* समान नागरिक संहिता और उच्चतम न्यायालय :-

* समान नागरिक संहिता का प्रावधान निदेशक तत्वों के भाग के अनुच्छेद 44 में वर्णित है जिसके अनुसार इसे क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है परन्तु उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो वाद में समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था।

समान नागरिक संहिता और महिला सशक्तिकरण :-

* समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य सामाजिक है धार्मिक नहीं। और इसके द्वारा सभी महिलाओं को विवाह उत्तराधिकार और तलाक के मामलों में समान अधिकार दिया जायेगा और दहेज संबंधी विधियां सभी महिलाओं के लिए समान रूप में उपलब्ध होगी।

* यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को शिक्षित करना उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भी आवश्यक है।

ATUL PHOTOSTAT

पंथनिरपेक्ष राज्य एवं समान नागरिक संहिता

* पंथनिरपेक्ष राज्य में विधि के निर्माण का आधार धार्मिक ग्रंथ अथवा धार्मिक मान्यताएं नहीं हो सकती बल्कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए विधि का निर्माण होना चाहिए।
* उच्चतम न्यायालय ने शाह बानो वाद में यह स्पष्ट कहा था कि शरियत की विधियां अपराधीक प्रक्रिया संहिता (CrPC) से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

* ~~यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामान्य नागरिक संहिता~~ की मांग पंथनिरपेक्ष सिद्धांतों के आधार पर

किए जाते है परन्तु भारत में कार्य करनेवाले राजनीतिक दल धर्म का प्रयोग कर अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास करते हैं।

* राष्ट्र की एकता अखण्डता और **समान** नागरिक संहिता :-

* समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता अखण्डता को बढ़ावा देने में सहायक माना जाता है क्योंकि धर्म के आधार पर निर्मित व्यक्तिगत कानून व्यक्ति की धार्मिक पहचान को बढ़ावा देते है। नागरिक पहचान का उल्लंघन करते हैं

परन्तु भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में एकता का अभिप्राय समरूपता नहीं है।

* संविधान के अनुच्छेद 371 (a) में नागाओं के लिए सामाजिक परम्पराओं और वैवाहिक परम्पराओं के लिए अलग प्रावधान का अधिकार दिया गया है। और छठी अनुसूची के राज्यों के लिए भी उनके संस्कृति के संरक्षण का विशेष प्रावधान है। इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू करना अव्यवहारिक प्रतीत होता है और भारत में एकता का अभिप्राय विविधता में एकता है।

* धार्मिक अधिकार और समान नागरिक संहिता

* संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए है अतः व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार का भाग है। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि भारत में धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है और सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए धार्मिक अधिकारे को सीमित किया जा सकता है जैसा कि 'हिन्दू मैरिज एक्ट' बनाकर सुधार करने का प्रयास किया गया और भारत के प्रांत गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है।

निष्कर्ष:- समान नागरिक संहिता मूलतः एक सामाजिक विषय है। परन्तु इसे राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील विचार है परन्तु इसके नाम पर धर्म विशेष पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

निर्देशक तत्वों के अवाद्य योग्य बनाने के कारण :-

* स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य या सरकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता कमजोर थी जिस कारण इन्हे तत्काल उपलब्ध करना सम्भव नहीं था।

* इसलिए निर्देशक तत्वों को सरकार की नीतियों के माध्यम से लागू करने के लिए सरकार का स्वैच्छिक विषय बना दिया गया और सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता के साथ निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किया गया। उदाहरण - अनुच्छेद 45 को व्यवहारिक रूप से उपलब्ध कराया गया Art 21(A) के द्वारा।

Q. चर्चा कीजिए की वे कौन से संभावित कारक है जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को अधिनियमित करने से रोकते हैं।

→ 1. निदेशक तत्व

2. आयाम
- संवैधानिक
- मूल अधिकार
- भारत की सांस्कृतिक विविधता की बहुलता।
- राजनीति प्रतिस्पर्धा

3. निष्कर्ष

संघीय शासन

1. एकात्मक शासन (Unitory form of Government) (UK)
   - i) संविधान
   - ii) सरकार (केन्द्रीय सरकार)
     ⇓ अपने सुविधा के लिए
   - iii) प्रांतीय सरकारों का निर्माण (इकाइयों का निर्माण।)
   - प्रांतीय सरकार केन्द्र पर निर्भर

• संघात्मक शासन

1. जहाँ संविधान के द्वारा शासन के दो केन्द्रों की स्थापना की जाए।
   - संघ
   - राज्य (29)
   - जहाँ दोहरी सरकार हो।
2. जहाँ राज्यों/प्रांतीय सरकारों को शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं।
3. जहाँ संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसलिए राज्य संघ सरकार के समकक्ष होते हैं।
4. शक्ति के विभाजन के ~~कलता~~ परिणाम स्वरूप संघ एवं राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं जिनके समाधान के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम ~~न्यायालय का प्रावधान~~ भी किया जाता है।
5. लिखित संविधान

* राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए उच्च सदन।

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का संघीय शासन मॉडल :-

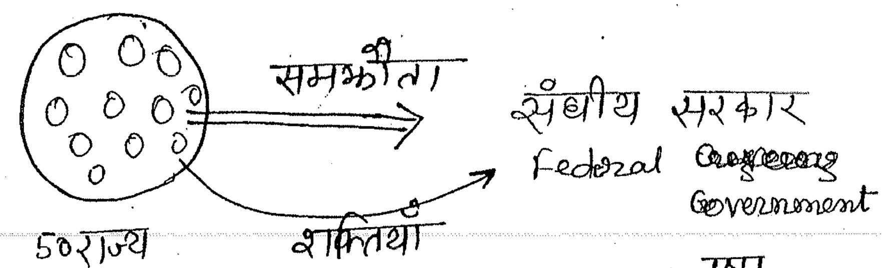

- रक्षा
- बैंकिंग
- विदेश
- मुद्रा

* शक्ति का विभाजन

1. अमेरिकी संघीय व्यवस्था में प्रत्येक 50 राज्यों के अपने संविधान हैं।
2. अमेरिका में प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य के आम जनता के द्वारा किया जाता है।
3. अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन में केवल संघ सरकार की शक्तियों का संघ सूचि में उल्लेख किया गया है। शेष शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं।

4. अमेरिका के संघीय व्यवस्था में दो सेवाओं का प्रावधान किया गया है संघीय सेवा एवं राज्य सेवा। संघीय सेवा पर संघ सरकार का नियंत्रण होगा जबकि राज्य सेवा पर राज्यों सरकारों की निगरानी रहेगी।

5. अमेरिका में दोहरी नागरिकता है दो प्रकार का निर्वाचन तंत्र है।

6. अमेरिका के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व वहाँ के उच्चसदन (सीनेट) में समान है।

7. अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना संघ सरकार के द्वारा उनके नाम आकार भूभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

संघीय शासन का कनाडाई मॉडल # 80-20

[Federation → परिसंघ]

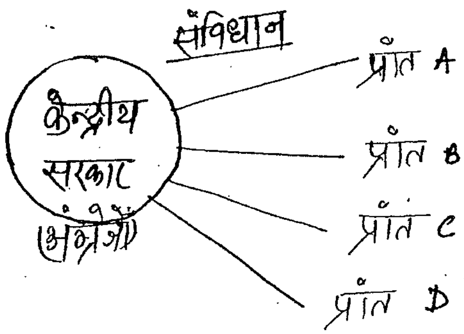

कनाडा के संविधान में संघ एवं राज्य दोनों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त है और दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा की गई है और राज्यों की स्वायत्त शक्तियें संविधान से प्राप्त है। और संघ एवं राज्य के बीच विवाद हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया है इसलिए कनाडाई संविधान में संघ शासन की सभी विशेषताएँ विद्यमान है परन्तु संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बल्कि Union शब्द का प्रयोग किया गया जिसका निम्न लिखित कारण है—

1. कनाडाई संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौतें का परिणाम नहीं है।
2. कनाडा की संघीय व्यवस्था में संघ सरकार अत्यधिक शक्ति शाली है।

कनाडा के संविधान में संघ सरकार अत्यधिक शक्ति शाली है जिसके उदाहरण निम्न लिखित है—

a) राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा होती है।

b) कनाडा के उच्च सदन (सीनेट) में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ~~किया~~ होता है।

c) अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार के हाथों में है।

d) संघ सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था

राज्यों का पुनर्गठन :-

अंग्रेजों के शासन

1. ब्रिटिश प्रांत
   - अंग्रेजों का प्रशासनिक नियंत्रण
   - विदेशी रक्षा में अंग्रेजों का नियंत्रण
2. देशी रियासत
   - प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय राजाओं का।
   - विदेशी रक्षा ब्रिटिश सरकार
3. चीफ कमिश्नर के प्रांत
   - ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण
   - विदेशी रक्षा ब्रिटिश सरकार

मूल संविधान में

A. प्रांत	B. बड़ी देशी रियासतें	C. छोटी देशी रियासतें	D. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं अन्य अर्जित क्षेत्र
1. बम्बई	1. जम्मू कश्मीर	1. भोपाल	
2. मद्रास	2. हैदराबाद	2. अजमेर	
3. यूनाइटेड प्राँविन्स	3. जूनागढ़		

भाषा को लेकर समस्याएँ

भाषा

1. अधिकारिक भाषाएँ (Official Language.)
2. भाषायी आधारों पर राज्यों की माँग
3. अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण

राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान :

संविधान के अनुच्छेद 3 में यह उल्लेखित किया गया कि → 1. संसद के द्वारा दो राज्यों के विलय से नये राज्य का निर्माण किया जा सकता है।

2. एक राज्य के भूभाग को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है।

3. राज्यों के आकार में वृद्धि किया जा सकती है उसे ~~कम किया जा सकता। उसके सीमा एवं नाम~~ में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

* संसद के द्वारा यह परिवर्तन करने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से राय लेगा। परन्तु राज्यों की ~~इन्च्य~~ राय मानना संघ सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

* यह भी उल्लेखनीय है कि संसद के द्वारा किसी नए राज्य के निर्माण के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं।

सामान्य बहुमत

1. कुल संख्या 545

2. गणपूर्ति (Quorum)
   [सदन के कुल संख्या का $\frac{1}{10}$ भाग]

3. 55.

4. 28. उपस्थित सदस्यों के आधा से 1 अधिक

* आलोचकों के अनुसार अनुच्छेद 3 संघीय शासन की मूल भावना के प्रतिकूल प्रतीत है क्योंकि संघ को राज्य के विनाश का अधिकार मिल जाता है। इसलिए संविधान के द्वारा राज्यों को प्राप्त शक्तियाँ महत्वहीन हो जाती है और राज्य संघ

के समकक्ष होने के बजाय अधीन प्रतीत होता है।

* राज्यों के निर्माण में संवैधानिक प्रावधान के अलावा राजनीतिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है इसलिए संघ सरकार मनमानी रूप में दूसरे राज्य के लिए हस्तांतरित नहीं कर सकती।

* इससे भी बढ़कर जिन नए राज्यों का निर्माण होता है वे संघ सरकार पर निर्भर नहीं रहते बल्कि उन्हें संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा स्वायत्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है।

* अमेरिका में राज्यों के नाम भू-भाग में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमती की आवश्यकता होती है परन्तु परिस्थितियाँ अमेरिका से अलग है इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन अमेरिकी आधार पर करना ~~उचित~~ औचित्यपूर्ण नहीं है।

* फजल अली आयोग /राज्य पुनर्गठन आयोग

* राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मानकों का प्रयोग किया गया –

1. प्रशासनिक कुशलता ।
2. पंचवर्षीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन ।
3. राज्यों की वित्तीय सक्षमता ।
4. आयोग के द्वारा विशाल राज्यों को विभाजित करनी की अनुशंसा की गई।
5. राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को महत्वपूर्ण व्यवहारिक आधार माना गया परन्तु भाषा को एक मात्र मानक स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए मुम्बई प्रांत को विभाजित किया गया न ही पंजाबी सूबे की मांग को स्वीकार किया गया।

1956

- राज्य
- केन्द्रशासित राज्य (Union Territory)
- अन्य अर्जित

* 1960 में मुम्बई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। और 1966 में पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब का भी गठन किया गया। परिणाम स्वरूप भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का दौर पूर्ण हो गया। जो भारतीय संघीय शासन की बड़ी सफलता मानी जाती है।

राज्यों के पुनर्गठन का दूसरा चरण

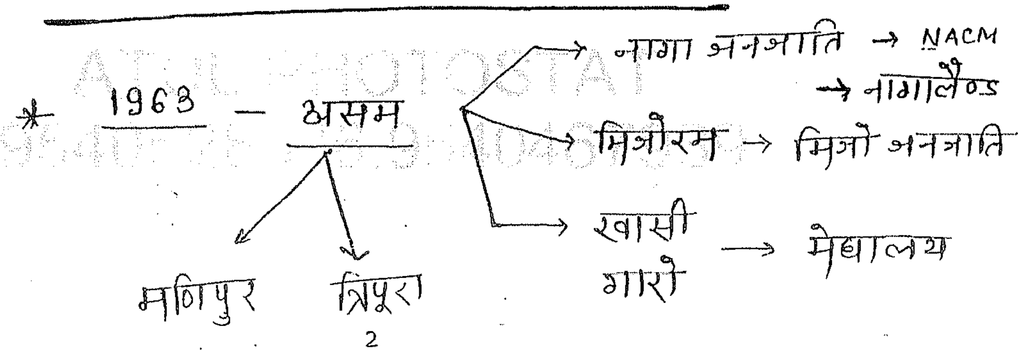

NEFA → North East Forentier Agency

⇓

अरुणाचल प्रदेश

पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया बल्कि आंतरिक उपद्रव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उनकी विशेष

स्थिति के कारण तथा उनकी सांस्कृतिक और नृजातीय विविधता को देखते हुए राज्यों का निर्माण करना पड़ा परिणाम स्वरूप संघ शासन के लिए एक नयी चुनौती बन गयी है क्योंकि यह राज्य वित्तीय रूप में संघ सरकार के अनुदान पर निर्भर है। वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नृजातीय संघर्षों के कारण मणिपुर नागालैंड के बीच भूमि विवाद बना है तथा अनेक उग्रवादी संगठन की उपस्थिति के कारण क्षेत्र का विकास भी प्रभावित हो रहा है।

सिक्किम → विलय
किथागय।

राज्य के पुनर्गठन का तीसरा और अंतिम चरण:-

उदारीकरण भूमण्डलीकरण के बाद विकास के आधार पर नये राज्यों की मांग होने लगी क्योंकि उदारीकरण निजीकरण की आर्थिक प्रणाली से संघीय व्यवस्था समक्ष दोहरी समस्या उत्पन्न हुई राज्यों के बीच विषमता बढ़ने लगी।

तथा राज्य के अन्दर भी असमानता बढ़ने लगी परिणाम स्वरूप नये राज्यों की मांग उत्पन्न होने लगी और वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ जैसे तीन नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया जो तीन विशाल राज्यों से अलग किए गए थे और प्राकृतिक संसाधनों के संपन्नता के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े थे।

* वर्ष 2014 में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। जिसके पिछे आर्थिक पिछड़ापन मूल कारण माना जाता है।

<u>छोटे राज्य के निर्माण में</u>

<u>पक्ष</u>

* छोटे राज्यों का निर्माण लोकतंत्र के विचारों के अनुकूल है क्योंकि गोवा उत्तराखण्ड जैसे छोटे राज्यों में विधान सभा सदस्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

~~* भारत में गोवा पंजाब हरियाणा गुजरात जैसे छोटे राज्य आर्थिक विकास में~~

करने में अग्रणी है जबकि उड़ीसा बिहार उ० प्रदेश आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े है।

3. भौगोलिक रूप में भारत अत्यधिक विविधता पूर्ण देश है इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण यौजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए भी बेहतर है।

4. छोटे राज्यों में प्रशासनिक कुशलता बनाना ज्यादा आसान है। क्योंकि मंत्रीमंडल का आकार छोटा होगा और मंत्रियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण भी ज्यादा सरल होगा।

5. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन बेहतर करने के लिए शासन के मुख्यालय न्यायालय आम जनता के पहुंच के दायरे में होना चाहिए क्योंकि आम जनता का कल्याण ही शासन का मूल उद्देश्य है।

विरूद्ध / विपक्ष :-

1. छोटे राज्यों की मांग एक अंतहीन मांग ~~है इसलिए एक छोटे राज्य के निर्माण के बाद~~ दूसरे छोटे राज्य की मांग उठ खड़ी होती है

GurusNotes.com

उदाहरण के लिए असम राज्य से पाँच राज्य बनाने के बाद भी बोडोलैण्ड की माँग की जा रही है।

2. वर्तमान उदारीकरण निजीकरण युग में राजकोषीय प्रबंध पर बल देने की आवश्यकता है इसलिए कर दाताओं का पैसा नई राजधानी और सचिवालय बनाने के बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए।

3. राज्य के आकार और आर्थिक विकास के बीच कोई तार्किक संबंध दिखाई नहीं देता क्योंकि पूर्वोत्तर में स्थित राज्य छोटे होने के बावजूद पिछड़े है। इसलिए राज्य की विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता सुशासन बेहतर आधारभूत संरचना होना आवश्यक है।

4. छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का बहुत बड़ा खतरा इसलिए गोवा, झारखण्ड में न केवल सरकार अस्थायी है बल्कि दल बदल की समस्या सदैव बनी रहती है

~~और अंत में पंचायती राज्य के सशक्तिकरण के द्वारा स्थानीय विकास प्रभावी रूप में~~ संभव है। इसलिए छोटे राज्यों की माँग के

बजाय पंचायतों को ज्यादा वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :-

भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने की आवश्यकता है जिससे नये राज्यों की माँग का समग्र दीर्घकालिक तथा अखिल भारतीय रूप में समाधान किया जा सके।

राज्यों का निर्माण प्रशासनिक दक्षता एवं कुशलता के लिए होना चाहिए न कि क्षणिक दलीय हितों की पूर्ति के लिए।

ATUL PHOTOSTAT

संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन

अनुच्छेद 245

I. शक्तियों का भौगोलिक (Territorial Division) विभाजन :-

1. संघ सरकार के द्वारा समुचे देश के लिए विधि का निर्माण किया जायेगा।

2. राज्य सरकारों के द्वारा केवल उस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण किया जायेगा।

3. संसद को क्षेत्रातीत (extra territorial) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार है।

II. प्रकार्यात्मक विभाजन (functional Divisio) (Art 246)

1. संघ सूची के विषयों के लिए विधि का निर्माण संसद करेगी, राज्य सूची के लिए विधि का निर्माण राज्य विधान सभा द्वारा किया जायेगा जबकि समवर्ती सूची के लिए ~~विधि का निर्माण संसद एवं राज्य~~ विधान सभा दोनो के द्वारा किया जायेगा।

7वीं अनुसूची :-

* संघ सूची के विषय

(i) रक्षा
(ii) संचार
(iii) रेल
(iv) बैंक

* राज्य सूची :-

(i) लोक व्यवस्था
(ii) पुलिस
(iii) भूमि
(iv) कृषि / जल
(v) स्वास्थ्य

* समवर्ती सूची

(i) शिक्षा
(ii) वन
(iii) परिवार नियोजन
(iv) सामाजिक
(v) आर्थिक नियोजन

विधायी शक्तियों का विभाजन

1. संसद को संघ सूची के विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार है। राज्यों को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति है। समवर्ती सूची पर संघ सरकार की विधि को प्राथमिकता दी जायेगी यद्यपि राज्यों को भी विधि-निर्माण की शक्ति है। अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार को प्राप्त है।

* विधायी विषयों में शक्तिशाली संघीय सरकार →

1. संसद के द्वारा राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण किया जा सकता है। (Art. 249) दो या दो से अधिक राज्य आपसी समझौते से भी संसद से राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण के लिए अनुरोध कर सकते हैं (Art. 252) और किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के विषय पर भी संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण किया जा सकता है।

2. आपात काल के दौरान संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ही निलंबित हो जाता है।

3. इसीलिए आलोचकों का मानना है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मक बन जाती है जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह संघात्मक है। आलोचकों ने कहा कि संघ सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होने से राज्यों की स्थिति संघ सरकार के समकक्ष प्रतीत नहीं होती इसलिए इसे अर्द्ध संघात्मक (Quasi federation) कहा गया। और

संघ राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन :-

1. संघ राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन विधायी शक्तियों के अनुरूप है जिसका उल्लेख सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसलिए संघ सूची के विषयों का प्रशासन संघ सरकार के पदाधिकारी करते है। राज्य सूची के विषयों का प्रशासन राज्य सरकार के पदाधिकारी करते है जबकि समवर्ती सूची के विषयों को क्रियांवित करने का अधिकार का दायित्व राज्यों को दिया गया है।

प्रशासनिक क्षेत्र में शक्तिशाली संघ सरकार

1. भारतीय संघीय व्यवस्था पर भारत शासन अधिनियम 1935 का अत्यधिक प्रभाव है। और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जाते थे। (Instrument of Instructions) इन्ही प्रावधानों को भारतीय संविधान में भी शामिल कर लिया गया जिसके द्वारा संघ सरकार राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देता है।

- संघ — संघीय / केन्द्रीय — IRTS, IRS
- अखिल भारतीय सेवा — IAS, IPS, IFS
- राज्य — राज्य सेवक — SDM, तहसीलदार, CO

* राज्य सरकारों के द्वारा बार बार यह आरोप लगाए गए है कि अखिल भारतीय सेवाएँ राज्यों की स्वायत्तता के प्रतिकूल है। इसलिए संघीय ढाँचे के विरुद्ध है।

* लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है परन्तु राज्यों से परामर्श किए बिना संघ सरकार के द्वारा राज्यों में केन्द्रीय बलों की तैनाती का अधिकार है।

ATUL PHOTOSTAT 9540467939

* संघ सरकार के द्वारा CBI का दुरुपयोग करके भी राज्य सरकारों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा सकता है।

* राज्यपाल की संघ सरकार के द्वारा नियुक्ति तथा राज्यपाल पद का प्रयोग संघ सरकार के द्वारा अपने दलीय हितों के संरक्षण के लिए किया जाता है। और उत्तराखण्ड अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया तथा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर

दिया गया। जिससे यह प्रतीत होता है भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य स्वायत्त नहीं है अपितु संघ के अधीन है।

संघ राज्य संबंध और राजनीतिक परिपेक्ष्य

संघीय व्यवस्था की पूर्ण समझ केवल संविधान के अध्ययन के द्वारा संभव नहीं है अपितु दलीय प्रणाली में होने वाला परिवर्तन संघ राज्य संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसलिए संघ और राज्य में एक ही दल के होने पर दोनों के बिच विरोध एवं मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते है। उदाहरण → भूमि अधिग्रहण Act और NCTC मुद्दे पर BJP शासित मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सपोर्ट कर रहे है। जबकि गैर BJP राज्यों के मुख्य मंत्री इन प्रावधानों के विरोधी हैं।

संघ राज्य के बीच वित्तीय संबंध (राजकोषीय संघवाद):-

• राज्य सूची

(i) राज्य के द्वारा कर लगाया जायेगा [Levy) संग्रह (Collected) उपयोग Appropriated.

* बिक्री कर (Sale tax)
* पेट्रोलियम पदार्थ
* शराब
* मनोरंजन
* चुंगी
* प्रवेश कर

} GST

• संघ सूची

1. संघ सरकार के द्वारा लगाया (Levy) परन्तु राज्य सरकार के द्वारा वसूला जायेगा और राज्य के द्वारा उपयोग (appropriated) किया जायेगा।

* औषधि सामग्री एवं सौंदर्य प्रसाधन पर लगने वाला उत्पाद कर जो 101 संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित करके GST प्रतिस्थापित कर दिया गया।

2. संघ सरकार द्वारा लगाया गया लेवी एवं संघ सरकार द्वारा संग्रह किया जायेगा परन्तु राज्यों को दिया जायेगा।

• अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाले कर जिसे IGST का नाम दिया गया है (Art 269(A))

• इन करों के विभाजन का अनुपात GST परिषद के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3. संघ सरकार के द्वारा लगाया गया (Levy) एवं संग्रहित किया जायेगा तथा जिसका संघ और राज्य के बीच विभाजन किया जायें। (Art 270)

संघ राज्य वित्तीय संबंधों में प्रमुख संवैधानिक संशोधन:-

- 80वें संविधान संशोधन के बाद पहली बार सभी संघीय करो को संघ और राज्यों के बीच विभाजनीय बना दिया गया।
- 88वाँ संविधान संशोधन जिसके द्वारा पहली बार सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। (268 A) लेकिन 101 संविधान संशोधन द्वारा 268(A) को समाप्त कर दिया गया।
- स्वतंत्रता के बाद संघ राज्य वित्तीय संबंधों में सबसे निर्णायक परिवर्तन 101 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया। जिसके Art 246(a) 269(a) 279(a) जोड़ा गया। GST
- 246 (a) :- भारतीय राज्य कोषीय संघवाद में 246 (a) के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। जिसके अन्तर्गत संघ एवं राज्य को GST लगाने का अधिकार है।

संघ राज्य के बीच करों ~~के बीच~~ का विभाजन :-

- संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन के लिए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान किए गए जिसके अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन किया जायेगा जिसके अध्यक्ष एवं चार सदस्य होंगे।
- वित्त आयोग के संरचना का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है परन्तु 1951 संसद ने विधि निर्माण के द्वारा इसकी संरचना का उल्लेख किया है।
- वित्तीय आयोग अध्यक्ष की योग्यता :-
- इसका अध्यक्ष सामान्य विषयों का जानकार होगा।
- एक सदस्यी उच्च न्यायालय की योग्यता वाली व्यक्ति होना चाहिए।
- एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री।
- संघ सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक विषयों का जानकार।
- संघ सरकार के लेखाओं का विशेषज्ञ

* वित्त आयोग के कार्य :-

- केन्द्रीय करों का ~~संघ~~ संघ एवं राज्य के बीच विभाजन।
- संघ के द्वारा लिए जाने वाले अनुदान ~~सिद्ध~~ के सिद्धांत का निर्माण।
- राज्य की संचित निधि से पंचायती संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए अनुशंसा।
- राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता की अनुशंसा।
- राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में वित्तीय आयोग से परामर्श लिया जा सकता है। (Terms of Reference)

* वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच केन्द्रीय करों का विभाजन

(A) केन्द्रीय करों से 29 राज्यों से प्राप्त होने वाला हिस्सा - 42%

~~(B) वितरण का आधार~~

(i) आय - दरी → 50%

(ii) जनसंख्या - 1971 → 17.5%

(iii) जनसंख्या 2011 — 10%
(iv) क्षेत्र → 15%
(v) वन क्षेत्र → 7.5%

* राज्यों को प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधन

1. राज्य सरकार के द्वारा आरोपित और वसूला गया कर।
2. केन्द्रीय करों में से राज्यों को प्राप्त होने वाला हिस्सा।
3. वित्तीय आयोग के अनुशंसा पर राज्यों को मिलने वाले अनुदान।
4. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं द्वारा प्राप्त होने वाला पैसा।

* राजकोषीय संघवाद में संघ राज्य संबंध

1. संघ राज्य वित्तीय संबंधों में संघ के द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान संघराज्यों की संघ पर निर्भरता ~~फर्द~~ प्रदर्शित करता है और राज्य कल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित ~~करने के लिए संघ की वित्तीय सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए राज्यों~~

को सातवीं अनुसूची से प्राप्त स्वायत्त शक्तियाँ अप्रसांगिक प्रतीत होती हैं।

- अतः आलोचकों ने कहा है कि भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति <u>नगरपालिकाओं की भाँति</u> हैं।

- उदारीकरण के बाद भारतीय संघीय व्यवस्था में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है जबकि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश कम है। इसलिए राज्यों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें सुशासन अपनाना चाहिए तथा आर्थिक विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा अ. निवेश आकर्षित करना होगा। यह तभी संभव होगा जब संघ और राज्य के बीच सहकारिता अथवा सहयोग को बढ़ावा दिया जाय। इसलिए वर्तमान में

~~सह संघ राज्य के बीच सहयोग के~~
~~साथ साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की~~

आवश्यकता है जहाँ प्रत्येक राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे तथा **Team India** के रूप में काम करेंगे।

निष्कर्ष :-

शक्तिशाली संघीय सरकार राज्यों के हितों की विरोधी नहीं है। राज्यों को शक्तिशाली बनाने के लिए संघ सरकार की शक्तियों में कमी करने की आवश्यकता नहीं है वास्तविक रूप में संघ राज्यों का ही समूह है जिनके बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

सहकारी संघीय शासन # (Cooperative Federation)

I संघीय शासन

संघ	राज्य
विधि निर्माण	विधि निर्माण
PM	CM

⇓ (लोकव्यवस्था)

II

1. संघ एवं राज्यों के बीच परस्पर सहयोग
2. विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग
   - प्रशासनिक
   - वित्तीय

अन्तर्राज्यीय परिषद (Interstate Council)

भारतीय संविधान में संघ राज्य के बीच सहयोग एवं सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 263 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया जायेगा। जिसके निम्नलिखित कार्य उल्लेखित हैं -

A) संघ एवं राज्यों के बीच अथवा विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जाँच तथा उस संबंध में सलाह देना।

B) विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान साझे हितों की खोज करना तथा इनपर चर्चा करना

c) उपरोक्त विषयों से संबंधित नीति निर्माण की मुद्दे पर आपसी सहयोग।

संरचना (1990)

1. प्रधान मंत्री	2. 6 कैबिनेट मंत्री	3. सभी राज्यों के मुख्य मंत्री	4. दिल्ली एवं पाडुचेरी मुख्यमंत्री
संघ सरकार (7)		(29)	(2)

5. केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासक

अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक बुलाने का दायित्व गृह सचिव को दिया गया है क्योंकि इस बैठक को सम्पूर्ण (समुचित) सचिवालयी सहायता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है।

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठकों को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए परिषद की स्थायी समिति (Standing Committee) का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्री अध्यक्ष होंगे अन्य चार कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किये गए तथा 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है।

भूमिका :-

- भारत में संघ राज्य के बीच बेहतर संबंध के लिए सहकारिया आयोग (1983) तथा MM पंछी आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना तथा उसे क्रियान्वित करना।
- वर्तमान आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए संघ एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है।

- परिषद के बैठक में आधार कार्ड के प्रयोग पर विचार किया गया जिससे लोगों को कल्याणकारी सुविधा प्रदान की जा सके

भारत में शिक्षा की एक समान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग पर बल दिया गया और यह भी उल्लेख किया गया कि परिषद के प्रभावी प्रयोग से नदी जल विवादों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है।

समस्या :-

- अन्तर्राज्यीय परिषद की संरचना अस्थायी है। जहाँ इसकी बैठकें आपसी सहमति के द्वारा निर्धारित होती है और विशेष परिस्थितियों एवं समस्याओं को देखते हुए बैठकें आयोजित की जा सकती है।

- आलोचकों के अनुसार परिषद का सचिवालय गृह मंत्रालय में स्थित है जिससे संघ सरकार की शक्तियाँ निर्णायक हो जाती है तथा राज्य सरकारें को सामर्थ महसूस नहीं करते हैं।

- अंत में संघ राज्य के बीच सहयोग के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए जबकि संघ राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच गहरे मतभेद सहयोग के मार्ग में बाधा बन जाते है।

जोनल परिषद (Zonal Council)

(क्षेत्रिय)

① - स्थापना — 1956

- संसदीय अधिनियम के द्वारा (Statuary संविधिक)

↓

② - भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

③ - सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी समस्याओं को हल करने के लिए तथा राज्यों के बीच सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाया गया।

* पूरे भारत में पाँच भागो में विभाजित

- पूर्व
- पश्चिम
- ~~उत्तर~~
- दक्षिण

संरचना

① गृहमंत्री
पदेन अध्यक्ष
पांचों परिषदों
का अध्यक्ष

② • प्रत्येक परिषद में
शामिल राज्यों के
मुख्य मंत्री
[उपाध्यक्ष]

• प्रत्येक राज्य से
दो मंत्री

• प्रत्येक राज्य का
मुख्य सचिव

• नीति आयोग के
एक सदस्य।
(विकास आयुक्त)

* कार्य / भूमिका *

- क्षेत्रिय परिषदें संघ राज्य के बीच एवं विभिन्न राज्यों के बीच सामाजिक आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करेंगे।
- अन्तर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देना।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याएँ तथा राज्य पुनर्गठन से संबंधित विषय।

सभी क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय गृह मंत्रालय में स्थित है तथा वर्तमान संघीय व्यवस्था।

में आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में विभिन्न राज्यों के बीच राजमार्ग सम्पर्क बेहतर करने के लिए परस्पर सहयोग हो सके हैं।

पूर्वोत्तर परिषद (North Eastern Council)

1. असम
2. 1963- नागालैंड

मिजोरम
मेघालय
मणिपुर / त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश

* 1971 में
– संसदीय अधिनियम से बना (Statuary)

* संरचना *

(i) अध्यक्ष → पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का मंत्री
(ii) पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल
(iii) परिषद में शामिल प्रत्येक राज्यों के मुख्य मंत्री
(iv) राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत तीन सदस्य।

पूर्वोत्तर परिषद की कार्य एवं भूमिका

- परिषद के द्वारा संघ एवं राज्य के बीच सहयोग एवं सहकारिता बढ़ाने के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नोडल एजेंसी था केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए तथा योजना निर्माण के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य किया जाता है।

- परिषद के द्वारा बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिषद का सकारात्मक योगदान है।

- पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय शिलांग में है। और लगभग 30 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद की बैठक को संबोधित ~~किया गया।~~

नीति आयोग (NITI आयोग)

योजना आयोग :- (विधानेतर, संविधानेतर)

संवैधानिक (अन्तर्राज्यीय परिषद)
- अनुच्छेद
- मूल संशोधन

संविधानेतर (Extra-Constitution)
- संसदीय विधि → सांविधिक Statutory → महिला आयोग → संविधानेतर
- कार्यपालिका द्वारा स्थापित → न तो संविधान में है और न ही विधि में उल्लेख है। → विधानेतर संविधानेतर e.g → नीति आयोग

⇓

प्रधान मंत्री (अध्यक्ष)

⇓

उपाध्यक्ष = अर्थशास्त्री ⇒ सचिव IAS

⇓

4-5 सदस्य

प्रकृति :-

- विशेषज्ञता आयोग (विशेषज्ञ संस्था)
- अखिल भारतीय संस्था
- केन्द्रीय नियोजन
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के पास भेजा जाता था।
  - प्रधानमंत्री
  - मंत्रीमंडल
  - ① राज्यों की मुख्यमंत्री ② प्रशासक

* **कार्य :-**

1. राज्यों के योजना के आकार का निर्धारण
2. राज्यों को प्राप्त अनुदान।
3. किसी सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना।
4. राज्यों को पैसा का आवंटन और योजना

के क्रियान्वयन पर निगरानी ।

समस्या :-

1. योजना आयोग विशेषज्ञों के स्थान पर नौकरशाहों को शामिल किया गया।
2. वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का ह्रास / अवमूल्यन
3. केन्द्रीय नियोजन के द्वारा राज्यों की स्वायत्तता क्षतिग्रस्त हुई।

ATUL PHOTOSTAT

नीति आयोग # (National Institution for Transforming India)

NITI

- क्षेत्रीय परिषद → क्षेत्र के राज्यों की आवश्यकतानुसार बैठक बुलाया जा सकता है।
- शासकीय परिषद → राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अध्यक्ष – प्रधानमंत्री
  - ⇓ उपाध्यक्ष → अरविंद पनगढ़िया
  - ⇓ CEO → अमिताभ कांत (IAS) →
- (1) स्थायी सदस्य
- (2) अस्थायी सदस्य
- (3) 4 कैबिनेट मंत्री मनोनीत
- (4) विशेष व्यक्तियों को आमंत्रित

कार्य :-

(i) नीति आयोग के द्वारा सहयोगी संघीय शासन के विचार को प्रभावी बनाया गया है क्योंकि शासकीय परिषद के द्वारा पहली बार योजना निर्माण में राज्यों को समान भूमिका प्रदान की गई है।

उदाहरण – स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए तथा गरीबी निवारण के लिए मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में Task Force का गठन किया गया।

ATUL PHOTOSTAT
9540928336, 9540161939

(ii) नीति आयोग के द्वारा योजना में 'बोटम टू टॉप' दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है तथा सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे प्रत्येक राज्य पर्यटन, निवेश, विकास में दूसरे से आगे निकल सके।

(iii) अब नीति आयोग 'Think Tank' की भूमिका में होगा जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया जायेगा जबकि वित्त का हस्तांतरण का दायित्व वित्त मंत्रालय को दिया गया है

GurusNotes.com

(iv) नीति आयोग के द्वारा भारत में क्षेत्रीय विविधता एवं भौगोलिक भिन्नता को भी ध्यान में रखा गया है इसलिए क्षेत्रिय परिषदों का भी प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार क्षेत्र विशेष में होने वाले परेशानियों के लिए मुख्य मंत्रियों की पृथ्थक बैठक बुलायी जा सकती है।

संघीय शासन के समक्ष विद्यमान चुनौतियां :-

अन्तर्राज्यीय जल विवाद :-

संवैधानिक प्रावधान :-

- जल विवादों को हल करने के लिए संविधान में विशिष्ठ प्रावधान किया गया है जबकि संघीय विवादों को हल करने का मूल दायित्व उच्चतम न्यायालय का है। (Art 131)

- अनुच्छेद 262 में यह उल्लेखित है कि जल के वितरण, उपयोग अथवा विवाद को हल करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जायेगा तथा संसदीय विधि के द्वारा इसे न्यायिक पुनरावलोकन से भी बाहर रखा जा सकता है।

संसदीय विधि :-

- 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के साथ ही नदी जल विवादों को हल करने के लिए पृथक अधिनियम का निर्माण किया गया

- वर्तमान में कैबिनेट के द्वारा 1956 के अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसको

मूल विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

i) अब एक स्थायी अधिकरण का गठन किया जायेगा जिसमें अनेक बैंच स्थापित की जायेगी। यह बैंच उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के द्वारा बनेगी और विवाद समाप्त होने पर उस बैंच को विघटित कर दिया जायेगा।

ii) नदी जल विवाद को हल करने के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है जिसमें इंजीनियर एवं जल विशेषज्ञ शामिल होंगे। और विवाद को पहले इस समिति को सौंपा जायेगा। यदि समिति सुलह के द्वारा इसका समाधान न कर सके तो इसे न्यायधीशों को सौंपा जायेगा।

iii) विवादों को हल करने के लिए अधिकतम तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित किया गया है और निर्णय के बाद न्यायपालिका के जाने का कोई विकल्प नहीं होगा।

iv) अधिकरण के निर्णय देने के साथ ही

यह स्वाभाविक रूप में अधिसूचित हो जायेगा जिसके लिए पृथक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं।

नदी जलविवाद और उच्चतम न्यायालय

1) संविधान में नदी जल विवादों को उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता से बाहर रखने का प्रावधान है फिर भी कावेरी जल विवाद, SYCL, मुल्ला-पेरियार बाँध के विवाद SC तक पहुँच गए।

ATC PHOTOSTAT

2) अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की इजाजत दे सकता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को जब विवाद में शामिल पक्षों को मानने से मना कर दिया तो इसे क्रियान्वित करने के लिए विवाद में शामिल पक्षों ने उच्चतम न्यायालय का ~~सहारा लिया।~~

3. नदी जल विवाद को हल करने के लिए अधिकरण के गठन के बाद उच्चतम न्यायालय में जाना संभव नहीं है परन्तु अधिकरण के गठन के पहले अंतरिम राहत विवाद में शामिल राज्य उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं।

नदी जल विवाद अधिनियम 1956, Act
↓
संशोधन

प्रक्रिया (Procedure) राज्य अधिकरण (3) विचार

मूलतत्व (substance) – आधार

निष्कर्ष :–

नदी जल विवाद मूलतः एक राजनीतिक समस्या है जिसके समाधान के लिए वैधानिक एवं न्यायायिक विकल्पों के अलावा अन्तर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद जैसी राजनीतिक तरीकों का भी प्रयोग करना चाहिए।

संरचना — न्यायधीश।
Structure स्थायी/अस्थायी

Function (प्रकार्य)

*) प्रस्तावित स्थायी अधिकरण में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होंगे।
↓
– उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
– HC के मुख्य न्यायाधीश।

जल को समवर्ती सूची में शामिल करने का विकल्प :–

* आलोचकों के अनुसार जल राज्य सूची का विषय है परिणाम स्वरूप राज्यों के बीच विवाद बने रहते हैं। परन्तु राज्य सूची ~~के विषय को समवर्ती सूची में~~ शामिल करने से राज्यों के शक्तियों

में कटौती होगी जो सहयोगी संघवाद की ~~अव~~धारणा के विरुद्ध है। जिससे भारतीय संघ में केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी।

* आलोचकों के अनुसार 1956 के संसदीय अधिनियम में 'नदी बोर्ड/रिवर बोर्ड' के ~~ग~~ गठन का प्रावधान था जिसे संघ सरकार आज तक गठित नहीं कर पायी।

* केन्द्र राज्य संबंध पर स्थापित सरकारीया में तो यहां तक कहा है कि संघ सरकार को समवर्ती सूची में विधि निर्माण से पूर्व राज्यों से परामर्श करना चाहिए।

निष्कर्ष :—

संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है परन्तु इस कार्य से संघ राज्य के बीच सहयोग और विश्वास के बजाय संघर्ष और अविश्वास बढ़ेगा जो टीम इंडिया के विचार के प्रतिकूल है।

विषम संघीय शासन
(Asymmetrical Federal Government)

* 5वीं अनुसूची

* अनुसूचित क्षेत्र (Schedule Area)

1. जनजाति या आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र का नाम दिया गया जिसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है और पाँचवी अनुसूचि में जनजातीय परिषद का उल्लेख किया गया है जिसके 20 सदस्य होंगे। जिसमें $\frac{3}{4}$ चौथाई सदस्य विधान सभा के जनजाति सदस्य होंगे तथा शेष राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जायेंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है जिसके अन्तर्गत वह संसद द्वारा निर्मित कोई विधि अथवा राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित किसी

GurusNotes.com

विधि को परिवर्तित कर सके।

PESA (Panchayati Extension in Scheduled Area)

1. दिलीप सिंह भूरिया आयोग की अनुशंसा के बाद जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए पंचायती राज के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय किया गया। ([illegible] संशोधन)

2. पंचायती राज्य के प्रावधान को जनजाति क्षेत्रों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया और जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए —

   1. PESA के अन्तर्गत ग्राम सभा को ग्रामीण शासन के लिए केन्द्रीय महत्व दी गई। और गाँव की जमीन अधिग्रहीत करने के लिए खान (Mining) से कोई पदार्थ निकालने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। गाव में शराब का विक्रय

साहूकारी व्यवस्था पर भी ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

2. अल्प वन्य उत्पादों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा तथा ग्राम सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान होगा जिसके अनुसार ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय से होगा।

आलोचना :-

1. संघीय शासन का पांचवी अनुसूची के द्वारा विकेन्द्रीकरण जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए समस्या पैदा कर है क्योंकि निजी निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को इन क्षेत्रों में निवेश की अनुमति नहीं मिल पा रही है।

2. आलोचकों के अनुसार PESA के क्रियान्वयन में उसके मूल भावना का उल्लंघन किया गया है क्योंकि ग्राम सभा से शक्तियाँ छीन कर अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई है

6ठी अनुसूची # (Tribal Area)

* जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया।

(i) Assam (ii) मेघालय (iii) Tripura (iv) Mizoram

1. 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित जनजाति समुदाय के संस्कृति की रक्षा तथा स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए इन राज्यों में जनपद परिषदों का गठन (District Council) किया गया है। जनपद परिषद में 30 सदस्य होंगे।

2. इन सदस्यों का निर्वाचन जनपद की वयस्क जनता के द्वारा किया जायेगा।

3. इस परिषद में चार सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इस परिषद के द्वारा निम्न लिखित विषयों पर विधि का निर्माण किया जायेगा —

A) भूमि पर स्वामित्व, प्राकृतिक संसाधन

B) साहूकारी को नियंत्रित करना, मद्य पदार्थ या शराब के बेचने पर प्रतिबंध

c) सामाजिक और वैवाहिक परम्पराओं का निर्धारण।

इसलिए जनपद परिषदों को लघु एवं स्थानीय विधानसभा कहा जा सकता है और जनपद परिषद का प्रधान राज्य के मुख्यमंत्री के समान होगा।

4. इन राज्यों के राज्यपाल के द्वारा जनपद परिषद में लागू होने वाली विधियों को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है।

ATUL PHOTOSTAT
9310552336, 9410487939

5. विधायी कार्यों के अलावा परिषद को कार्यपालिका की शक्तियाँ भी प्रदान की गई है अतः इन विषयों के प्रशासन का अधिकार भी परिषद का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषय के संबंध में परिषद को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है और परिषद के न्यायपालिका के द्वारा जनजातीय समुदाय से संबंधित विवादों को हल किया जायेगा। और न्यायायिक व्यवस्था का संचालन जनजातीय के कबीलों के मुखिया के द्वारा किया जायेगा।

निष्कर्ष :-

छठीं अनुसूची के द्वारा संघ शासन के तीसरे स्तर का निर्माण किया गया है शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया है तथा आधारभूत लोकतंत्र के साथ सामुदायिक सांस्कृतिक अधिकारों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

नागालैंड का विवाद

ATUL PHOTOSTAT
9540528336 9540447939

1. नागालैण्ड के संबंध में संवैधानिक प्रावधान :-

1. नागालैण्ड का निर्माण पृथक राज्य के रूप में ~~नि~~ 1963 में हुआ परन्तु नागालैण्ड 6 वीं अनुसूची के राज्यों को प्राप्त सभी प्रकार की स्वयत्तता प्रदान की दी गई। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 371(A) में किया गया है।
2. इसके अनुसार नागालैण्ड विधान सभा को निम्नलिखित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार होगा -

A) अपराधिक विधि एवं सिविल विवाद से संबंधित विधि।

B) प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण ।

C) वैवाहिक परम्पराओं का निर्धारण ।

D) सामाजिक परम्पराओं को सुनिश्चित करना ।

II विवाद कहाँ-कहाँ हुआ

1 नागालैंड में होने वाले नगरपालिका निर्वाचन में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा से अत्यधिक राजनीतिक संघर्ष पैदा हो गया। सरकार का तर्क है कि महिला सशक्तिकरण के लिए नगर पालिकाओं में आरक्षण आवश्यक है क्योंकि 60 सदस्यी विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं है।

2. सरकार का यह भी तर्क है कि उच्च न्यायालय के द्वारा भी महिला आरक्षण के लिए सरकार को निर्देश दिया गया था।

नागाओं का तर्क

1. नागाओं के अनुसार सामाजिक परम्पराओं को परिभाषित करने का अधिकार न

तो विधान सभा को है और न ही उच्च न्यायालय को है बल्कि इसका निर्धारण नागा हो-हो परिषद के द्वारा किया जायेगा।

2. नागाओं का तर्क है उन्हें संविधान से स्वायत्तता प्राप्त है और सरकार नागा परम्पराओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

3. नागाओं का यह भी कहना है कि नागा परिषद और सरकार के बीच इस मुद्दे पर पहले समझौता हो चुका था जिसका उल्लंघन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

ATUL PHOTOSTAT

निष्कर्ष :-

सामाजिक परम्पराओं के नाम पर महिला सशक्तिकरण को बाधित करना तार्किक और संवैधानिक नहीं है परन्तु नागाओं की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार-विमर्श और आम सहमति बनाने की आवश्यकता है न कि ऊपर से थोपने की।

राज्यपाल का पद # अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 356 :-

- संघ सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्यों की आंतरिक गड़बड़ी एवं बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगी। (Art 355)

- संघ सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। कि राज्य का शासन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होना चाहिए यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर अथवा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के समुचे प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जायेगा।

संवैधानिक तंत्र की विफलता के अभिप्राय

1. यदि छः महीने की अवधि में विधान सभा का सत्र आयोजित न हो सके, विधान सभा में मांग पारित न हो सके, विधान सभा में विश्वास खोने वाली सरकार भी सत्ता में बनी रहे।

2. उच्चतम न्यायालय के द्वारा S.R.बोम्मई वाद 1994 में यह स्पष्ट कहा गया कि भ्रष्टाचार प्रशासनिक अक्षमता संवैधानिक तंत्र की विफलता बिल्कुल नहीं है और प्रशासनिक तंत्र की असफलता पर Art.356 का प्रयोग असंवैधानिक है।

3. न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग आखरी विकल्प के रूप में होना चाहिए और सरकार का बहुमत न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल के विवेक का विषय है बल्कि यह विधान सभा के पटल पर सिद्ध होना चाहिए।

4. उच्चतम न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया तो भंग (Dissolve) विधानसभा को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

5. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच न्यायपालिका नहीं करेगी।

~~6. लेकिन मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह~~

के वस्तुनिष्ट आधारों की सलाह की जाँच की जायेगी।

7. पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत लक्षण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संघीय शासन भी संविधान का आधारभूत लक्षण है यह केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं है।

8. न्यायालय के अनुसार अनु० 356 के प्रयोग के बाद विधान सभा तभी भंग होनी चाहिए जब संसद के दोनों सदन 356 के लागू होने को अनुमोदित कर दे।

ATUL PHOTOSTAT
9540028498, 9540021939

संघ राज्य संबंध और राज्यपाल

1. जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ शासन का संवैधानिक प्रधान है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राज्य शासन का संवैधानिक प्रधान है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को संघ एवं राज्य के ~~बीच~~ बीच के कड़ी भी माना जाता है।

2. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति

के द्वारा होती है।

3. राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा परन्तु वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयन्त तक कार्य करेगा (Pleasure)

इस दुरुपयोग को रोकने के लिए केन्द्र राज्य संबंधो पर गठित आयोग पुंछी आयोग (Pucchhi Commission) ने यह सलाह दिया कि संविधान से राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयन्त तक शब्द को हटा दिया जाय और राज्यपाल को हटाने का अधिकार विधान सभा को देना चाहिए।

ATUL PHOTOSTAT
9810 ..336, 9540467...

सरकारीया आयोग द्वारा संघ राज्य संबंधों में विवाद को कम करने के लिए तथा राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखि अनुशंसाएँ की है। —

A) राज्य का राज्यपाल स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। और संघ सरकार के द्वारा अपने दल से संबंधित व्यक्ति को विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपाल के रूप ~~मे नियुक्ति नहीं~~ करना चाहिए।

B) राज्यपाल कोई विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए।

C) यदि पाँच वर्षों से पूर्व राज्यपाल को हटाया जा रहा है तो संघ सरकार द्वारा संसद के समक्ष राज्यपाल को पद से हटाने का विशेष कारणों का उल्लेख करना होगा।

सरकारीया आयोग ने विधान सभा में किसी भी एक दल के बहुमत के अभाव में राज्यपाल के समक्ष विद्यमान निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत किए हैं।

A) इकहरा सबसे बड़ा दल।

B) चुनाव पूर्व गठबंधन।

C) चुनाव बाद का गठबंधन।

यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि सरकारीया आयोग ने यह भी कहा है कि सरकार का बहुमत विधान सभा के पटल पर सिद्ध होना चाहिए।

बी. पी. सिंघल (2010) वाद :-

उच्चतम न्यायालय के अनुसार संघ सरकार में बदलाव से राज्यपाल का बदलाव

बिल्कुल उचित नहीं है।

राज्य के राज्यपाल का परिवर्तन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि संघ सरकार की विचार धारा और राज्य सरकार के विचार धारा में अन्तर है।

संघ सरकार के परिवर्तन के साथ राज्यपाल का परिवर्तन न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है।

निष्कर्ष :-

संघ राज्य संबंधों में राज्यपाल और अनुच्छेद 356 के अनु प्र दुरुपयोग पर न्यायपालिका के सक्रियता के कारण तथा संघ में गठबंधन सरकार आने के बाद बड़ा प्रतिबद्ध आरोपित हुआ है। और इन प्रावधानों का दुरुपयोग संघीय संविधान के विरुद्ध है अपितु सहकारी संघवाद के विचार के लिए हानिकारक है। और राज्यपाल संघ का एजेंट नहीं संघ का प्रतिनिधि है।

अनुच्छेद 370 * जम्मु-काश्मीर *

देशी रियासतों के एकीकरण

- हैदराबाद = हिन्दू बहुमत → भारत (शासक-मुस्लिम)
- जूनागढ़ = हिन्दू बहुमत → भारत (शासक मुस्लिम)
- काश्मीर = मुस्लिम बहुमत → (शासक - हिन्दू)

↓

Instrument of Merger

विलय पत्र हस्ताक्षर (Instrument of Accession) पर मदद की घोषणा।

ATUL PHOTOSTAT
9540521336,9540487239

↓

मामला सुरक्षा परिषद में चला गया।

Instrument of Accession →
- रक्षा
- विदेश
- संचार

में संघ का अधिकार होगा।

भारतीय संविधान के परिपेक्ष्य में

संवैधानिक प्रावधान

1. संविधान के संक्रमणकालीन भाग (21) अनुच्छेद 370 का उल्लेख है जिसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा निर्मित विधियाँ काश्मीर के लिए तभी लागू होगी जब उसे कश्मीर विधान सभा स्वीकार करें।
2. अनुच्छेद 370 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भी प्रावधान को जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है बशर्ते जम्मू कश्मीर विधान सभा इसे स्वीकार करें। और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति आदेश दे सकता है इसे जम्मू कश्मीर की संविधान सभा स्वीकार करे।

कश्मीर का शासन

* कश्मीर में संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। जिसके अनुसार ~~सदरिय~~ रियासत (Governor) तथा वजीर-ए-'सदर-ए-रियासत'

आजम (Prime minister) पद का प्रावधान किया गया। सदर-ए-रियासत का निर्वाचन कश्मीर विधानसभा के द्वारा किया गया।

* कश्मीर के संविधान में यह उल्लेखित किया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

संघ सरकार का कश्मीर पर बढ़ता प्रभाव

1. कश्मीर के संविधान लागू होने के दौरान संघ शासन का केवल तीन विषयों पर नियंत्रण था लेकिन 1965 के बाद संघ का कश्मीर के निम्नलिखित विषयों पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया

(A) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों (CAG) का विस्तार कर दिया गया।

(B) संघ लोक सेवा आयोग के कार्य भी (UPSC) कश्मीर पर लागू हो गया।

(C) सदर-ए-रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी।

वजीर-ए-आजम का नाम परिवर्तित कर मुख्य मंत्री कर दिया गया।

(d) अनुच्छेद 356 भी कश्मीर पर लागू कर दिया गया।

कश्मीर की स्वायत्तता का अभिप्राय

1. कश्मीर के एक समूह का यह मानना है कि कश्मीर को भारतीय संविधान लागू होने की बाद की स्वायत्तता चाहिए जब संघ शासन का कश्मीर के केवल तीन विषयों पर नियंत्रण था।

2. जबकि भारतीय सरकार का तर्क है कि कश्मीर को आर्थिक विकास के लिए ज्यादा सहायता दी जायेगी

तथा कश्मीर से क्रमिक रूपसे AFSPA हटाने पर विचार होगा तथा मानव अधिकारों का हनन शून्य किया जायेगा।

अनुच्छेद 370

1. अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के संक्रमणा-कालीन प्रावधानों में उल्लेखित है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यह अल्पकालीन प्रावधान है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

ATUL PHOTOSTAT
9540528434 9540151939

2. अनुच्छेद 370 के विरोधी यह भी मानते है कि इस प्रावधान के कारण संसद द्वारा निर्मित प्रगतिशील विधियाँ कश्मीर पर लागू नहीं हो पाती वहाँ निवेश आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न होती है और सबसे बढ़कर यह प्रावधान अलगाववादियों को प्रोत्साहित करता है।

पक्ष में :-

1. यह सत्य है कि अनुच्छेद 370 संक्रमणकालीन भाग में उल्लेखित है लेकिन इसका उल्लेख इस भाग में इस लिए किया गया था क्योंकि तत्कालीन समय में कश्मीर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के लिए यह जनमत संग्रह के लिए लंबित था।

ATUL PHOTOSTAT
9540628336

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में यह भी उल्लेखित है कि इसे तभी समाप्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति के आदेश को कश्मीर की संविधान सभा समर्थन करे जबकि संविधान सभा का पहले ही विघटन हो चुका है।

भारत एक विविधता पूर्ण देश है जहाँ इन विविधताओं के समायोजन के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष स्वायत्तता है तो

जम्मू कश्मीर की स्वयत्तता पर सवाल उठाना राजनीतिक हितों से प्रेरित मालूम पड़ता है।

निष्कर्ष :-

कश्मीर भारतीय संघ का एक भाग है परन्तु विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण 370 के द्वारा इसे विशेष स्वायत्तता दिया गया है जिसे समाप्त करना न संवैधानिक रूप में संभव है न ही राजनीतिक रूप में विवेकपूर्ण है।

दिल्ली का विवाद

(i) संघ शासित क्षेत्र (Union Territory) :-

(ii) जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है।

(iii) यह National Capital Territory है।

* संसद * राष्ट्रपति भवन * उच्चतम न्यायलय * Foreign Embassy (दूतावास) * तीनो सेनाओं का मुख्यालय

दिल्ली की संघ शासित क्षेत्र के रूप में विशेषता :-

* दिल्ली का मुख्य प्रशासक उप-राज्यपाल होता है।
* उपराज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है इसलिए उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली में लोकतंत्र का समावेश

* दिल्ली अभी भी केन्द्र शासित क्षेत्र ही है लेकिन 69वे संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 (A)(a) के द्वारा दिल्ली में विधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया जिससे उप राज्यपाल को प्रशासन में

सलाह और सहायता देने के लिए एक मुख्यमंत्री और मंत्री मंडल का गठन होगा।

* दिल्ली का प्रतिनिधित्व में भी सुनिश्चित कर दिया गया। तथा दिल्ली विधान सभा को शासन के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर विधि के निर्माण का अधिकार दे दिया गया सिवाय भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था पर संघ शासन का ही नियंत्रण बना रहा।

संघ और दिल्ली के बीच विवाद

1. दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा केन्द्र और दिल्ली के विवाद को हल करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया —

A) दिल्ली के प्रशासन का वास्तविक प्रधान उपराज्यपाल है क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं केन्द्र शासित क्षेत्र है। मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं है अतः उपराज्यपाल प्रशासन में सदैव

अपने विवेक का प्रयोग करेगा।

B) दिल्ली सरकार के द्वारा स्थापित 'भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो' की जाँच की दायरे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया। न्यायलय ने इसे भी अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

C) दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में घोटाले की जाँच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे भी असंवैधानिक कहा और कहा यह दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर का विषय है। अतः संघ और दिल्ली के बीच विवाद ने भारतीय संघ के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की।

Traditional Quation

Q. यद्यपि Federal सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के आधारभूत लक्षणों में से एक है परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल संघवाद के संकल्पना के विरोध में है चर्चा कीजिए।

उत्तर:-

(1) संघीय शासन आधारभूत लक्षण

ATUL PHOTOSTAT
95405 18336,95404 19539

(2) शक्तिशाली संघ — विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय

(3) क्या शक्तिशाली संघ और राज्य विरोधी तो नहीं

Q. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा। इस पर प्रकाश डालें।

उत्तर :-

1 सहकारी संघवाद

(i) — अन्तर्राज्यीय परिषद
(ii) — क्षेत्रीय परिषद
(iii) — पूर्वोत्तर परिषद

(2) दो लाइन में लिखा

• संकल्पनात्मक एवं सैद्धान्तिक।
— संवैधानिक योगदान के आधार

2 समस्या क्या है :-

(i) अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषदें मंत्रालय गृह मंत्रालय में स्थित है जहाँ संघ सरकार की शक्ति प्रभावशाली हो जाती है

(ii) अन्तर्राज्यीय परिषद अभी भी अस्थायी संस्था है क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित है।

3. समाधान :-

संघीय व्यवस्था में संघ राज्य सहयोग को बढ़ावा देने का सबसे बेहतर माध्यम राजनीतिक दल है और संघ एवं राज्य के दलों के बीच आपसी सहयोग द्वारा सहकारी संघीय शासन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है।

Q. अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने एवं हल करने में असफल रही हैं। क्या असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है विवेचना कीजिए।

उत्तर :- ① संवैधानिक प्रक्रियाएँ :- अनुच्छेद → 262 → इसी के आधार पर संसद जल विवाद अधिनियम

② संरचनात्मक
→ अधिकरण → ③

③ प्रक्रियात्मक। राज्य → अनुरोध

संघ द्वारा अधिकरण का गठन
– 1 वर्ष के अंदर

निष्कर्ष :- नदी जल विवाद के उत्पन्न होने का मूल कारण राजनीतिक है इसलिए संरचना एवं प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए संशोधन सुझाए गए हैं। परन्तु राजनीतिक सहयोग के बिना संरचना और प्रक्रिया में सुधार भी पर्याप्त नहीं होगा।

Q. जिस प्रशासनिक कुशलता बेहतर करने के लिए नए जनपदों का निर्माण होता है छोटे राज्य भी इसे बढ़ावा देने में सहायक होंगे। चर्चा करें।

- → जनपद प्रशासनिक कुशलता
- → छोटे राज्यों के निर्माण
- → कुशलता / अकुशल

: संकल्पनात्मक प्रश्न -

ATUL PHOTOSTAT

Q. नीति आयोग संघ राज्य के बीच सहकारिता बढ़ाने का नया माध्यम है इसके बावजूद संघ राज्यों के बीच सहयोग के बजाय विवाद ज्यादा है उदाहरण सहित बतलाइए।

Q. संघ एवं राज्यों के बीच विद्यमान ~~मुख्य~~ विवाद के मुद्दों का उल्लेख करें इन्हें हल करने के लिए आप किस प्रकार के समाधान प्रस्तुत करें विस्तार से बताए।

घटनाक्रम :-

Q. संघ राज्य के बीच अनुच्छेद 356 सदैव समस्या रहा है क्या इसे समाप्त करने का समर्थन ~~करेंगे। या इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु आप बताएंगे।~~

शक्ति और वित्त का विकेन्द्रीकरण

पंचायती राज्य :-

संघ
- संघीय सरकार
- अखिल भारतीय सेवा
- संसद
  - सांसद (10 लाख लोगों का प्रतिनिधि)
  - विधायक (2-3 लाख लोगों का प्रतिनिधि)
- उच्चतम न्यायालय

↓

नेहरू ने दो मॉडल (विकास के लिए) दिया।
- भारी औद्योगिकरण।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development programme)

↓

बलवंत राय मेहता समिति (सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु।)

→ ग्रामीणों की सहभागिता बेहतर करना होगा।

↓

पंचायती राज (त्रिस्तरीय) ← ग्रामपंचायत

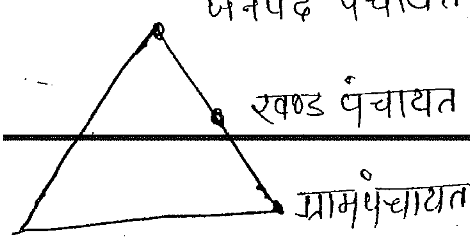

1960 – 70 का दशक पंचायती राज्य के लिए बेहतर नहीं रहा।

पंचायती राज का दूसरा चरण :- 1977

अशोक मेहता समिति का गठन
(जनता पार्टी)

↓

- पंचायती राज का प्रभावशाली बेहतर का उपाय मांगा गया
- दलों को आगे बढ़ाया जाय।

↓

द्वि स्तरीय पंचायती राज

↓

"लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन"
— राजीव गांधी द्वारा।

- संवैधानिक आधार देने की आवश्यकता है।
- 64 संविधान संशोधन पारित किया गया (विपक्षी दलों द्वारा अवरोध)
- इन्होंने दलों को महत्व नहीं दिया।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।

— नरसिंहा राव सरकार

73rd Amendmend की विशेषताएँ:-

(i)— त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई।

ग्राम सभा :- 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक ग्राम सभा के सदस्य हैं।

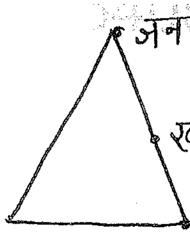

— ग्राम सभा सबसे छोटी पंचायत है।

= संसद सबसे बड़ी पंचायत है।

— Grass root Democracy

— Participative System.

ग्राम सभा :-

— ग्राम सभा के द्वारा भारत में आधारभूत एवं सहभागी लोकतंत्र की स्थापना हुई।

— ग्राम सभा के द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया।

* ग्राम सभा गाँवों की विधायिका की भाँति है जबकि ग्राम पंचायत गाँवों की कार्यपालिका की भाँति है।

* ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन आम जनता के द्वारा किया जाता है। तथा खण्ड पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है। जबकि अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन भी आम जनता द्वारा होता है और इनके अध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

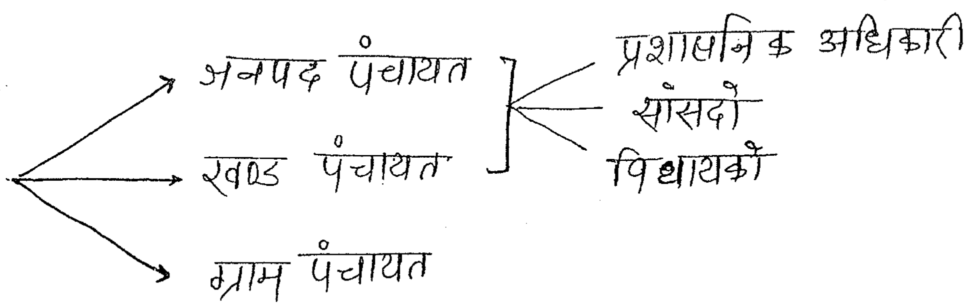

सामाजिक और लैंगिक न्याय

* पंचायती राज केवल एक राजनीतिक उपकरण मात्र नहीं है जहाँ पंचायतों का निर्वाचन पांच वर्षों के लिए होता है तथा लगभग 30 लाख जन प्रतिनिधियों को शासन सत्ता में सहभागिता का अवसर मिला है।

* पंचायती राज के द्वारा राज्य की संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाया गया है और पंचायतों के सभी स्तरों के लिए एक तिहाई महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

ATUL PHOTOSTAT

* राज्य सूची के विषय होने के कारण कई राज्यों ने महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक निर्णायक कदम माना जाता है।

इसके अतिरिक्त 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में पंचायत के सभी स्तर में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और पिछड़े वर्गों के आरक्षण

के लिए राज्य विधानसभा को शक्ति प्रदान की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग

* पंचायतों के निर्वाचन को समय पर आयोजित करने के लिए तथा निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली का निर्माण संशोधन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है। जिसका कार्य केवल पंचायतों का निर्वाचन का आयोजन है।

* निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। परन्तु आयोग के कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति राज्य विधान सभा को प्रदान की गई है।

* निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह प्रावधान संविधान ~~में उल्लेखित है कि उसे उच्च न्यायालय~~ के न्यायधीश की भाँति ही अपने पद से हटाया जा सकता है।

शक्ति का विकेन्द्रीकरण।

(Decentralization of Power)

पंचायती राज के द्वारा संघीय शासन के तीसरे स्तर का निर्माण किया गया है 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए।

- मूलभूत → प्रकाश, सड़क, पेयजल
- सामाजिक न्याय → शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, प्रसूति
- कृषि → कृषि, मछलीपालन, मुर्गीपालन
- उद्योग — लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादीग्राम उद्योग

- उपरोक्त विषयों पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का निर्माण।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न scheme को क्रियान्वित ~~करना~~। Art 243 (G)

GurusNotes.com

- परिणाम स्वरूप मनरेगा का क्रियान्वयन पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन भी पंचायतों को सौंपा गया है। और योजनाओं एवं scheme के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है।

- इसलिए पंचायती राज के द्वारा शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है सूचना अधिकार द्वारा शासन को पारदर्शी बनाया गया है जनता की सहभागिता बढ़ाकर सुशासन अर्जित करने का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया गया है।

- 73वें संशोधन के द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन के विचार को व्यवहारिक बनाया गया है जिसके लिए जनपद नियोजन समिति का गठन किया गया है।

→ जनपद पंचायत — जनपद नियोजन समिति — DM → जिला परिषद

→ खण्ड पंचायत → BDO
→ खण्ड पंचायत अध्यक्ष

→ ग्राम पंचायत → ग्राम विकास पदाधिकारी
→ भूमि प्रबंधन – पटवारी

विकेन्द्रीत नियोजन की शुरुआत ग्राम पंचायत के द्वारा होती है ग्राम पंचायत योजना निर्मित कर खण्ड पंचायत को संप्रेषित करती है और खण्ड पंचायतो द्वारा इसे जनपद नियोजन समिति को सौंपा जाता है और जनपद नियोजन समिति योजना का निर्माण कर राज्य सरकार को सौंपती है। संविधान में यह उल्लेखित है जनपद नियोजन समिति के 4/5 सदस्य निर्वाचित होगें। निर्वाचित सदस्य जनपद पंचायत और ~~नगरि~~ नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यो द्वारा तथा उन्ही निर्वाचित सदस्यों में से चुना जायेगा।

जनपद पंचायत → शहरी (30) → नगर पालिका (60)
जनपद पंचायत → ग्रामीण 70% जनपद पंचायत 40.

खण्ड पंचायत

ग्राम पंचायत

निर्वाचित सदस्यों का अनुपात ग्रामीण शहरी जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होगा। और सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में

राज्य विधान सभा द्वारा विधि का निर्माण किया जायेगा।

वित्त का विकेन्द्रीकरण

- 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के साथ वित्तीय विकेन्द्रीकरण का विचार भी अपनाया गया। संविधान में उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा पंचायतों के लिए करों से प्राप्त राशि प्रदान की जायेगी तथा पंचायतों को कर आरोपित करने की शक्ति भी दी जायेगी।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है। और यह उल्लेखित है कि वित्त आयोग के द्वारा राज्य सरकार एवं पंचायतों के बीच तथा पंचायतों के तीनों स्तरों के बीच करों का विभाजन किया जायेगा।
- पंचायतों को राज्य के द्वारा दिए गए अनुदान के सिद्धांत का निर्माण करना।

- पंचायतों के सुदृढ़ वित्त हित में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग से परामर्श कर सकता है।

व्यवहारिक मुद्दे :-

- राज्य सूची के विषय होने होने कारण राज्य वित्त आयोग की संरचना एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए राज्य विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है।
- पंचायतों के लिए वित्त आयोग के द्वारा अलग से राशि आवंटित किया जा रहा है।
- पंचायतों को वित्त के निम्न लिखित स्त्रोत है। –

(A) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त वित्त।

B) राज्य एवं पंचायत के बीच करो का विभाजन।

c) राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान।

d) पंचायतों द्वारा लगाया और वसूला गया कर।

13 वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों की वित्तीय ~~स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रदर्शनकारी~~ Performance Grant निष्पादन अनुदान तथा

सामान्य अनुदान में विभाजित किया गया।

* इसके अतिरिक्त "Backward Region Grant Fund" के द्वारा क्षेत्रीय विषमता को कम करने का प्रयास किया गया और स्थानीय शासन के द्वारा पैसे के उपयोग का प्रावधान किया गया जिससे योजनाओं का लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सके।

* परन्तु वित्तीय विकेन्द्रीकरण में केरल जैसे राज्य को मॉडल माना जाता है जहाँ राज्य के बजट का लगभग 15% भाग सीधे पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। परन्तु अन्य राज्यों की स्थिति बेहतर स्थिति नहीं है इसके निम्नलिखित कारण हैं —

i) नरसिंह राव सरकार द्वारा सांसद स्थानीय विकास निधि (MPLAD) की शुरुआत की गई।

ii) राज्य सरकारों के द्वारा पंचायतों को प्रभावी और उत्पादक कर हस्तांतरित नहीं किए जाते और राज्यों के द्वारा जो वित्त ~~पंचायत को दिया है न तो पर्याप्त~~ होता है न ही समय पर मिल पाता है।

अतः वित्तीय रूप में पँचायते राज्यों पर पूर्णतः निर्भर है इसलिए प्रशासनिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण प्रभावी नहीं हो पा रहा।

संरचनात्मक समस्या पँचायत में :-

1. अनुच्छेद 243(G) में यह उल्लेखित है कि 11वे अनुसूची के 29 विषय पँचायतों के लिए राज्यों के द्वारा हस्तांतरित किया जायेगा। उन्हे यह स्वभाविक रूप में प्राप्त नहीं होगा।
2. पंचायती राज के राज्य सूची के विषय होने के कारण ~~इन्कि~~ वैधिक प्रावधान को निर्माण करने का अधिकार राज विधान सभाओं को है। राज विधान सभाएँ जान बुझ कर पंचायतों को कमजोर रखना चाहती है।

* **प्रकार्यात्मक समस्या :-**

1. ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती जो पँचायती राज की महत्वपूर्ण संस्था है
2. पंचायतों के लिए किया गया शक्ति का विकेन्द्रीकरण कारगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पंचायतों का पंचायतों के लिए कार्य करने वाले पदाधिकारियों

पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है।

3. पंचायती राज का मूल मर्म ग्रामीण जनता की सहभागिता को शासन में बढ़ावा देना था परन्तु ग्रामीण जनता ~~फिल~~ की सहभागिता फिलहाल मतदान तक ही है।

सुधार :-

(i) पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों के प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।

(ii) पंचायतों का नियंत्रण उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर होना चाहिए

(iii) जनपद नियोजन समिति को प्रभावशाली बनाया जाय इसका अध्यक्ष सदैव निर्वाचित सदस्य ही होना चाहिए प्रशासनिक विधायक अथवा सांसद नहीं।

(iv) अनुच्छेद 243 (ज) में संशोधन की आवश्यकता है जिससे 29 विषय पंचायतों को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सकें।

~~(v) केरल की भांति सभी राज्य सरकारों~~

द्वारा पंचायतों के लिए बजट का एक निश्चित भाग हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

Q. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियाँ मुख्यत: राजनीतिक संस्थाएँ बन रहीं हैं न की शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

उत्तर:-

ATUL PHOTOSTAT

(i) सुशिक्षित - ~~व्यव~~ व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन:-

— 73वें

(1) ग्राम सभा की बैठक न हो

(2) 29 विषय

(3) वित अनुपस्थित

(4) सामजिक न्याय / विकास

(5) जनता की भागीदारी का अभाव
जानकारी का अभाव

(ii) राजनीतिक संस्थान
→ 2 वर्ष
→ 5 वर्ष
→ 18 वर्ष
→ राज्य निर्वाचन आयोग

~~(iii) प्रशासनिक तंत्र : - सामाजिक न्याय / ग्रामीण / विकास~~

- लैंगिक न्याय

- नौकर शाही का प्रयोग

निष्कर्ष :- भारतीय लोकतंत्र में पंचायतों के प्रयोग से संघीय शासन के तीसरे स्तर का विकास हुआ है परन्तु पंचायतों में विद्यमान खामियों के कारण इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार द्वारा सामाजिक न्याय और लैंगिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है।

Q. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछले आयोगों से भिन्न है।

73वें →
① 13वें वित्त आयोग
② निष्पादन
सामान्य
③ पंचायतों के कार्यकरण पर प्रभाव
④ पँचायतों की वित्तीय स्थिति

Q. पँचायती राज के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है -

1) वित्तीय विकेन्द्रीकरण

2) वित्तीय संग्रहण

3) प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

4) जन साहभागित

(a) 1, 2 3 (b) 1, 3, 4 (c) 1, 2, 4 (d) 1, 2 3 4

Q. पँचायती राज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है

a. ग्राम पँचायत

b. ग्राम सभा

c. खण्ड पँचायत

d. जनपद पँचायत

Q. पँचायती राज स्वशासन के साथ सुशासन बढ़ाने का माध्यम है टिप्पणी कीजिए।

Q. पँचायती राज ग्रामीण विकास तथा सामाजिक एवं लैंगिक न्याय स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभाव शाली माध्यम है स्पष्ट करें।

Q. क्या आप इस मत से सहमत है कि शुसाशन युग में पंचायतों एवं नौकरशाहों के बीच एक नए संबंध की आवश्यकता है

Q. PESA के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें और जनजाति समाज में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रयास का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

Q. पँचायती राज से संबँधित निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1 इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।

2. यह 6वीं अनुसूची के उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है जहाँ जन पद परिषदों का प्रावधान है।

3. पँचायती राज का प्रयोग J & K में नहीं होता।

4. जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तरीय पँचायत का गठन किया जायेगा।

GurusNotes.com

74वाँ संविधान संशोधन

नगर पालिका :-

स्थानीय स्वशासन

गाँव ⇓ पंचायती राज

शहर ⇓ नगरपालिका (Municipality) (74th Amendment)

विशेषताएँ :-

1. निर्वाचित होने के न्यूनतम उम्र - 21 वर्ष
2. राज्य निर्वाचन आयोग
3. राज्य वित्तीय आयोग
4. महिलाओं के लिए एक तिहाई पदों पर आरक्षण
   ST | SC जनसंख्या के अनुपात पर, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा विधान सभा द्वारा तय की जायेगी।
5. कार्य काल - 5 वर्ष

Common features of 73th and 74th Amendment :-

- 74वाँ संविधान संशोधन भी राज्य सूचि का विषय है इसलिए शासन को विकेन्द्रीकृत करने के लिए नगर पालिका को प्रभावशाली बनाने का अधिकार राज्य विधान सभाओं को दिया गया गया।

74वाँ संविधान संशोधन की पृथक विशेषता :-

1. नगर -निगम
2. नगर परिषद
3. नगर -पंचायत

→ नगर पालिका

- 74th संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है नगर पालिका सदस्यों का निर्वाचन सीधे आम जनता के द्वारा ~~होगा~~।

नगर निगम, नगर परिषद नगर पंचायत को वार्ड में विभाजित किया जाता है। वार्ड के निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाता है।

- नगर पालिका में पार्षदों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है परन्तु नगरपालिका के अध्यक्ष मेयर के निर्वाचन के लिए अलग अलग राज्यों में प्रथक प्रावधान है क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। इसलिए उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव सीधे आम जनता द्वारा होता है जबकि RJ एवं Delhi मेयर का निर्वाचन पार्षदों के द्वारा किया जाता है।

ATUL PHOTOSTAT

नगरपालिका नगर में कार्य करने वाली लघु विधायिका की भांति है और नगर पार्षदों को अनेक समितियों के सदस्य बनते है जिससे वे नगर के विकास पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें

- 74th संशोधन में यह उल्लेखित है जिन नगरों की अबादी 3लाख से अधिक वहाँ दो या दो से अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया

जायेगा जिसकी संरचना का निर्धारण करने का अधिकार राज्य विधान सभाओं को है।

योजना निर्माण

नियोजन की संस्थाएँ :-

- 74वें संशोधन में विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संस्थाओं के अतिरिक्त नियोजन की संस्थाओं का भी उल्लेख है।
- नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची द्वारा 18 विषय प्रदान किए गए हैं जो उन्हें राज्य विधानसभाओं के द्वारा हस्तांतरित किए जायेंगे
- इन विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ~~सधन~~ योजनाओं का निर्माण तथा इन्हीं विषयों पर विभिन्न स्कीम को क्रियांवित करना।
- योजनाओं के निर्माण के लिए 74वाँ संशोधन में जनपद नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है।

- महानगरों के लिए जनपद नियोजन समिति की भाँति महानगर योजना समिति का प्रावधान किया गया है जिसमें नगर निगम और नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने ही सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा। और अनुपात शहरी ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार निर्धारित होगा और $\frac{2}{3}$ सदस्य निर्वाचित होंगे तथा अन्य के प्रतिनिधित्व के संबंध में राज्य विधान सभा विधि का निर्माण करेगी।

ATUL PHOTOSTAT

9540..... 9467939

समस्याएं :-

1. 12वीं अनुसूचि के द्वारा नगरपालिकाओं को 18 विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया है परन्तु उन्हें इस अनुपात में वित्त उपलब्ध नहीं है।

2. नगर निगम के द्वारा अपना वित्तीय संसाधन उठाने का बेहतर प्रबंध नहीं बन सका है इसलिए ये अभी भी राज्य और संघ सरकार के वित्त पर निर्भर है।

3. ~~भारत में तीन प्रकार की~~ नगरपालिकाएं है इसलिए तीनों के क्रियान्वयन एवं सुधार के लिए कोई एक सा तरीका

पर्याप्त नहीं हो पाता।

4. नगर निगम या नगर पालिका और राज्य विधान सभाओं के कार्य एक दूसरे को अच्छादित करते हैं परिणाम स्वरूप नागरिकों को यह समझना कठिन हो जाता है कि यह नगरपालिका की विफलता है या राज्य सरकार।

संसद (Parliament)

संसद की संरचना

1. लोकसभा   2. राज्यसभा   3. राष्ट्रपति

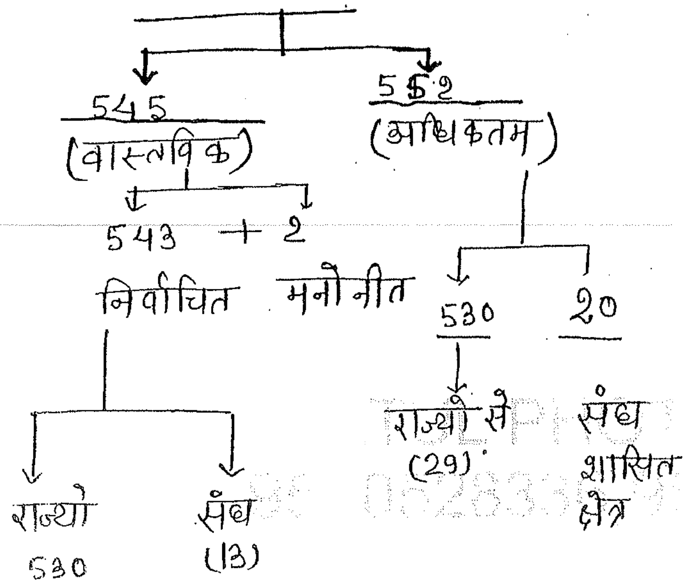

* संविधान में यह उल्लेखित है कि लोकसभा सीटों का आवंटन करते समय निम्नलिखित दो सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

[1971 की जनगणना आधार अभी है]

A) प्रत्येक राज्यों को आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए।

~~B) प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों का विभाजन~~

जनसंख्या के अनुसार राज्य के अंदर भी समान होनी चाहिए।

c) उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 पारित किया जिसमें प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है।

d) प्रतिनिधित्व के समानता के उपरोक्त सिद्धांत का अपवाद भी बनाया गया और संविधान में संशोधन किया गया। जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से नीचे होगी उनके लिए उपरोक्त समानता का उल्लंघन किया जा सकता है।

लोक सभा क्षेत्रों (सीटों) का परिसीमन :—

जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुसार लोक सभा सीटों का परिसीमन तथा समायोजन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जायेगा जो प्रत्येक जनगणना के बाद होगा।

* ५२वीं संविधान संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि लोक सभा सीटों का परिसिमन 2000ई के जनगणना के बाद किया जायेगा।

* परन्तु 84वाँ संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोक सभा का अवाला परिसिमन वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के बाद किया जायेगा।

लोकसभा सीटों का समायोजन :-

ATUL PHOTOSTAT
9540520318 9540105709

* ~~जनसंख्या~~ लोकसभा सीटों के बीच होनेवाले जननांकीय असंतुलन को दूर करने के लिए Justice Kuldeep सिंह आयोग का गठन किया गया। और आयोग के द्वारा राज्य के अन्दर लोक सभा क्षेत्रों का समायोजन किया गया। इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया।

वर्तमान लोक सभा :-

1. महिलाएँ - 61.

2. अनुसूचित जाति / जन जाति - 84/47

3. मुस्लिम — 23

4. Association for Democratic Reforms के अनुसार 34%. अपराधी सांसद हैं।

- विगत 70 वर्षों में लोक सभा के संरचना में अत्यधिक सकारात्मक परिवर्तन हो चुके है और संविधान लागू होने के आरंभिक दशकों में लोक सभा में ऊँची जातियों और समाज के सम्पन्न वर्ग का प्रभुत्व था।

- जबकि वर्तमान में लोक सभा में पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों / जनजातियों का स्पष्ट प्रभाव विद्यमान है। इसलिए लोक सभा का स्वरूप लोकतांत्रिक हो रहा है।

चुनाव पद्धति :-

First Past the Post System (बहुमत चुनाव प्रणाली) :-

स्वीडन
नार्वे

(A) 6 Lakh

(B) 2 Lakh

(C) 1.5 Lakh

(D) 50 हजार

- भारत की वर्तमान चुनाव प्रणाली में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए विधि आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सूची प्रणाली जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का भी प्रयोग करना चाहिए।

List System (सूची प्रणाली) → 500

* प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी की सूची जारी करेंगे।

1. BJP	40%	— 200
2. CON	20%	— 100
3. CPI(M)	5%	— 25
4. SP	15%	— 75
5. BSD	20%	— 100

- चुनाव की List system निःसंदेह ज्यादा लोकतांत्रिक है परन्तु किसी भी एक दल को लोक सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होगा फलस्वरूप सरकार के अस्थायित्व का खतरा सदैव बना रहेगा।

लोकसभा की राजनीतिक संरचना

- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अनेक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और 1952 से लेकर 1989 तक लगभग कांग्रेस का लोकसभा में बहुमत बना रहा।
- परन्तु 1989 के बाद लोकसभा में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका परन्तु लोकसभा में विभिन्न क्षेत्रीय दलों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ और लोकसभा के निर्णय बहुमत के बजाय आम सहमति से होने लगे। त्रिशंकु लोकसभा के कारण सरकार अत्याधिक अस्थायी होगई और विपक्षी दल का प्रभाव बढ़ा।

परन्तु 30 वर्ष बाद भारतीय लोकसभा में BJP स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और किसी भी दल को विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त नहीं हो सका।

लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा –

A) सत्ताधारी दल पर नियंत्रण बनाया रखा जाता है। तथा सरकार की आलोचना की जाती है।

B) वैकल्पिक नीतियों / विधियों के निर्माण का भी सुझाव दिया जाता है।

ATUL PHOTOSTAT

राज्य सभा की संरचना

अधिकतम संख्या	वास्तविक संख्या
250	(245)

निर्वाचित	मनोनीत
(233)	(12) (साहित्य, विज्ञान कला, समाजसेवा)

राज्यसभा का गैर संघात्मक लक्षण

1. भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य सभा के द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है परन्तु राज्यों के प्रतिनिधित्व में राज्यों की समानता का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है इसलिए UP को राज्य सभा में 31 सीटें मिली हैं जबकि गोवा को 1 सीट प्राप्त है।

राज्यसभा
1971 के जनसंख्या। के जनगणना के आधार पर

सीटों (राज्यसभा)
↓
चौथी अनुसूची

2. राज्य सभा में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जिसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया

3. राज्य सभा में दिल्ली और पुडुचेरी को भी प्रतिनिधित्व (3+2) दिया गया है जबकि ये दोनों केंद्रशासित क्षेत्र हैं जो संघीय भावना के विरुद्ध है।

50 Lakh – 5 सीट
+20 " – 1 "
+20 " – 1 "
+20 " – 1 "
+20 " – 1 "
+20 " – 1 "

4. राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व है इसके बावजूद 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सभा का सदस्य होने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं बनाया गया बल्कि भारतीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इस परिवर्तन को संवैधानिक बताते हुए SC ने कहा कि भारत की संघीय व्यवस्था भौगोलिक नहीं है।

राज्य सभा का निर्वाचन

1. राज्य सभा एक स्थायी सदन है।
2. राज्य सभा के $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है
3. राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन विधान सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग होता है।

$$= \frac{\text{कुल वैध मत}}{\text{निर्वाचित स्थानों की संख्या} + 1} + 1 = \frac{100}{4+1} + 1 = 21$$

- BJP 63 → (3)
- JMM 26 → (1)
- CONG 11 →

राज्य सभा की राजनीतिक संरचना

1. संविधान लागू होने के आरंभिक दशक में कांग्रेस दल को LS एवं RS दोनों में बहुमत प्राप्त था। परन्तु राज्यों में एवं संघ में अलग अलग दलों के सरकार के निर्माण के कारण वर्तमान में लोकसभा में BJP का बहुमत है जबकि राज्य सभा में BJP को मात्र 55 सीटें प्राप्त हैं।

2. इसलिए लोक सभा और राज्य सभा के बीच निरंतर मत भेद उत्पन्न हो रहे हैं तथा लोक सभा द्वारा पारित विधेयक राज्य सभा द्वारा रोका जा रहा है। इसलिए राज्य सभा की भूमिका <u>संशोधन कारी</u>, तथा <u>वरिष्ठ सदन</u> के रूप में होनी चाहिए न कि लोक सभा द्वारा किये गए कार्यों को बाधित करने की होनी चाहिए।

GurusNotes.com

सांसदों की अयोग्यताएँ # Art 102

A) विकृत चित्त (Unsound mind) का व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायपालिका द्वारा घोषित किया गया हो

B) अनुन्मोचित दीवालिया घोषित हो।
(Undischarged insolvent)

C) जिसने स्वैच्छिक रूप से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

D) जो लाभ के पद पर हो।

राष्ट्रपति या राज्यपाल → निर्वाचन आयोग सलाह पर

संसदीय विधि के अनुसार अयोग्यता सांसदों की

(i) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

– यदि किसी व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा 2 वर्षों से अधिक का सजा मिले तो 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

– भ्रष्ट आचरण के द्वारा

- पैसा देकर वोट लेने
- सरकारी अधिकार की सहायता
- धर्म के आधार पर
- शराब पिलाकर वोट

* 52वाँ संविधान संशोधन / 10 अनुसूची

1) दल बदल अधिनियम, 1985

(i) साँसदों की अयोग्यता का प्रावधान

A) यदि किसी निर्वाचित दल के सांसद अथवा विधायक के द्वारा दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान कर दिया जाय।

B) यदि किसी सांसद अथवा विधायक के द्वारा स्वैच्छिक रूप में दल की सदस्यता का परित्याग कर दिया जाय।

C) निर्दलीय सांसद यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वे अयोग्य घोषित कर दिए जायेंगे।

d) यदि कोई मनोनीत सांसद या विधायक छः महीने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे दल बदल अधिनियम के अन्तर्गत अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

अयोग्यता निर्धारित करने वाला प्राधिकारी :-

1. दल बदल अधिनियम के अन्तर्गत अयोग्यता निर्धारण का अधिकार स्पीकर को प्रदान किया गया है और यह भी उल्लेखित है कि स्पीकर के द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा जिसकी जाँच न्यायपालिका नहीं करेगी।

दल बदल अधिनियम के अपवाद :-

- यदि किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी निर्वाचित सदस्य को राजनीतिक दल से निलंबित कर दिया जाय तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी।
- स्पीकर के मतदान पर यह प्रावधान लागू नहीं होता।
- यदि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित $\frac{2}{3}$ सदस्य किसी अन्य दल में अपना विलय कर लेते है अथवा अलग समूह बना लेते है तो भी वे अयोग्य नहीं होंगे।

ATUL BHG ASSTT
9540678136, 9540187039

जुड़े विवाद :-

1. दल बदल अधिनियम को SC में चुनौती दी गई। और यह तर्क दिया गया कि यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र के मूल मान्यता के प्रतिकूल है। क्योंकि अनुच्छेद 105 में सांसदों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे स्वतंत्र रूप से किसी भी मुद्दे पर अपना विचार रख सके। इस अधिनियम के द्वारा सांसद राजनीतिक दलों के निर्देश मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसलिए सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका का क्षरण होने लगा और राजनीतिक दल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए।

2. यदि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को संवैधानिक ~~करत~~ घोषित करते हुए कहा कि शासन में स्थायित्व बनाए रखने के लिए उचित है और सांसद जिस घोषणा पत्र ~~के~~ के आधार पर चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं उन्हें उसे पूर्ण करना चाहिए।

आलोचकों के अनुसार दल बदल अधिनियम मूल उद्देश्य सरकार में विद्यमान अस्थायित्व को प्रतिबंधित करना था जबकि व्यावहारिक रूप में इसके द्वारा असहमतियों और मतभेद का दमन किया जाने लगा जो संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इसीलिए यह सुझाव दिया गया है इसमें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ना चाहिए कि दल का निर्देश सांसदों पर तभी प्रभावित होना चाहिए जब सरकार गिरने का खतरा हो और अन्य मुद्दों पर दल का निर्देश बाध्यकारी नहीं होना चाहिए।

ATUL PHOTOSTAT
9540528392, 9310417939

Q. वर्तमान में सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आ रही है। दल बदल अधिनियम जो किसी भिन्न उद्देश्य के लिए बनाया गया था इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी है?

दल बदल अधिनियम में स्पीकर के शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन :-

1. उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1992 के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किहोतो होलोहान वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जब स्पीकर सांसदों अथवा विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करता है तो वह अर्द्धन्यायिक रूप में कार्य करता है। इसीलिए उसके कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन होगी।

2. यह उल्लेखनीय है कि दल बदल अधिनियम में न्यायिक पुनरावलोकन में प्रतिबंध है और अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि सदन की प्रक्रिया अंतिम अधिकार स्पीकर का है परन्तु न्यायालय ने कहा कि – अयोग्यता का निर्धारण सदन का भाग नहीं है।

लाभ का पद

1. लाभ के पद का अभिप्राय :-

लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही किसी संसदीय अधिनियम द्वारा इसे व्याख्यायित किया गया है परन्तु न्यायालय द्वारा जया बच्चन वाद में न्यायपालिका ने लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कहा –

ATUL PHOTO STAT
9024598308 95 14 7969

A) यह पद राज्य के अन्तर्गत होना चाहिए।

B) पद पर बैठे व्यक्ति को राज्य से वित्तीय अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त हो।

c) वित्तीय अथवा आर्थिक सहायता लाभ के पद का पूर्ण आधार नहीं है क्योंकि पद पर बैठा व्यक्ति यदि दूसरे को प्रभावित कर सकता है तो इसे लाभ के पद में शामिल किया जायेगा।

2. 1959 में संसद ने अधिनियम का निर्माण करते हुए कहा कि जिन पदों को इस अधिनियम

में शामिल किया गया है वह लाभ का पद नहीं होंगे।

3. यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में अनेक पदों को लाभ के पद के दायरे से इसलिए बाहर रख दिया गया क्योंकि उन पदों पर सांसद बैठे थे। इसलिए वर्तमान में इस अधिनियम की बारीकी से परीक्षण करने की आवश्यकता है।

लाभ के पद का औचित्य :-

भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का विचार अन्तर्निहित है जिसके अनुसार विधायिका का मूल कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना है और जो सांसद कार्यपालिका के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे उनसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने की कल्पना नहीं की जायेगी।

लाभ पद संबंधी विवाद का निवारण

1. यदि कोई सांसद या विधायक लाभ के पद पर है तो इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

2. दिल्ली में 21 विधायकों पर यह आरोप है कि वे संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए और दिल्ली विधान सभा द्वारा संसदीय सचिव को लाभ के पद से बाहर नहीं रखा गया है इसलिए 21 विधायकों के अयोग्यता के संबंध में याचिका पर सुनवाई निर्वाचन आयोग के द्वारा की जारही है।

संसदीय विशेषाधिकार

प्रकार

1. संसद (Parliament)	2. सांसद (MP)
(i) दर्शक दीर्घा से निष्कासित	(i) अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता।
(ii) प्रकाशित होने से प्रतिबंधित करना	(ii) सांसदों की स्वतंत्रता/ अथवा किसी निजी कार्य के लिए न्यायपालिका
(iii) कार्यवाही को संसदीय प्रक्रिया से निष्कासित	

के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।

(iii) सिविल मामलों में सांसद को हिरासत में नहीं लिया जायेगा।

विशेषाधिकारों का औचित्य :-

1. संसदीय शासन में सरकार के तीनों अंगों में सांसदो का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि ये जनता के इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जनता के इच्छाओं के बेहतर संपादन के लिए तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार बनाए गए है। ये विशेषाधिकार सांसदो को कार्यपालिका के दमन से भी बचाती है।
2. विशेषाधिकार सांसदों के विशेष दायित्वों को पूर्ण करने के लिए है न कि उन्हें दूसरे व्यक्ति की तुलना विशिष्ट दर्जा ~~देने के लिए।~~

विशेषाधिकारों का अभिप्राय

1. अनुच्छेद 105 / 194 में यह उल्लेखित है कि सांसदों एवं विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा कही गई किसी बात के लिए अथवा मतदान के लिए उनके विरुद्ध न्यायपालिका में कोई भी मामला नहीं लाया जायेगा।

2. परन्तु इसके साथ यह भी उल्लेखित है कि संसदीय विशेषाधिकारों को निर्धारित करने की अंतिम निर्णायक शक्ति संसद के हाथ में है।

ATUL PHOTOSTAT

3. यह उल्लेखनीय है कि सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी प्राप्त होते हैं।

4. संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण संसदीय समितियों के द्वारा प्रत्येक मुद्दे पर पृथक रूप में निर्धारित होता है

संसदीय विशेषाधिकार और संसद की अवमानना :-

1. उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि संसद के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करना संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है परन्तु किसी व्यक्ति के द्वारा सांसदों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसलिए किसी की आलोचना से सदन का ह्रास विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यद्यपि यह अवमानना का भाग हो सकता है।

2. परन्तु यह ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि न्यायपालिका के इस निर्णय संसद असहमत है क्योंकि विशेषाधिकार के निर्धारण की अंतिम शक्ति संसद के हाथों है।

विशेषाधिकारों से संबंधित विवाद :-

1. नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ~~संसदीय विशेषाधिकार :~~

A) नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क

अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को संसदीय कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है परन्तु संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत स्पीकर अथवा सभापति के द्वारा किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

2. यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केशव सिंह वाद में सलाहकारी शक्ति के अन्तर्गत यह निर्णय दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय विशेषाधिकार के बीच टकराव में संसदीय विशेषाधिकार को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु जीवन के अधिकार तथा संसदीय विशेषाधिकारों के बीच संघर्ष की स्थिति में जीवन के अधिकार को महत्व दिया जायेगा और HC का इन अधिकारों की रक्षा करना होगा।

2. भ्रष्टाचार और संसदीय विशेषाधिकार :-

1) नरसिंहराव वाद में उच्चतम न्यायालय ने

एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि Art 105 में यह उल्लेखित है कि सदन में कही गई किसी बात के लिए या मतदान के विरुद्ध मामला न्यायपालिका में नहीं लाया जायेगा क्योंकि न्यायालय के जाँच से बाहर का विषय है, कि मतदान के लिए पैसा दिया गया था नहीं। आलोचकों ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकारों के नाम पर संसद को भ्रष्टाचार में शामिल होने का अधिकार नहीं है। और इसी के बाद से यह माँग की जाई कि संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाय कि भ्रष्टाचार विशेषाधिकारों के नाम पर छुपाया नहीं जा सकता है।

8. सांसदों का निष्कासन :-

- → अयोग्यता
- → दल बदल
- → रिक्त

1. संविधान में सांसदों की बर्खास्तगी का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के द्वारा 11 सांसदों को भ्रष्ट आचरण के आरोप में सदन से बर्खास्त कर दिया गया। अध्यक्ष के द्वारा नैतिकता समिति Ethics Committee की अनुशंसा पर यह कार्यवाही की गई।

2. आलोचकों ने स्पीकर के द्वारा सदस्यों की बर्खास्तगी को संसदीय मान्यताओं के प्रतिकूल कहा क्योंकि बर्खास्तगी के आधार पर स्पीकर विपक्षी दल के सदस्यों को कभी भी सदन से बहिष्कृत कर सकता है।

मंत्री परिषद एवं संसद के विशेषाधिकार :-

1. यह उल्लेखनीय है कि संसदीय शासन में संसद शक्ति का मूल केन्द्र माना जाता है और संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है इसलिए मंत्री परिषद के सदस्य भी संसदीय विशेषाधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकते।

2. संसद ने आश्वासन समिति (Assurance Committee) का गठन किया गया है जिसके द्वारा यह निगरानी की जाती है कि मंत्रियों द्वारा सदन को दिया गया आश्वासन पूर्ण हुई की नहीं। यदि किसी मंत्री के द्वारा जानबुझ कर गलत सूचना दी गई तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा।

विशेषाधिकारों का संहिताकरण :–

वर्ष 2000 में गठित संविधान की कार्यकरण की समीक्षा आयोग (वैंकट चलैया आयोग) द्वारा विशेषाधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए इसके संहिताकरण पर बल दिया परन्तु सांसदों का तर्क है कि विशेषाधिकार परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर बदल सकते है इसलिए इनके संहिताकरण में समस्या है।

संसद के कार्य (function) - कार्य प्रणाली (Conduct of Business)

A. विधि निर्माण :-

1. **पहला वाचन** :- जब विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

विधेयक प्रस्तुत → सांसद (निजी) / मंत्री (सरकारी) → लोकसभा / राज्य सभा — भारतीय सरकार की गजट में प्रकाशित किया जाता है।

2. **द्वितीय वाचन** :-

- सामान्य चर्चा — समस्या:
  - → सदस्यों में विशेषज्ञता का अभाव।
  - → समय का अभाव।
  - → दलीय विभाजन की
- संसदीय समिति के समक्ष भेजा जाता है।
  - → इसका कार्यकाल हमेशा चलता रहता है।
  - Select committee प्रवर समिति (एक सदन के सदस्यों से मिलकर बनी)
  - Joined Comittee — लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सदस्य से बनी।
- जनता की राय जानने के परिचारित कर दिया जाय। (याचिका समिति)

सभी राजनीतिक दल के सांसद
- Cong
- BJP
- CPI

• विधेयक पर खण्डशः चर्चा (clause by clauses)

• संशोधन – खण्ड / खण्ड / खण्ड] – सामान्य बहुमत से

• समाप्त

III तीसरा वाचन :-
- मतदान (सामान्य)
- विधेयक को पारित

दूसरे सदन में विधेयक :-

I पहला वाचन

II दूसरा वाचन

III तीसरा वाचन

1 दूसरे सदन ने विधेयक हू बहू पारित कर दिया ~~आया~~ तो → राष्ट्रपति → हस्ताक्षर
⇓
अधिनियम बन जायेगा
⇓

Delegated Legislation

(प्रदत्त विधायन)

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष तकनीकी के युग में विधि निर्माण का कार्य अत्यधिक जटिल हो गया है। इसीलिए संसद द्वारा निर्मित अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के द्वारा अनेक नियमों का निर्माण किया जाता है जिसे प्रत्यायोजित विधायन का नाम दिया जाता है। प्रदत्त विधायन की बढ़ती प्रवृत्ति संसदीय शासन के लिए हानिकारक मानी जाती है और यह शक्ति पृथक्करण के विचारों के भी प्रतिकूल है।

यद्यपि इस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रदत्त विधायन से संबंधित संसदीय समिति का गठन किया गया है।

ATUL PHOTOSTAT
9540529...

2. दूसरे सदन के द्वारा विधेयक में संशोधन कर दिया गया। तथा पहले सदन ने इसे स्वीकार कर लिया तो विधेयक पारित

3. दोनों सदनों के बीच गतिरोध :-

* पहले सदन ने विधेयक पारित किया और दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को खारिज कर दिया।

* दूसरे सदन के द्वारा संशोधन किया गया परन्तु पहले सदन ने इसे खारिज (अस्वीकार) कर दिया।

* दूसरे सदन ने विधेयक पर 6 महीने तक कोई विचार नहीं किया।

⇓

संयुक्त अधिवेशन

• यदि विधि निर्माण की मुद्दे पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो जाय तो विधेयक समाप्त हो जायेगा अथवा इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की आहूति किया जायेगा। जैसा कि पिछले 70 सालों में 1961 – दहेज अधिनियम
1978 – बैंकिंग अधिनियम
2002 – POTA

तीन बार हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन में LS की भूमिका अहम हो जाती है क्योंकि LS की संख्या RS की संख्या की दोगुनी है। क्योंकि विधेयक सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है इसलिए संयुक्त अधिवेशन में RS का स्वतः ही अवमूल्यन हो जाता है इसलिए संयुक्त अधिवेशन अंतिम विकल्प होना चाहिए।

- वर्तमान में दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध के कारण अध्यादेश का भी सहारा लिया गया। जो संसदीय शासन के सिद्धांत के प्रतिकूल है अध्यादेश की बढ़ती संख्या भी संसद की शक्तियों का अवमूल्यन है क्योंकि विधि के निर्माण का दायित्व संसद का है कार्यपालिका का नहीं।

ATUL PHOTOSTAT

धन विधेयक एवं संसद के बीच गतिरोध :-

धन विधेयक के मुद्दे पर RS की स्थिति और भूमिका द्वितीयक है क्योंकि राज्य ~~सभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों~~ तक रोक सकती है। धन विधेयक तो

Art 110 में परिभाषित किया गया है और किसी विधेयक को धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार LS स्पीकर को है।

- धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु आधार सेवा संबंधित अधिनियम को LS स्पीकर द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया और स्पीकर का तर्क है यह सदन के प्रक्रिया का भाग है इसपर अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा।

परन्तु आलोचकों के निम्न लिखित तर्क है-

A) आधार अधिनियम में केवल Art 110 से संबंधित विषय नहीं थे अपितु इसमें प्रशासनिक विषय भी जुड़े थे अतः इसे धन विधेयक के रूप में पारित कर अतार्किक है।

~~B) RS की भूमिका महत्वहीन हो जायेगी।~~

~~C) स्पीकर को प्रक्रिया को निर्धारित करने~~

का अधिकार है परन्तु यह प्रक्रिया अवैध नहीं हो सकती है।

B. # संविधान संशोधन (संसद द्वारा)

I. प्रथमवाचन :-
- लोकसभा
- राज्यसभा

II. दूसरा वाचन

III तीसरा वाचन

ATUL PHOTOSTAT

⇓

दूसरा सदन में

प्रथम वाचन

दूसरा वाचन

तीसरा वाचन

⇓

* विशेष बहुमत की आवश्यकता (संविधायी शक्ति) (368)

(A) – सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत = 545/245

– 273/123

(B) उपस्थित एवं मत देने वालों का $\frac{2}{3}$.

Ex:- (i) LS $480 \times \frac{2}{3} = 320$

(ii) LS $90 \times \frac{2}{3} = 60$.

सामान्य बहुमत :-

1) गणपूर्ति

2) सदन की कुल संख्या का $\frac{1}{10}$

3) LS- 55 RS – 25

4) $60 \Rightarrow 31$ 30 – 16

ATUL PHOTOSTAT

* सामान्य बहुमत में सामान्य विधि बनती है।

⇓

विधायी शक्ति (246)

* संविधान में संशोधन के लिए या परिवर्तन के लिए संसद को ही शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए जनमत संग्रह जैसा प्रावधान उल्लेखित नहीं है बल्कि संसद अपनी संविधायी शक्ति द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है।

* सामान्य विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक होती है परन्तु संविधान संशोध

विधेयक पर लोकसभा एवं राज्य सभा की शक्तियाँ समान होती है इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

* सामान्य विधि पर राष्ट्रपति के द्वारा वीटो (VETO) का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु 24वे संविधान संशोधन, 1971 के बाद अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख किया गया कि इस पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा।

ATUL PHOTOSTAT
95405 ... 95404...

Q. लोकसभा स्पीकर को अपने पद से हटाया जा सकता है।

a) सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से

b) तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से (Effective)

c) उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से

d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

C. संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण :-

1. बजट (Budget) :-

(i) – वार्षिक वित्तीय विवरण

(ii) – वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुती से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। (लोकसभा के समक्ष)

(iii) – सामान्य चर्चा

(iv) – वित्तीय वर्ष (1 Apr - 31 March)

Rule of Lapse (व्यपगत का सिद्धांत) :-

सरकार अथवा मंत्रीपरिषद को आवंटित बजट की राशि 31 मार्च के बाद स्वभाविक रूप में समाप्त हो जायेगी।

(V) – लेखानुदान (vote on account)

संसद के द्वारा मंत्रीपरिषद को खर्च के लिए दो महीनें के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जाती है क्योंकि संविधान में उल्लेखित है कि संसद के अनुमति

के भी बिना भारत के संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता और सामान्यतः बजट 1 April से पहले पारित नहीं हो पाता।

(VI) संसदीय समिति
- विभागीय समिति
  - LS (21)
  - RS (10)
- कुल विभागीय समिति → 24

कार्य :-

1993 में स्थापित विभागीय समितियों के द्वारा मंत्रालयों के अनुदान की मांग की जाँच की जाती है।

(VII) प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग रखी जायेगी।

- प्रत्येक मंत्रालय के द्वारा अनुदान की मांग की जाती है जिसपर लोक सभा में चर्चा होगा और मतदान होगा। परन्तु राज्य सभा में अनुदान की मांग पर चर्चा हो सकती है परन्तु मतदान नही होता।

प्रत्येक मंत्रालयों के अनुदान की मांग के लिए लोक सभा मे पहले से तिथि और समय को निर्धारित कर दिया जाता है।

समय अभाव के कारण बिना चर्चा के अनुदान की मांग को पारित कर देना "गिलोटिन (Guillotin)" कहलाता है।

(viii) कटौती प्रस्ताव (Cut Motion) :-

Policy cut (नीतिगत कटौती) :-

- जिसके अन्तर्गत अनुदान की मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है।

- नीतिगत कटौती सबसे गंभीर मानी जाती है जिसके अन्तर्गत संसद सरकार की खर्च को नहीं अपितु नीति को ही अस्वीकृत कर देती है।

Token cut सांकेतिक कटौती :-

- इसके अन्तर्गत मंत्रालय की अनुदान की मांग से 100₹ की कटौती की जाती है और संसद किसी विशेष मुद्दे पर शिकायत दर्ज करती है

Economic Cut आर्थिक कटौती :-

~~इसके द्वारा अनुदान की मांग से एक~~ निश्चित राशि की कटौती की जाती है।

GurusNotes.com

जिसके द्वारा मंत्रालय की फिजूल खर्ची को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय :-

* मंत्रालयों के द्वारा अनुदान की मांग को दो भागों में विभाजित किया जाता है-

A) सामान्य व्यय

B) भारतीय ~~संचित~~ संचित निधि पर भारित व्यय

इस व्यय पर लोकसभा में मतदान नहीं हो सकता और न ही कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है चर्चा हो सकती है

- HC/SC के वेतन भत्ते
- राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्यसभा की सभापति
- न्यायधीशों

} — वेतन भत्ते

भारतीय संविधान में अनेक संवैधानिक पद हैं जो स्वायत्त है वे न तो कार्यपालिका के अधिन है और न ही उनसे राजनीतिक दबाव के अन्तर्गत कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए लोकसभा भी इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती नहीं कर सकते है।

(ix) विनियोग विधेयक :-

इसके द्वारा संसद से भारत की संचित निधि से सभी मंत्रालयों के द्वारा पैसे निकालने के लिए विधेयक लाया जाता है।

विनियोग विधेयक धन विधेयक है क्योंकि अनुच्छेद 110 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संचित निधि से पैसा निकालना धन विधेयक का भाग है।

A... ...OSTAT
95... ...5404679...

(x) - बजट आय-व्यय का अनुमानित लेखा जोखा होता है। और सरकार आय के लिए करारोपण का प्रावधान वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत करती है।

यह उल्लेखनीय है कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक है। कर आरोपित करना अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के रूप में उल्लेखित है।

धन विधेयक होने के कारण इसमें राज्यसभा की भूमिका द्वितीयक होती है।

1. Supplementary Demand :-
(अनुपूरक मांग)

(i) किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारित सेवा पर आवंटित राशि अपर्याप्त हो जाये।

2. Additional Demand :-
(अतिरिक्त मांग)

किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा पर आवंटित राशि पर अतिरिक्त खर्च।

ATUL PHOTOSTAT

3. Ecess demand :-
(अधिक मांग)

- किसी वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारित सेवा पर आवंटित राशि से ज्यादा खर्च हो जाय।

4. Vote of credit (प्रत्यानुदान)

- यह मंत्रालय को प्रदान किया गया Blank Cheque है।
~~खर्च की प्रकृति अनिश्चित होने के कारण~~
खर्च का विवरण देना संभव नहीं होता।

5. Exceptional Grant (अपवादानुदान) :-

- सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष में किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया खर्च जो उस वर्ष के बजट का भाग न हो।

निष्कर्ष :-

मंत्रीपरिषद को संसद की अनुमति के बिना भारत के संचित निधि से पैसे नहीं निकाले जा सकते और यदि कार्यपालिका अनुदान की मांग पारित कराने में विफल हो जाय तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा और संसद के अनुमति के बिना कोई नए कर नहीं लगाए जा सकते।

D. कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाए रखने के अन्य माध्यम :-

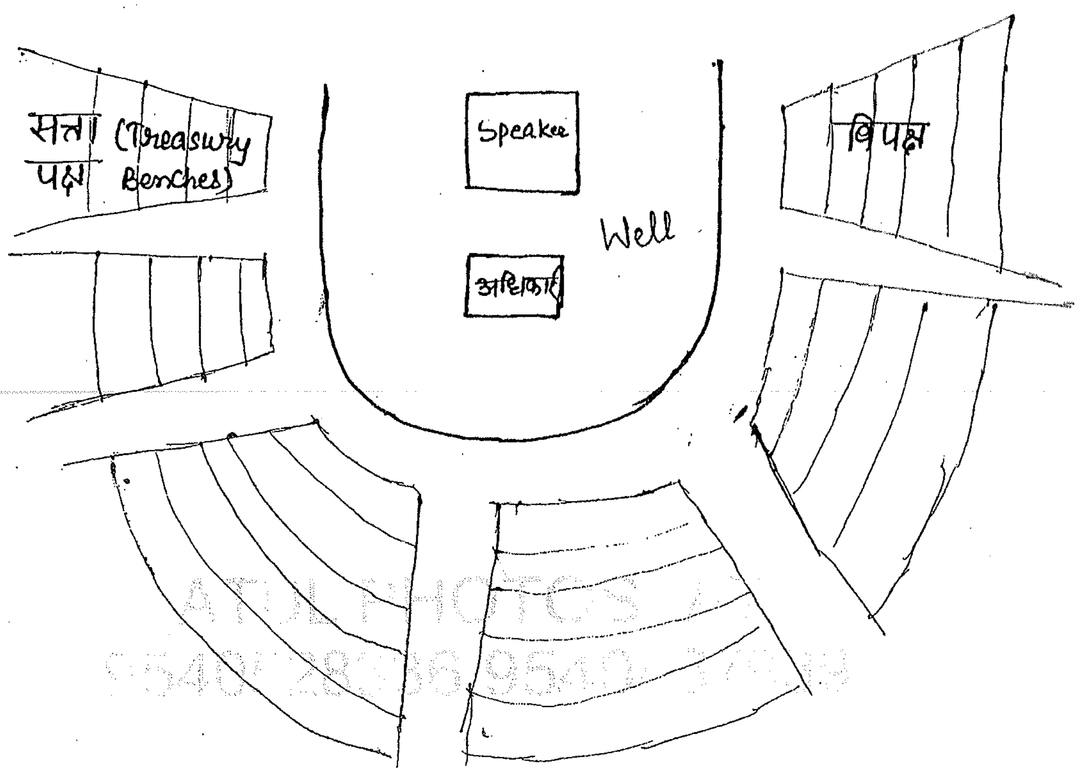

- सदन में काम काज की भाषा :-

1) अंग्रेजी - जिसका अधिकारिक अनुवाद हिन्दी में किया जायेगा।

- संसद में चर्चा की भाषा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों होगी तथा स्पीकर के अनुमति से कोई भी सदस्य सदन को मातृभाषा में संबोधित कर सकता है।

* प्रोटेम स्पीकर :-

धन्यवाद प्रस्ताव :-

- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी।
- चर्चा के बाद मतदान होगा।
- चर्चा के अंत में प्रधान मंत्री के द्वारा चर्चा का प्रत्युत्तर दिया जायेगा।
- धन्यवाद प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं अपितु लोक सभा की प्रक्रियाओं में वर्णित है और यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श का माध्यम होता है यदि मतदान में मंत्री-परिषद पराजित हो जाय तो मंत्रीपरिषद को सदन का विश्वास अर्जित करना होगा।

स्थगन :- अगली तिथि निर्धारित हो

- अगली तिथि निर्धारित न हो।

Adjurment till

→ सदन की कारवाई 11:00 a.m शुरू होता है।

11:00 AM – 12:00 → प्रश्न काल।

- सत्ता पक्ष या विपक्ष का सांसद प्रश्न करेंगे

- समय सीमा 15 दिन

- 230 written सवाल पूछा जा सकता है।

- कार्य पालिका को नियंत्रित करने के लिए प्रश्नकाल के माध्यम से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

- प्रश्न दो प्रकार के होते हैं तारांकित और अतारांकित। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए तारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

→ स्पीकर की अनुमति से अन्य सदस्य भी अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है तथा लोकसभा में 1 दिन में 230 अतारांकित प्रश्नों के जबाब दिए जाते हैं। इसलिए संसद ~~को सूचना की सबसे बड़ी संस्था~~ माना जाता है।

अल्पकालिक प्रश्न :-

जिन प्रश्नों को संबंधित मंत्रियों से 15 दिन से कम अवधि के अंतर्गत मौखिक रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है जिसका उत्तर संबंधित मंत्री मौखिक रूप में देता है।

आधे घंटे की चर्चा :-

इस प्रश्न काल में अल्पकालिक प्रश्न काल में पूर्ण उत्तर प्राप्त न हो सके और उसे अधिक स्पष्टीकरण न मिल सके तो LS 5:30 - 6:00 के बीच आधे घंटे की चर्चा का आयोजन होता है।

zero hour शून्य काल :- (12:00 - 1:00 pm)

सांसद के द्वारा किसी भी लोक महत्व के तात्कालिक महत्व के मुद्दे को उसी दिन 10 बजे की नोटिस देकर सदन में उठाया जा सकता है। सांसद के ~~द्वारा उठाए मुद्दे पर संबंधित मंत्री~~ ~~का~~ जवाब देना आवश्यक नहीं

GurusNotes.com

है परन्तु वह चाहे उत्तर दे सकता है।

1:00 - 2:00 :- अवकाश

2:00 - 6:00 pm :-

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :-

किसी लोक महत्व के तात्कालिक महत्व का मुद्दा लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा उठाया जा सकता है और मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर सदन में चर्चा होती है।

निंदा प्रस्ताव :- Censur Motion

- निंदा प्रस्ताव मंत्री विशेष अथवा समुचे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है।
- यदि मंत्री परिषद या मंत्री विशेष अपने निर्धारित कार्य के संपादन में विफल रहे है तो विपक्ष यह प्रस्ताव ला सकता है। ~~और यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया तो माना~~ जायेगा कि लोक सभा में मंत्री परिषद का

विश्वास खो चुका है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

* स्थगन प्रस्ताव :- Adjournment :-

- इसे लोक सभा में लाये जाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है यदि स्पीकर ने स्वीकार कर लिया तो सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित कर लोक महत्व के तात्कालिक मुद्दे पर विचार किया जायेगा।
यदि सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव पारित हो गया तो इसे सरकार की निंदा माना जायेगा और यह भी मान लिया जायेगा कि मंत्रिपरिषद को लोक सभा में बहुमत नहीं है। और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

अविश्वास प्रस्ताव :-

- संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह उल्लेखित है कि मंत्रीपरिषद लोक सभा के प्रति

सामूहिक रूप में उत्तर दायी होगा।

* लोकसभा प्रक्रिया के अनुसार एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव लाने के लिए कोई कारण या आधार बताने की आवश्यकता नहीं।

* यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है और विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया तो समूचे मंत्रीपरिषद को त्याग पत्र देना होगा।

* मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित होने से लोकसभा के विघटन का सीधा संबंध नहीं होता है।

* विश्वास प्रस्ताव

- लोकसभा की प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है विश्वास प्रस्ताव का नहीं और विश्वास प्रस्ताव का विकास गठबंधन सरकारों के परिणामस्वरूप व्यवहारिक रूप में हुआ।

- ~~यह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और यदि सत्ता पक्ष अपना विश्वास~~

साबित न कर सके तो समूचे मंत्री-परिषद को त्याग पत्र ~~कर~~ देना होगा।

नियम 377:-

यदि लोकसभा में सांसद के पास किसी अन्य माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय उठाने अवसर प्राप्त न हो तो 20 सांसदों के समर्थन पर इस नियम का प्रयोग किया जा सकता है।

Sense of House

नियम-184 के अन्तर्गत किसी लोक महत्व के मुद्दे पर विचार विमर्श की अनुमति दी जासकती है जिसके बाद मतदान का प्रावधान भी हो है यदि मंत्री परिषद मतदान में पराजित हो जाय तो यह माना जायेगा कि उसका विश्वास सदन में नहीं है।

निष्कर्ष:-

संसदीय शासन की महत्व पूर्ण विशेषता कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व

है जिसे बनाए रखने के लिए संसद अनेक माध्यम का प्रयोग करती है। अतः संसदीय शासन कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और वह तभी तक सत्ता में रहेगी जबतक लोकसभा का विश्वास अर्जित करते रहे।

संसदीय समितियाँ

संवैधानिक प्रावधान :-

संसदीय समितियों का संविधान में प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं पाया जाता बल्कि इसका परोक्ष उल्लेख पाया जाता है।
अतः संसदीय समितियों का उल्लेख लोकसभा एवं राज्यसभा प्रक्रियाओं में वर्णित किया गया है।

संसदीय समितियों की उपयोगिता :-

संसद का कार्य संचालन :-

- सदन के समक्ष लंबित किसी विषय पर सदन में चर्चा के लिए समय आवंटित करने का कार्य कार्यमंत्रणा समिति (Business advisory Committee) द्वारा किया जाता है।
- कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों का स्पीकर द्वारा मनोनयन किया जाता है तथा स्पीकर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- संसदीय कार्य प्रणाली में किसी भी परिवर्तन के लिए नियम समिति (Rules Committee) के द्वारा अनुशंसा की जाती है जिसका पदेन अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष होता है।
  स्पीकर

- लोकलेखा समिति Public Account Committee
  (15 + 7)
  (LS + RS)
- आकलन / प्राक्कलन Estimate Committee
  (30 LS)
- सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति।
  15 + 7
  (LS) (RS)

और इसी समिति के अनुशंसा पर 1993 में विभागीय समितियों का गठन किया गया।

- विधि निर्माण के दौरान विधि पर जनता की राय को विश्लेषित और संप्रेषित करने का कार्य याचिका समिति का है।
- लाभ के पद पर बैठे सांसदों के अयोग्यता के निर्धारण के कार्य के लिए एक पृथक संसदीय समिति का गठन किया गया है और यह उल्लेखनीय है कि इस संसदीय समिति के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा निर्वाचन होगा कि लेकिन अध्यक्ष का निर्वाचन स्पीकर के द्वारा किया जाता है।

ATUL PHOTOSTAT

- Adhoc (तदर्थ) समिति
  - → प्रवर (select) समिति
  - → संयुक्त (joint) समिति
- Standing Committee (स्थायी समितियाँ)

विधि निर्माण में सहायता :-

संसदीय समितियाँ संसद के लघु रूप है जिनके द्वारा संसद को विशेषज्ञता और स्थायित्व प्रदान किया जाता है इसीलिए

विधिनिर्माण के दूसरे वाचन के दौरान तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है उदाहरण के लिए लोकपाल बिल पारित करने के समय राज्य सभा के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति बनाया गया था।

कार्यपालिका पर वित्तिय नियंत्रण :-

- संसदीय समितियों के द्वारा संसद की कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण को प्रभावशाली बनाया जाता और संसदीय समितियों के माध्यम से राज्य सभा की भूमिका भी लोक सभा के समानांतर हो जाती है।

लोक सेवा समिति
आकलन समिति
सार्वजनिक उपक्रम
Office of profit

निर्वाचन
↓
अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय पद्धति

जनजाति

अध्यक्ष → नियुक्ति
↓
स्पीकर

कार्यकाल - 1 वर्ष

- कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण को और प्रभावी बनाने के लिए अमेरिकी व्यवस्था से विभागीय समितियों का प्रावधान बनाया गया।

विभागीय समितियाँ – संख्या (24) – (16) लोकसभा के स्पीकर, (8) राज्यसभा सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>24 समितियाँ</u> → 21 + 10 (LoS, RS)

(1) सदस्यों का स्पीकर एवं राज्य सभा के सभापति द्वारा किया जायेगा।

<u>कार्यकाल</u> :- 1 वर्ष।

कार्य :-

(i) मंत्रालयों के अनुदान की माँग पर विचार करना।

(ii) मंत्रालयों के द्वारा प्रस्तावित ~~विधि~~ विधेयक पर विचार करना।

(iii) इन समितियों के द्वारा मंत्रालयों की वार्षिक ~~रिपोर्ट की जाँच भी की जाती है।~~

संसदीय कार्यों का प्रबंध :-

- संसदीय समितियों के द्वारा संसद के विभिन्न कार्यों को आसान बना दिया जाता है और जो कार्य किसी भी संसदीय समिति को नहीं सौंपा जाता है उसे सामान्य प्रयोजन समिति या (जनरल Purpose) के समक्ष रखा जाता है। तथा सांसदों के आवास पुस्तकालय तथा सांसदों को विकास निधि के लिए भी संसदीय समितियों का गठन किया गया है।

संसदीय समितियों के समक्ष समस्याएँ :-

- संसदीय समितियों का निर्माण संसद में विद्यमान दलीय मतभेदों से ऊपर उठने के लिए किया गया है परन्तु संसदीय समितियों में राजनीतिक दलों के आधार पर निरंतर मतभेद विद्यमान होते हैं।
- संसदीय समितियों के कार्य करण के लिए समितियों ~~में गणपूर्ति होनी चाहिए और अधिकांशतः~~ समितियों में गणपूर्ति का अभाव होता है।
  (50% कुल सदस्य)

संसदीय समितियों का गठन सदन को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए गया है परन्तु वर्तमान में सांसद पढ़ने-लिखने में कोई रुचि (दिलचस्पी) नहीं रखते।

संसदीय फोरम

(2005) Somnath Chatterjee

↓

उद्देश्य :-

- सांसदों को मंत्रालय की अधिकारियों, विशेषज्ञों से या गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों के अन्तः क्रिया द्वारा किसी मुद्दे पर समझ विकसित करना जिससे वे संसद के समक्ष इसे उठा सकें और चर्चा कर सकें।

(i) प्रशासन विधि निर्माण जटिल हो रहा।

(ii) सांसद विशेषज्ञ नहीं होता।

संगठन :-

(i) सांसदो से मिलकर बनेगा। (मनोनयन)

(ii) LS + RS दोनों सदन के सदस्यों को (21) + (10) शामिल किया जायेगा।

ATUL PHOTOSTAT

संसदीय शासन

मंत्री परिषद Council of Ministers :-

मंत्री परिषद
⇓
प्रधानमंत्री
⇓
कैबिनेट मंत्री (मंत्रीमण्डल के सदस्य) (25)
⇓
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (13)
⇓
राज्य मंत्री (Minister of state) (36)

ATUL PHOTOSTAT

संवैधानिक प्रावधान :-

- राष्ट्रपति के द्वारा प्रधान मंत्री की नियुक्ति होगी तथा प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा (Art. 75(1))

- संसदीय परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त हो। प्रधान मंत्री और मंत्री किसी भी

सदन के सदस्य हो सकते हैं।

- संसदीय परम्परा के अनुसार प्रधान मंत्री को लोक सभा का सदस्य होना चाहिए।
- कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का वर्गीकरण संविधान में नहीं है अपितु इसका उल्लेख 1952 संसद द्वारा निर्मित अधिनियम से प्राप्त होता है जहाँ मंत्रीयों के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है।

ATUL PHOTOSTAT

कैबिनेट मंत्री

1. 25
2. मंत्रालय का प्रधान
3. कैबिनेट की बैठकों में स्वभाविक रूप में भाग लेता है जो मंत्रालय के नीतियों का निर्माण करता है।
4. कैबिनेट मंत्री सदैव बड़े मंत्रालयों में होता है।

कार्य प्रणाली :-

- संसदीय शासन को कैबिनेट का शासन ~~कहा जाता है इसलिए सभी निर्णय~~ कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं।

परन्तु कैबिनेट की बैठकों को आसान बनाने के लिए कैबिनेट के विभिन्न समितियों का गठन किया गया है इसलिए अलग अलग समितियों की बैठक आयोजित होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का बचाव सभी मंत्री करेंगे और कोई भी मंत्री मंडल सार्वजनिक रूप से कैबिनेट के निर्णय से असहमती व्यक्त नहीं कर सकता। कैबिनेट की इसी कार्य प्रणाली को सामुहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जाता है।

मंत्रीमंडल और मंत्री परिषद में अंतर :-

- मंत्री मंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते
- इसके बैठके होती है
- संविधान में इसका उल्लेख 44 संशोधन
- मंत्री परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते है

मंत्री परिषद में COM :

(i) - कैबिनेट
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- राज मंत्री

(ii) मंत्रिपरिषद का बैठक नहीं होता है।

(iii) संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख प्राप्त होता है।

- राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है और कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही मंत्रालय का एक विशेष भाग का दायित्व राज्य मंत्रालय को सौंपा जाता है। इसलिए राज्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेता वह मंत्रालय का नीति निर्माता नहीं है बल्कि कैबिनेट मंत्री का सहायक है।

* राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

स्वतंत्र प्रभार का अभिप्राय है कि ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधिन नहीं है परन्तु मंत्रालय का आकार छोटा होने कारण ~~गई है कैबिनेट मंत्रियों से अलग रखा~~ गया है। ये मंत्रीमंडल के बैठक में भाग नहीं लेते।

मंत्रियों का कार्यकाल

संसदीय शासन में मंत्री व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है अनुच्छेद 75(2) राष्ट्रपति कभी भी उसे मंत्रीपद से हटा सकता है और मंत्रालय में परिवर्तन कर सकता है क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रर्यन्त तक कार्य करता है।

- इसके माध्यम से प्रधान मंत्री अपनी मंत्रियों की टीम का निर्धारण करता है।
- मंत्री परिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा का विश्वास न प्राप्त करने पर समूचे मंत्रिपरिषद को प्रधान मंत्री के साथ त्याग पत्र देना होगा क्यों इसलिए मंत्रीपरिषद का भी निश्चित कार्यकल नहीं होता।

मंत्री परिषद की संख्या:-

- 91 वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में मंत्रीपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया।

जिसके अनुसार मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा

राज्यों के लिए भी मंत्रीपरिषद का आकार यही होगा परन्तु इसके दो अपवाद हैं —

(A) दिल्ली केन्द्रशासित क्षेत्र में मंत्रीपरिषद का आकार विधान सभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा।

ATUL PHOTO STAT
9540...213 ... 95...15/79...9

(B) छोटे राज्यों में मंत्रियों की संख्या 12 तक हो सकती है।

– यह उल्लेखनीय है कि मंत्रीपरिषद के संख्या के निर्धारण के बाद राज्यों के द्वारा राजनीतिक समायोजन के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्त होने लगी।

वर्ष 2016 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा संसदीय सचिवों की

नियुक्ति को प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

प्रधानमंत्रीय शासन

संसदीय शासन में प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है। यद्यपि संविधान में प्रधान मंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु संसदीय परीपाटी के अनुसार प्रधानमंत्री की भूमिका निम्न लिखित है –

(i) प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रमुख होता है। क्योंकि वह मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है तथा उसमें परिवर्तन भी करता है।

(ii) मंत्रीमंडल की बैठक की अध्यक्षता एवं उसके एजेंडे का निर्धारण।

(iii) विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय एवं सामन्जस्य का आकार।

(iv) प्रधान मंत्री के त्याग पत्र के बाद समूचा मंत्रीपरिषद स्वभाविक रूप से विघटित हो जाता है।

प्रधान मंत्री नीति निर्माता है, वह लोकसभा का नेता है और इससे भी बढ़कर वह समूचे देश का नेता माना जाता है।

- प्रधानमंत्री की शक्तियों का वास्तविक निर्धारण राजनीतिक कारकों द्वारा होता है और यदि किसी राजनीतिक दल में लोकसभा में बहुमत है तथा उस दल का नेता भी शक्तिशाली है तब प्रधान मंत्री का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। जैसे इंदिरा गांधी और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी हैं जिनका निर्वाचन प्रधान मंत्री के रूप में हुआ सांसद के रूप में नहीं।

कैबिनेट के बजाय प्रधान मंत्री ही शासन सत्ता का केन्द्र बन गए हैं एवं विमुद्रीकरण का निर्णय कैबिनेट के परामर्श के बिना किया गया। सेना प्रमुख बी. एस. रावत की नियुक्ति में प्रधान मंत्री की भूमिका निर्णायक है और वर्तमान में अधिकांश कैबिनेट मंत्री राज्य सभा से लिए गए हैं जो प्रधान मंत्री के निर्णायक शक्ति

का उदाहरण है। इसलिए संसद प्रधानमंत्री को नियंत्रित नहीं कर रही है बल्कि प्रधान मंत्री ही संसद को नियंत्रित कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान शासन को संसदीय शासन के बजाय प्रधानमंत्रीय शासन कहा जा रहा है। इसलिए आलोचकों के अनुसार सत्ता और शक्ति का केन्द्रीकरण बढ़ रहा है जो लोकतंत्र के लिए नकारात्मक माना जा रहा रहा। परन्तु पिछले 30 वर्षों वर्तमान गठबंधन के अस्थायित्व को देखते हुए जनता के द्वारा एक शक्तिशाली नेतृत्व का समर्थन किया गया।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन आम जनता के द्वारा नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में होता है कि जिसका अभिप्राय है जनता के निर्वाचित सांसद और विधायक राष्ट्रपति का निर्वाचन करते है। इससे प्रतीत होता है कि भारत एक गणतंत्र है। देश के राष्ट्र अध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है जिसका अभिप्राय है कि सभी पद भारत के आम नागरिकों के लिए खुले हुए है।

2.- राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप में होता है क्योंकि वह संवैधानिक प्रधान है।

3.- राष्ट्रपति संघ सरकार की शक्तियों का संवैधानिक प्रधान है इसलिए उसके निर्वाचन में LS, RS के निर्वाचित सदस्य एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते है।

संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल :-

Art 54

(i) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। 543
(ii) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य। 233
(iii) विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।
(iv) 70th संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य।

Art 55.

- राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक ~~प्रतिनिधित्व~~ की एकल प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगा।
- इसी अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो प्रकार की आनुपातिक समानता बनायी जायेगी।

A) विभिन्न राज्यों के बीच

B) राज्य एवं संघ के बीच।

- विभिन्न राज्यों के बीच आनुपातिक समानता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित

सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$= \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या (1971)}}{\text{उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

* संघ एवं राज्यों के बीच समानता बनाए रखने के लिए: 29 राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य + दिल्ली पांडुचेरी के विधायकों के का मूल्य ÷ निर्वाचित ~~सदस्यों~~ सांसदों की संख्या।

ATUL PHOTOSTAT

राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 :-

राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होगा जिसका सूत्र निम्नलिखित है।

$$= \frac{\text{कुल वैध मत}}{\text{निर्वाचित स्थानों की संख्या} + 1} + 1 = \frac{11\text{लाख}}{2} + 1$$

मतदान :-

प्राथमिकता	Condition I	Condition II
(A) → 2	(A) → 6 लाख मत मूल्य	(A) – 5 लाख मत मूल्य
(B) → 1	(B) → 3 लाख मत मूल्य	(B) 3.5 लाख मत मूल्य
(C) → 3	(C) → 2 लाख मत मूल्य	(C) 2.5 लाख मत मूल्य

वरीयता

⇓

दूसरी वरीयता की मत गणना

जिस व्यक्ति की पहली वरीयता सबसे कम मत प्राप्त है अन्य वरीयता (दूसरी वरीयता) की गणना।

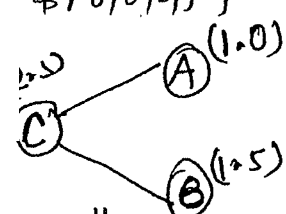

⇓

संक्रमण

(A) → 5+1.0 = 6 लाख

(B) → 3.5+1.5 = 5 लाख

ATUL PHOTOSTAT

आलोचना :-

1.- आलोचकों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आनुपातिक नहीं होने चाहिए क्योंकि आनुपातिक चुनाव प्रणाली का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जाता है।

2. आलोचकों का विचार पूर्ण रूप में सत्य नहीं है क्योंकि यहाँ आनुपातिक का अभिप्राय विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यों के बीच अनुपात बनाए रखना है।

ATUL PHOTOSTAT
9540523136,9540461166

3. राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का प्रतिनिधित्व संघ शासित की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि राज्यों में विधान सभा R.S और LS तीनों की भागीदारी होती है जबकि संघशासित क्षेत्रों में केवल LS के सदस्य ही चुनाव में भाग लेते हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :

VETO का प्रयोग :-
(वीटो)

→ विधेयक
- 1. राष्ट्रपति इसपर अनुमति प्रदान करेगा । ⟶ अधिनियम (Date of signature)
- 2. राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा (वीटो) (अनुच्छेद 111) ⟶ 'निरपेक्ष वीटो' absolute वीटो
- 3. राष्ट्रपति (Pocket VETO)
- 4. पुनर्विचार (निलम्बनकारी) (suspensive veto)

– संसदीय शासन में विधि निर्माण का दायित्व सामान्यत: मंत्रीपरिषद (मंत्रीमंडल) का होता है। और अनुच्छेद 74 (A) में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा । और राष्ट्रपति इसके अनुसार कार्य करेगा । परन्तु राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के सदन के समक्ष भेज सकता है।

जिससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है इसलिए वह संसद द्वारा पारित विधियें पर सामान्यतः सहमति देता है।

— पहली बार 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक को रोक लिया। उन्होंने इसपर ~~अनुमति~~ अपना कोई निर्णय नहीं दी और अनिश्चित काल तक रोके रखा इसे लोकप्रिय रूप मे Pocket VETO कहा गया जिससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति अनेक अवसरों पर अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि 1990 के बाद गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधान मंत्री की स्थिति कमजोर हुई और राष्ट्रपति शक्तिशाली बनकर उभरा। वर्ष 2006 में APJ Kalam द्वारा लाभ संबंधि विधेयक को पुनर्विचार सदन में भेज दिया।

- सामान्य विधि की कोई समय सीमा नहीं होती जबकि अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह ही होती है।

शक्ति पृथक्करण एवं अध्यादेश :-

भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का विचार अन्तर्निहित है जिसके अनुसार विधि निर्माण का मूल दायित्व संसद का है कार्यपालिका का नहीं। और संसद द्वारा निर्मित विधि में जनता के इच्छाओं का समावेश होता है उसपर व्यापक विचार विमर्श होते हैं और विपक्ष द्वारा उसकी खामियाँ भी उजागर किया जाता है। इसलिए अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण संसद के भूमिका को सीमित करना है।

संविधान में उल्लेख है कि अध्यादेश जारी करने के छः सप्ताह के भीतर सदन ने इसका अनुमोदन नहीं करता है तो यह स्वभाविक रूप से समाप्त हो जायेगी। इसके बावजूद अध्यादेश

को बार-बार जारी किया गया। और 10 वर्षों से ज्यादा एक अध्यादेश का प्रयोग किया गया।

अध्यादेश एवं न्यायिक पुनर्विलोकन :-

- अध्यादेश का पुनर्विलोकन न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और अध्यादेशों के दुरुपयोग पर न्यायपालिका ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। 1986 के बाधवा वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि एक ही अध्यादेश को बार-बार जारी करना ~~(बार-बार)~~ असंवैधानिक है जो विधायिका की शक्तियों को अतिक्रमित करने का प्रयास है।
  न्यायालय ने इसी निर्णय को 2017 में कहा कि अध्यादेश द्वारा किया गया कोई भी कार्य स्थायी नहीं है।

- उच्चतम न्यायलय ने यह भी कह रखा है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिगत नहीं ~~अपितु संवैधानिक है इसलिए इसका दुरुपयोग संभव नहीं है।~~

निष्कर्ष :-

वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधायिका द्वारा निर्मित जल्दबाजी में अथवा त्रुटिपूर्ण विधियों को नियंत्रित किया जा सकता है यद्यपि संसदीय शासन में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है इसलिए ~~किल~~ इसका सीमित प्रयोग ही संभव है।

अध्यादेश (Ordinance)

ATUL PHOTOSTAT

L.S

पहला वाचन
दूसरा वाचन
तीसरा वाचन

बजट सत्र
मानसून सत्र
शीत सत्र

Compex

Time Taken

1. संसदीय शासन में विधि निर्माण का मूल कार्य विधायिका का होता है। परन्तु ~~संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो एवं किसी~~

तत्काल विधि निर्माण की आवश्यकता हो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जायेगा। (Art 123)

विधि एवं अध्यादेश।

- संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि एवं अध्यादेश को एक दूसरे का पर्याय कहा गया है। इसलिए अध्यादेश से वे सभी कार्य संभव है जो विधि द्वारा संभव हैं।

- अगर अध्यादेश एवं विधि का प्रभाव एक समान होता है। राष्ट्रपति संघ सूची के विषयों पर एवं समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। परन्तु अध्यादेश एवं सामान्य विधियों में निम्नलिखित अंतर होते हैं।

  - सामान्य विधि का निर्माण संसद करती है जबकि अध्यादेश राष्ट्रपति (कार्यपालिका) द्वारा जारी होता है।

राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्ति

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संसदीय शासन के परम्परा के अनुसार उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसे लोक सभा के बहुमत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति के द्वारा सबसे बड़े दल के नेता के बजाय गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान में यह उल्लेखित नहीं है कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए परन्तु संसदीय परिपाटियों के अनुसार प्रधान मंत्री लोक सभा से होना चाहिए।

राष्ट्रपति के द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक कार्य करते हैं जिसका अर्थ है इन्हें अपने पद से हटाने के के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश - संसद ।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - संसद
3. निर्वाचन आयुक्त — संसद
4. संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष – उच्चतम न्यायालय
5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग – उच्चतम न्यायालय

ये पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त तक काम नहीं करते हैं। ये पदाधिकार स्वायत्त हैं। कार्यपालिका के अधीन नहीं हैं।

– राष्ट्रपति अपने कार्यपालिकीय शक्तियों का सम्पादन स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की माध्यम से इसका निर्वहन करेगा। यह उल्लेखनीय है कि संसदीय शासन में राष्ट्रपति के समूचे कार्य मंत्री परिषद की सलाह एवं सहायता के आधार पर सम्पादित किए जाते हैं। Art 74(1) इसी अनुच्छेद ~~में यह भी उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह~~ का न्यायपालिका पुनरावलोकन नहीं करेगी।

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ :-

क्षमादान :-

1. निवारात्मक
2. प्रतिशोध
3. सुधारात्मक

दण्ड के प्रकार

1. आर्थिक
2. कारावास
3. सश्रम कारावास
4. आजीवन कारावास
5. मृत्यु दण्ड

क्षमा का तरीका :- (Art 72)

1. Pardon (क्षमा) (मृत्युदण्ड) → दोष से मुक्त
   → सजा माफ

2. लघुकरण (Commutation) → मृत्यु दण्ड → आजीवन कारावास] → गुणात्मक परिवर्तन

~~3. परिहार → सजा में मात्रात्मक कमी।~~
(Remission)
10 वर्ष → 5 वर्ष

4. विराम (Respite) :- विशेष परिस्थितियों के कारण
- → गर्भवती
- → कैंसर पीड़ित

5. Repriene (निलम्बन) :-

– सजा के क्रियान्वयन को रोक देना। इसलिए यह केवल मृत्यु दण्ड के मामले में लागू होता है जब तब राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचिका निस्तारण नहीं होगा उस दौरान मृत्यु दण्ड का क्रियान्वयन रोक दिया जायेगा।

राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों का तुलना :-

1. – राष्ट्रपति मृत्युदण्ड प्राप्त अपराधी को क्षमा दे सकता है परन्तु राज्यपाल को मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्ति के दण्ड को लघुकरण का अधिकार है।

2. – राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों (Court Marshall) द्वारा दण्डित व्यक्तियों को भी क्षमा दे सकता है जबकि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है।

क्षमादान शक्ति का प्रयोग :-

- राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रीपरिषद (गृहमंत्रालय) की सलाह पर की जाती है यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका के निर्णय से अलग हो सकता है।
- क्षमादान राष्ट्रपति का व्यक्तिगत कृपा नहीं है बल्कि एक संवैधानिक शक्ति है।

क्षमादान के आधार

अनुच्छेद 72 में क्षमादान के प्रकार का उल्लेख है परन्तु आधार का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर क्षमादान के प्रयोग के आधार निर्माण हुआ है जो निम्नलिखित हैं-

(A) क्षमादान शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत और मौखिक रूप नहीं होगा इसके लिए लिखित याचिका प्रस्तुत करनी होगी

~~(B) क्षमादान शक्ति का प्रयोग मनमानी~~ और अतार्किक रूप में नहीं किया

आयेगा इसलिए जाति, धर्म, क्षेत्रीय के आधार पर प्रयोग अतार्किक है जब राष्ट्र की एकता अखण्डता सामान और परिवार के हित के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।

c) उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से क्षमादान शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया किन्तु कार्यपालिका ने मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं को निस्तारित करने में 10 वर्ष लगा दी।

ATUL PHOTOSTAT
9540752... 9540467930

क्षमादान शक्ति एवं शक्ति का पृथक्करण :-

1. मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं के निस्तारण में अनावश्यक विलंब को न्यायपालिका ने असंवैधानिक कहा। न्यायालय के अनुसार क्षमायाचिकाओं के निर्णय में विलंब जीवन की अधिकार का उल्लंघन है तथा व्यक्ति को यातना देने की भाँति है। और उच्चतम न्यायालय ~~ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत~~ ~~राजीव गांधी~~ के दोषी व्यक्तियों के मृत्यु की सजा को लघुकरण करते हुए

आजीवन कारावास में बदल दिया यह चौंकाने वाला तथ्य है कि क्षमादान की शक्ति कार्यपालिका की है जिसका प्रयोग न्यायालय ने किया परन्तु न्यायालय ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि मृत्युदण्ड प्राप्त प्रत्येक व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा बल्कि प्रत्येक मामलों का निर्धारण अलग-अलग किया जायेगा।

राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ :-

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) :-

- यदि बाह्यआक्रमण (External), युद्ध (War) सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो। खतरा वास्तविक हो या संभावित हो या क्षेत्र विशेष की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगी यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो।

व्यवहारिक उदाहरण :-

1962 में पहली बार बाह्य आक्रमण के

आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। यह भी उल्लेखनीय है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान यह आपातकाल जारी था। राष्ट्रपति के द्वारा 1968 में इसके समाप्ति की घोषणा की।

2. दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पुनः बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया।

3. यह उल्लेखनीय है कि 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई जबकि 1971 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल बना हुआ था और इंदिरा गांधी द्वारा 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया कि एक साथ दो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है परन्तु 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किया गया था इसलिए इसे आंतरिक आपातकालीन कहा जाता।।

प्रभाव :-

1. लोकसभा विधान सभाका कार्य काल :-

- संविधान में उल्लेखित है राष्ट्रीय आपात काल के दौरान LS और RS का कार्य काल एकबार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसके समाप्ति के बाद भी छः महीने तक इसका प्रभाव रहेगा।

- 1971 और 1975 में घोषित आपातकाल 1977 में हटा दिए गए।

2. <u>मूल अधिकार पर प्रभाव</u> :-

- राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार तत्काल निलंबित हो जाते है। (अनुच्छेद 358)

- आपात काल की उद्घोषणा के साथ राष्ट्रपति के द्वारा एक पृथकक उद्घोषणा ~~के माध्यम से मूल अधिकारों के क्रियान्वयन~~ को प्रतिबंधित किया जायेगा। (Art 359)

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिक केवल कार्यपालिका की कृपा पर निर्भर हो गए क्योंकि अधिकार निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति इसलिए संसद और न्यायपालिका नागरिकों का अधिकारों की रक्षा नहीं सके इसलिए आलोचक इसे लोकतंत्र लिए काला अध्याय कहते हैं।

संघीय शासन पर प्रभाव :-

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्य विधान सभाएँ एवं राज्य मंत्रीमंडल बना रहता है परन्तु शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है।

जनता पार्टी द्वारा (44 वाँ संशोधन द्वारा) आपातकाल को रोकने का प्रयास :-

- आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया।

~~पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को~~ समाप्त करने की शक्ति लोकसभा को दी गई। जिसके अनुसार यदि लोकसभा

के $\frac{1}{10}$ सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर से आपातकाल हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करें और लोकसभा इसे सामान्य बहुमत से पारित कर दे तो आपात काल समाप्त हो जायेगा।

- यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 अधिकारों का निलंबन कभी नहीं होगा।) (अनुच्छेद 359)
- यह भी प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनार्विलोकन किया जायेगा आपात काल के दुरूपयोग को रोकने यह भी संशोधन किया गया कि कैबिनेट की लिखित सलाह के बाद ही आपात काल की घोषणा की जायेगी।

352 अनुच्छेद
↓
राष्ट्रीय आपातकाल
⇓
~~30 दिन के भीतर~~
⇓
~~दोनों सदनों के द्वारा~~
विशेष बहुमत से

⇓
अधिकतम समय सीमा नहीं
1) 6/6 महीने के लिए ~~इसे बढ़ाया जा सकता है~~
– ~~संसद विशेष बहुमत~~ से अनुमोदन करे।

⇓

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा

(A) लोकसभा भंग

(B) 30 दिन के भीतर RS अनुमोदित कर दें

~~चुनाव~~

C) पुनर्गठित लोकसभा अपनी बैठक के 30 दिन के भीतर इसे अनुमोदित कर दे।

संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन)

अवधि :-

(i) 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्षों की होगी।

(ii) परन्तु 1 वर्ष से ज्यादा इसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होनी चाहिए।

A) समूचे देश में या देश के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।

B) इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग यह

प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन करना संभव नहीं है।

अनु० 356 :-

- ⇓ 6-6 महीने में बढ़ाने का अधिकार संसद को।
  - ⇓ सामान्य बहुमत
- ⇓ 2 महीने
  - ↓ संसद द्वारा अनुमोदन
- ⇓ लोकसभा का विघटन
  - ⇓ 2 महीने के भीतर राज्य सभा अनुमोदित कर दे।
  - ⇓ सामान्य बहुमत
- ⇓ पुनर्गठित लोकसभा
  - ⇓ 30 दिन की अवधि में अनुमोदित करे
  - ⇓ सामान्य बहुमत

— राष्ट्रपति शासन की समय सीमा निर्धारित करने के परिणाम स्वरूप एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुई। पंजाब में मिलिटेंसी के कारण तीन वर्षों की अवधि में भी निर्वाचन नहीं हो सका इसलिए 59वे संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को पाँच वर्ष तक बढ़ाना पड़ा।

संघवाद पर प्रभाव :-

राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार की सभी शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया जायेगा। उच्च ~~ना~~ न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर।

- अनुच्छेद 356 के प्रावधान से यह प्रतीत होता है राज्य सभा में विधानसभा का बहुमत सरकार संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित होना चाहिए।

- अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद विधान सभा को निलंबित (suspened) किया जाता है। और दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद विधान सभा भंग हो जाती है। अतः शक्ति के विभाजन के समाप्ति के साथ विधानसभा भी मृत हो जाती है।

अनुच्छेद 356 लागू होने के दौरान राज्य सरकार का बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सूची के विषय

पक्ष अध्यादेश जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल

संवैधानिक प्रावधान :-

- अनुच्छेद 360 में समुचे भारत का अथवा किसी क्षेत्र का वित्तीय साख अथवा स्थायित्व खतरे में हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये तो वित्तीय आपात काल की घोषणा की जा सकती है।

ATUL PHOTOSTAT
9560...

- डॉ० अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों को अपवादी कहा गया था जिनका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होगा। भारत में वित्तीय स्थिति में अनेक बार संकट आयी फिर भी वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया।

- राष्ट्रपति उदघोषणा करेगा तो 2 महीने के अवधि के संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाय

① → अनिश्चित काल।

② — बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) राष्ट्रपति इसे जब चाहे तब समाप्त कर सकता है।

① वित्तीय आपातकाल

⇓

② लोकसभा विघटित

⇓

(3) 2 महीने में राज्यसभा अनुमोदित कर दे।

⇓

सामान्य बहुमत

(4) पुनर्गठित लोकसभा 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन (सामान्य बहुमत से)।

ATUL PHOTOSTAT

संघ राज्य संबंधों पर प्रभाव

(i) संघ राज्य के बीच वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों का विभाजन स्थगित हो जायेगा

(ii) संघ सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

(iii) राज्य विधान सभा एवं मंत्रिमंडल बने रहेंगे परन्तु राज्य सरकार के बजट को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जा सकता है।

वेतन भत्तों पर कटौती :-

वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राज्य के अन्तर्गत कार्य करने वाले पदाधिकारियों के सभी वर्गों के वेतन भत्तों में कटौती की जासकती है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में कटौती भी की जा सकती है।

निष्कर्ष :-

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार कार्यपालिका का है परन्तु इसपर प्रभावी संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया है और इससे बढ़कर अब आपातकाल का प्रावधान न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में भी है जिससे इनके दुरूपयोग की संभावना अत्यधिक कम होगयी है। यह संविधान की विशेषता नहीं आपितु संकटकालीन परिस्थितियों के संवि समाधान के माध्यम है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)

- संसदीय शासन में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है जो मंत्री परिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करता है परन्तु राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह और सहायता मानने से इनकार कर दे तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जायेगा।

- इसलिए अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है कि संविधान के उल्लंघन के ~~कि~~ आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता। यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की सपथ लेता है अतः संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। (Preserving, Defending, Protecting)

ATUL PHOTOSTAT 9540528339, 9540...

महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है बशर्ते उस सदन के $\frac{1}{4}$ सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होगी। और

~~दोनों सदनों में यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।~~

विशेषबहुमत:- सदन के कुल सदस्य संख्या का $\frac{2}{3}$
$= 545 \times \frac{2}{3}$, $245 \times \frac{2}{3}$

- दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है। और दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति का पद स्वभाविक रूप से रिक्त हो जायेगा।

- यह भी ध्यान देने योग्य बिन्दु है कि राष्ट्रपति यदि मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करेगा तो प्रधान मंत्री त्यागपत्र देकर संवैधानिक समस्या उत्पन्न कर सकता है। राष्ट्रपति वैकल्पिक मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं कर सकेगा। इसलिए भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग आरंभ नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री का कर्तव्य :-

संविधान में प्रधान मंत्री की शक्तियों का स्पष्ट एवं सीधा उल्लेख नहीं है जबकि प्रधानमंत्री के कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और यह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों का

द्योतक है। ~~(अनुच्छेद 78)~~

* अनुच्छेद 78 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं:-

(A) संघ शासन से संबंधित प्रशासन एवं विधिनिर्माण की सूचना देगा।

उदाहरण- विमौद्रिकरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के दौरान राष्ट्रपति को देश की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया गया।

GST के संबंध में भी प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराया गया।

ATUL PHOTOSTAT

B) संघ के प्रशासन एवं विधि निर्माण संबंधि सूचनाएँ राष्ट्रपति माँग सकता है।

इस संबंध में सर्वाधिक गंभिर विवाद राष्ट्रपति जैल सिंह एवं प्रधान मंत्री राजीव गांधी के बीच है। ज्यादातर संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति को सूचना देना का कार्य प्रधान मंत्री का होगा।

C) यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी मुद्दे पर विचार किया गया हो तो राष्ट्रपति ~~प्रधानमंत्री के माध्यम से उसे समूचे~~

मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश देगा। व्यवहारिक रूप से यह प्रधान मंत्री की शक्ति है जिसमें मंत्री विशेष द्वारा लिया गया निर्णय समूचे मंत्री परिषद के समक्ष रखा जायेगा।

D) यदि प्रधान मंत्री इन कर्त्तव्यों का पालन न करें तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा में निर्मित विश्वास द्वारा निर्धारित होता है।

उपराष्ट्रपति :-

निर्वाचन :-

लोक सभा राज्यसभा

- अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय पद्धति।

पद से हटाने

- ~~प्रस्ताव राज्यसभा आरंभ करेगी~~
- तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव ~~जिससे लोक सभा सहमत हो।~~

3. संविधान में हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

कार्य :-

(1) संविधान में कोई कार्य नहीं है।

(2) उसके वेतन भत्ते राज्य सभा के सभापति के लिए दिया जाता है।

(1) राष्ट्रपति की मृत्यु अनुपस्थिति अथवा त्यागपत्र (राष्ट्रपति का पद रिक्त हो) या राष्ट्रपति अपना कार्य सम्पादित करने में असमर्थ हो जाय तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

(ii) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसे राष्ट्रपति के उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी उस दौरान वह राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा।

भारतीय संसदीय शासन में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसलिए यह संसदीय शासन में महत्वहीन ~~है और संविधान में उसका वास्तविक कार्य~~ राज्य सभा का सभापति के रूप में है।

लोकसभा-विधान सभा के साथ-साथ चुनाव

संसदीय शासन और एक साथ चुनाव :-

- संसदीय शासन का मूल भूत सिद्धांत है कि मंत्रीपरिषद को सामूहिक रूप में विधानसभा या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। इसलिए शासन (संसदीय) में कार्यपालिका का कार्य काल सुनिश्चित नहीं हो सकता।

- इसके अतिरिक्त कार्यकाल सुनिश्चित होने के बावजूद ~~सरकसभी~~ राज्यों में सरकार को बहुमत की गारंटी नहीं नहीं दी जा सकती। अतः सुनिश्चित कार्यकाल में विश्वास मत खो चुकी सरकार को भी ~~शासन का अधिकार मिलेगा~~ 5 साल शासन करने का अवसर मिलेगा जो संविधान की भावना का उल्लंघन है।

- इसके साथ एक साथ चुनाव कराने के ~~लिए कई विधान सभाओं का कार्यकाल~~

बदलना होगा है इसके लिए संविधान संशोधन करना है। यह उल्लेखनीय है कि संसदीय शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। इसे संविधान संशोधन द्वारा भी बदला नहीं जा सकता।

संघात्मक शासन और साथ साथ चुनाव :-

1. भारत में संघ एवं राज्य सरकार एक दूसरे से स्वायत्त एवं समकक्ष हैं। अतः संघ एवं राज्यों का निर्वाचन होना स्वभाविक है। और दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं।

ATUL PHOTOSTAT

2. एक साथ चुनाव से स्थानीय मुद्दों तथा राष्ट्रीय मुद्दों के बीच अंतर नहीं होगी और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।

अध्यक्षीय शासन और साथ-साथ चुनाव :-

1. वास्तविक रूप में शासन का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक व्यवस्था का लक्षण ~~है जहाँ राष्ट्रपति एक निश्चित समय~~ के लिए निर्वाचित होता है और विधायिका

को राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास पारित करने का अधिकार नहीं होती न ही राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकते। इसलिए राष्ट्रपति विधायिका का कार्यकाल एक साथ होते है। अतः एक साथ चुनाव कराना भारत में संसदीय शासन के अध्यक्षात्मक रूप में परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है।

* एक साथ चुनाव और प्रशासनिक सुविधाएँ :-

1. 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा विधान सभा चुनाव साथ साथ आयोजित किए जाते थे। इसलिए साथ होने वाले चुनाव न तो संसदीय शासन के विरुद्ध है और न ही संघात्मक शासन के प्रतिकूल है।

2. भारत में 16वीं लोक सभा चुनाव में सरकारी अनुसार लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में 3500 करोड़ रुपए खर्च किए गए [India Today]

3. चुनाव के घोषणा के साथ ही चुनाव आचार (Model Code of Conduct) लागू हो जाती परिणाम स्वरूप कोई नए विकास कार्य न हो सकते हैं और न ही किसी नई नीति की घ होती है। जो भारत जैसे विकासशील दे के लिए व्यवहारिक नहीं है।

सैद्धांतिक रूप में एक साथ चुनाव में अनेक बाधाएं विद्यमान हैं परन्तु प्रशास एवं आर्थिक हितों को देखते हुए एक स चुनाव का विकल्प अत्यधिक बेहतर है।

Q.

- → व्यक्तिगत भूमिका में भूमिका
- → दल बदल विरोधी
- → कानून के कारण, व्यक्तिगत भूमिका ह
  - सांसद का व्यवसायिक भूमिका
  - प्रश्न पूछना
  - सांसद मंत्रीमंडल को नियंत्रित कर

Q. "संसद और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ जैसा कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं अनेक असंहिताबद्ध और अपरिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिए। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है।

उत्तर :-

→ संसदीय विशेषाधिकार

→ विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारण

→ समाधान
- संविधान संशोधन।
- राजनीतिक दल आपसी सहमति से
- संसदीय नैतिकता की समिति के द्वारा।

Q. लाभ के पद का अभिप्राय स्पष्ट करें इस सिद्धांत के निर्माण के पीछे कारणों का उल्लेख करे। और दिल्ली विधान सभा के विशेष संदर्भ में लाभ के संबंधी विवाद अपना मत व्यक्त करे।

Q.2. भारत मे लोकसभा विधान सभा चुनाव साथ साथ कराने का विचार संसदीय और संघात्मक के प्रतिकूल है। साथ साथ चुनाव कराने में विद्यमान बाधाओं को सामाधान आप किस प्रकार करेंगे।

Q.3 संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताओं और उसकी खामियों का उल्लेख करे। क्या आप इस मत से सहमत है कि अध्यक्षात्मक शासन वर्तमान परस्थितियों के लिए एक बेहतर विकल्प है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Q4. संसदीय शासन में राज्यसभा की भूमिका का लगातार अवमूल्यन हो रहा है। इसके लिए उत्तरदायी मूल कारणों का उल्लेख करे एवं तार्किक समाधान भी प्रस्तुत करे।

उत्तर :- भारतीय संसदीय शासन में लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारतीय संघीय ढाँचे में राज्य सभा का अत्यधिक महत्व है। विधि निर्माण मे इसकी भूमिका समान है। तथा अखिल भारतीय सेवाओं के

निर्माण (Art-312) तथा राष्ट्रीय हितों से संबंधित ~~सूची~~ से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण की राज्य सभा का पहला विशेषाधिकार है।

वर्तमान में सामान्य विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना। (आधार कार्ड)। राज्य सभा के निर्वाचन में धन बल का बढ़ता प्रयोग। राज्य सभा के सदस्यों का अपने राजनीतिक दलों के प्रति अत्यधिक निष्ठा।

समाधान:-

(i) धन विधेयक के नाम पर राज्य सभा की भूमिका की अवहेलना के परिणाम स्वरूप विधेयक के संबंध में स्पीकर की शक्तियों को पुनः परिभाषित करना।

(ii) राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए स्थानीय प्रांत की निवास की शर्त को शामिल करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन,

(iii) राज्य सभा लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों को यदि एक वर्ष तक पारित नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों से पारित मान लेना ~~चाहिए क्योंकि राज्य सभा की भूमिका~~ संशोधनकारी है प्रतिबंधकारी नहीं।

(iv) दल बदल कानून राज्य सभा के सदस्यों पर लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं होता।

संसदीय शासन में लोकसभा और राज्य सभा की भूमिका समान है। परन्तु जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के कारण लोक सभा का स्वाभाविक महत्व बढ़ जाता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है राज्य सभा को जान बूझ कर कमजोर किया जाए।

संविधान संशोधन और आधारभूत ढाँचा

* संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368):-

(i) संसद अपनी संविधायी शक्ति के द्वारा संविधान (Constituent power) के किसी भी भाग में (1से22क) परिवर्तन कर सकती है, जोड़ सकती है, या हटा सकती है।

संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।

(ii) अनुच्छेद 368 (II) में यह उल्लेखित है कि संविधान के निम्न लिखित भागों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होगी।

(A) राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में परिवर्तन।

(B) सातवीं अनुसूची में उल्लेखित में शक्ति विभाजन में परिवर्तन।

(C) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के शक्तियों में परिवर्तन।

(D) राज्य सभा मे राज्यों का प्रतिनिधित्व ।

(E) अनुच्छेद 368 में परिवर्तन ।

(iii) 368 (iii) → संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि नहीं है ।

संविधान संशोधन विधि	सामान्य विधि
(A) अनुच्छेद 368	(A) अनुच्छेद 246
(B) विशेष बहुमत	(B) सामान्य बहुमत
(C) संविधान में परिवर्तन	(C) केवल सामान्य विधि का निर्माण

ATUL PHOTOSTAT
9811 ...333, 9540 ...67935

(iv) अनुच्छेद 368 (iv) & (v) :-

संसद की संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी तथा संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा ।

संविधान का कौन सा भाग संसद के संशोधन की शक्ति के दायरे से बाहर है –

(i) संविधान लागू होने के बाद निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए संविधान संशोधन किए गए। इस संबंध में मूल अधिकारों के अतिक्रमण किए गए परन्तु उच्चतम न्यायालय के द्वारा संकरीप्रसाद वाद (1950) के महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा गया कि संसद अनुच्छेद 368 की शक्ति एवं प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए सक्षम है जिससे यह प्रतीत होता है कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

* गोलखनाथवाद 1967

उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368

~~में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है शक्ति नहीं।~~

• न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि सामान्य विधि और संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है अतः संसद की संविधायी शक्ति और विधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मूल अधिकार में कटौती न तो विधायी शक्ति द्वारा संभव है न संविधायी शक्ति द्वारा। जिसका अभिप्राय है कि मूल अधिकार संसद की संशोधन की शक्ति से परे है।

ATUL PHOTOSTAT
9540628336 9540462...

मूल अधिकार के अध्याय के अलावा संविधा. के ~~अलावा संविधान~~ के किसी भी भाग का संशोधन हो सकता है क्योंकि मूल अधिकार पवित्र और महत्वपूर्ण है।

गोलखनाथ के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 24 के संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में यह उल्लेखित किया गया कि इस अनुच्छेद में संशोधन के प्रक्रिया के अलावा संशोधन की शक्ति भी है जिसे संविधायी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया

गोलखनाथ के निर्णय को उलटने के लिए अनुच्छेद 368 में यह भी उल्लेखित किया गया कि संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है। परिणाम स्वरूप संसद मूल अधिकारों के अध्याय में भी संशोधन के लिए सक्षम बन गई।

* आधारभूत ढाँचे का सिद्धांत :-

(i) पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है तथा इसमें प्रक्रिया भी शामिल है लेकिन संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है इसलिए संसद मनमानी रूप में स्वेच्छाचारी रूप में, संविधान में बदलाव नहीं कर सकती।

(ii) फिर पहली बार न्यायपालिका ने यह कहा कि संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति है लेकिन संसद संविधान में आमूलचूल बदलाव नहीं कर सकती।

(iii) पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी संविधान संशोधन विधि को रद्द कर दिया गया। जिसके द्वारा न्यायपालिका ने कहा

25वाँ संविधान संशोधन = 31 (C) → 39 (b) (c) निदेशक तत्व
→ मूल अधिकार (14, 19, 31)
→ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा

कि न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढाँचा है जिसे संसद संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं कर सकती

(iv) पहली बार उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे का विचार प्रतिपादित किया । न्यायालय के अनुसार संविधान की कुछ अपृथक्क भाग है अथवा मौलिक तत्व हैं जिनके संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती परन्तु न्यायपालिका ने आधारभूत ढाँचे को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया और 1973 से लेकर आज तक न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के आधार पर आधारभूत ढाँचे की निम्नलिखित सूची बनायी जा सकती है :-

1. संसदीय शासन
2. संघात्मक शासन
3. पंथनिरपेक्षता
4. मूल अधिकार निदेशक तत्वों के बीच संतान्वय
5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन
6. लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली
7. प्रस्तावना में वर्णित आदर्श
8. अनुच्छेद 368

~~आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत को स्पष्ट करने~~ के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा

GurusNotes.com

42वाँ संविधान संशोधन लाया गया और अनुच्छेद 368 में खण्ड (iv) और (v) जोड़ा गया।

जिसे 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में पुनः असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायपालिका के अनुसार संसद अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास कर रही है और न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने की कोशिश कर रही है जो आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन है इसीलिए अमान्य है।

आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत का परिणाम :-

(i) वर्तमान में संसद के पास विद्यमान विशेष बहुमत भी संविधान संशोधन के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ii) आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के द्वारा संसद की शक्तियाँ सीमित हुई जबकि न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई क्योंकि संसद ~~द्वारा किया गया संशोधन अंतिमत: न्यायपालिका~~ के इच्छा पर निर्भर हो गया। इसीलिए आलोचकों

ने यह कहा कि आधार भूत ढाँचे के सिद्धांत द्वारा न्यायपालिका ने विधायिका की शक्तियों को सीमित किया इसलिए यह न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है।

आधार भूत ढांचा और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत :-

(i) यह रुचिकर विषय है कि उच्चतम न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी आधारभूत ढाँचे में शामिल किया है जिसके अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति संविधान द्वारा संसद को प्रदान किया गया है। परन्तु न्यायपालिका ने संसद की इस संवैधानिक शक्ति को सीमित कर दिया है।

इसलिए आलोचक यह मानते हैं कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर न्यायपालिका स्वयं को शक्ति शाली बना रही है और ~~शक्ति पृथक्करण के विचारों के प्रतिकूल है परन्तु~~ न्यायपालिका का तर्क है।

आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के संसद के संशोधन की शक्ति को सीमित करने करने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि मनमानी संशोधन की शक्तियों पर अंकुश का प्रयास है और संविधान की व्याख्या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार होगी इसीलिए आधारभूत ढाँचे के विचार को भी एक बार में परिभाषित करना संभव नहीं है।

ATUL PHOTOSTAT

* नवीं अनुसूची और आधारभूत ढाँचा :-

९वीं अनुसूची –

⇓

1. COFEPOSA
2. 69% आरक्षण तमिलनाडु सरकार द्वारा
3. Essential Commodities Act
4. MRTP

आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद (1973) संसद के द्वारा नवीं अनुसूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया जो भूमि सुधार से संबंधित नहीं थे। यह उल्लेखनीय है कि नवीं

अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखे गए थे इसी लिए नवीं अनुसूची में विभिन्न विषय को शामिल करके न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास किया गया इसे कोल्होवाद में न्यायपालिकाओं को चुनौती दी गई और न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को समर्थन करते हुए निम्न लिखित निर्णय दिया है।

GL PHOTOSTAT

— 9वीं अनुसूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है इसलिए वह विषय जिससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता हो उसे अवैध घोषित किया जायेगा चाहे वह नवीं अनुसूची में क्यों न हो।

1973 के बाद शामिल 9वीं अनुसूची में विषय जो आधारभूत ढांचे के ~~विरोधी है वे भी असंवैधानिक घोषित कर दिए जायेंगे अतः संविधान को~~

कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर है और कोई भी ऐसा भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे आधारभूत ढाँचा का उल्लंघन किया जा सके। विगत 67 वर्षों के न्यायिक इतिहास में न्यायपालिका ने अनेक निर्णयों को परिवर्तित किया है परन्तु आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत को शक्तिशाली समर्थन दिया है।

* आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के आलोचना:-

1. आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत अमूर्त है और विरोधाभाषी है क्योंकि आजतक न्यायपालिका ने इसे परिभाषित नहीं किया। इसलिए आधारभूत ढाँचे का प्रतिपादन न्यायधीशों के निजी निर्णय का विषय हो गया है।
2. यदि एक बैंच के दो न्यायधीश आधारभूत ढाँचे के संबंध में अलग अलग मत व्यक्त करें तो किस दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाए जैसा इंदिरा गांधी वाद में हुआ था

एक न्यायधीश ने स्वतंत्रता एवं निपक्ष चुनाव को आधारभूत ढाँचे का भाग माना दूसरे ने नहीं माना।

3. इसके द्वारा संसद की संवैधानिक शक्तियों को सीमित किया गया था क्योंकि अनु० 368 में संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।

Q. संविधान में संशोधन करने के संसद के मनमानी अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है समालोचनात्मक व्याख्या करें।

(i) संविधान संशोधन

(ii) संसद की मनमानी शक्ति — Arbitarary Power
- → आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन
- → उल्लंघन न करें।

(iii) आलोचनात्मक
- संसद की शक्ति सीमित
- → शक्ति पृथक्करण

(iv) न्यायपालिका

Q. संविधान में उल्लेखित संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख करें। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति पर एक अन्तर्निहित प्रतिबंध लगा हुआ है?

Q. आधारभूत ढाँचे के अभिप्राय को स्पष्ट करें। न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत शक्ति के पृथक्करण के विचारों के प्रतिकूल है आलोचनात्मक परीक्षण करें।

Q. कौलिहो वाद में क्या अभिनिर्धारित किया गया था। इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है।

न्यायपालिका।

संरचना :-

* उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता :-

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. किसी उच्च न्यायालय में लगातार पांच वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय में। (Bench)
3. किसी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो। (Bar)
4. राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधि वेत्ता (प्रोफेसर)

ATUL PHOTOSTAT

- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शासन की संरचनाएं भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के नियुक्ति देते समय सभी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होना चाहिए तथा अल्पसंख्यक, महिला समुदाय से न्यायधीश नियुक्त होना चाहिए जिससे सर्व समावेशी न्याय ~~संभव हो सके।~~

- वर्तमान में मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत (Memorandum of procedure) सरकार और न्यायपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर मतभेद विद्यमान है। क्योंकि सरकार का मानना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक निश्चित प्रतिशत (3%) वकीलों (Bar) की नियुक्ति होनी चाहिए। न्यायपालिका इससे सहमत नहीं है।

- सरकार के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुशलता को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए जबकि न्यायपालिका का मानना है कि कुशलता के नाम पर न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन किया जा सकता है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हतोत्साहित होगी।

- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है और
~~मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसिजर के अन्तर्गत सरकार का तर्क है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को~~

पारदर्शी बनाने के लिए अवकाश प्राप्त न्यायधीशों की समीति का गठन किया जायेगा और इस समिति के द्वारा न्यायधीशों के नाम का चयन किया जायेगा।

- वर्तमान में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा विवाद सरकार के उस दृष्टिकोण के कारण है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि सरकार किसी भी न्यायधीश की नियुक्ति को स राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मना कर सकती है।

- वर्तमान में मुख्य न्यायधीश जस्टीस केहर तथा सरकार के बीच मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसिजर को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और विवाद समाप्त होने की ओर है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और कुशलता को महत्व दिया जाय परन्तु न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी प्रयास का विरोध होना चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायधीश बनने की योग्यताएँ :-

1. भारत का नागरिक
2. उच्च न्यायलय या दो से अधिक उच्च न्यायलय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। (Bar) अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी न्यायिक पद पर [redacted] 10 वर्षों तक कार्य कर चुका हो। (जनपद न्यायधीश)

Additional Judge
↓
अतिरिक्त न्यायधीश
⇓
2 वर्षों के लिए न्यायधीश

* नियुक्ति की प्रक्रिया :-

संविधान में नियुक्ति की प्रक्रिया :-

1. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (100 संविधान संशोधन) का प्रावधान किया गया है। (Art 124)

संरचना
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- संघ सरकार का विधि मंत्री।
- दो विशिष्ट व्यक्ति।

↓

Committee बनेगी
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा में विपक्ष (दूसरे बड़े दल का) का नेता।

⇓

3 वर्ष

NJAC के कार्य :-

1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण।

अनुच्छेद 124 (B)

न्यायाधीशों की नियुक्ति का व्यवहारिक तरिका :-

1. वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों ~~के द्वारा ही हो रही है।~~

2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का निर्माण उच्चतम न्यायालय ने 1993 में किया जिसे 1998 में समग्र रूप में विस्तारित किया गया।

3. न्यायपालिका ने सरकार द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव के प्रयास को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके पक्ष में निम्न-लिखित तर्क दिए :-

A) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं था।

B) इसमें (NJAC) विधि मंत्री के शामिल करने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई क्योंकि विधि मंत्री सामान्यतः वकील होता है और वकीलों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकती।

~~C) NJAC में दो विशिष्ट व्यक्तियों को~~

परिभाषित नहीं किया और न्यायपालिका

के अनुसार सरकार नियुक्ति के नाम पर स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है इसलिए NJAC को अवैध घोषित कर दिया गया।

कॉलेजियम की नियुक्ति की समस्या :-

1. न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति पृथक्करण के मूल प्रावधान का विरोधी है क्योंकि नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है।
2. कॉलेजियम की प्रक्रिया बेहद अपारदर्शी है जिसमें न्यायाधीश किसी व्यक्ति के चयन के पक्ष में कोई लिखित राय नहीं देते और जिस व्यक्ति को पद पर नियुक्त नहीं किया गया उसके विरुद्ध भी कोई वक्तव्य नहीं दिया जाता है।
3. भारत के 24 उच्च न्यायालय एवं एक उच्चतम न्यायालय के हजारों न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायित्व केवल 5 न्यायाधीश सम्पादित नहीं कर सकते हैं इसके लिए पृथक्

सचिवालीय एवं प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है।

4. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय क्षेत्रीय विविधता और सामाजिक बहुलता का बेहतर प्रतिनिधित्व न्यायपालिका नजर अंदाज कर देती है।

निष्कर्ष :-

ATUL PHOTO STAT
9540526350 9540867939

कोलेजियम प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए एवं इसे पारदर्शी बनाने के लिए न्यायपालिका और सरकार के बीच मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसिजर को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संरक्षित रहे।

न्यायाधीशों पद से हटाने की पद्धति :-

पदमुक्ति (Removal)

संविधान में

1. आधार
   - → असमर्थता (Incapacity) (शारीरिक)
   - → कदाचार (Misbehaviour)

2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव
   - → सदन की कुल संख्या का बहुमत
   - → उपस्थित एवं मत देने वाला का 2/3 बहुमत

ATUL PHOTOSTAT

- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक कार्य नहीं करते और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि संसद द्वारा पारित विशेष ~~बहुमत~~ प्रस्ताव के बाद ही उसे पद से हटाया जायेगा।

* संसदीय अधिनियम (न्यायाधीश जाँच अधिनियम), 1968 :-

1. किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के लिए लोकसभा के 100 सांसद और राज्य सभा के 50 सांसद राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए स्पीकर या सभापति को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

2. स्पीकर अथवा सभापति द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वे एक जाँच समिति का गठन करें जो जिसमें

   A) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश।

   B) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

   C) एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ।

3. यदि यह समिति न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप असत्य पाती है तो प्रस्ताव तत्काल समाप्त हो जायेगा और यदि आरोप सत्य है तो दोनों सदनों में अलग अलग चर्चा होगी और विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया ~~जायेगा और संबंधित न्यायाधीश को सदन~~ के समक्ष अपने बचाव का अवसर भी दिया जायेगा।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक कठीन है और संसद के कार्य बढ़ते जारहे हैं जबकि न्यायाधीशों के ऊपर लगने वाले आरोप में भी वृद्धि हो रही है इसलिए न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था काभी प्रावधान होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायपालिका में अनुशासन बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रक्रिया बनाया गया परन्तु यह सफल नहीं हो पा रही है।

मानहानि का मुद्दा (Contempt of Court)
(न्यायालय की अवमानना)

संविधान में न्यायालय की अवमानना को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु न्यायालय की अवमानना के नाम पर व्यक्ति की ~~स्वतंत्र~~ अभिव्यक्ति की

* स्वतंत्रता को सीमित किया गया है।
* न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह भी उल्लेखित है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधान सभा में कोई टिप्पणी नहीं हो सकती।

अवमानना के संबंध में संसदीय विधि (1971):-

— संसदीय विधि में न्यायालय की अवमानना को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। —

A) न्यायालय के कार्य को बाधित करना।

B) किसी न्यायाधीश के निजी आचरण पर दुर्भाव पूर्ण टिप्पणी करना

C) ऐसा कार्य जो न्यायपालिका के गरिमा और स्वतंत्रता को कम करे क्योंकि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय के निर्णय को लागू न करना या जान बुझ कर निर्णय की बात [illegible]

ATUL PHOTOSTAT 9[illegible] 9540467[illegible]

- स्वतंत्रता को सीमित किया गया है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह भी उल्लेखित है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधान सभा में कोई टिप्पणी नहीं हो सकती।

अपमानना के संबंध में संसदीय विधि (1971):-

— संसदीय विधि में न्यायालय की अवमानना को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। —

A) न्यायालय के कार्य को बाधित करना।

B) किसी न्यायाधीश के निजी आचरण पर दुर्भाव पूर्ण टिप्पणी करना

C) ऐसा कार्य जो न्यायपालिका के गरिमा और स्वतंत्रता को कम करे क्योंकि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय के निर्णय को लागू न करना या जानबूझ कर निर्णय की शर्त तोड़ना करना।

आलोचना :-

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि का मुद्दा :-

1. आलोचकों का कहना है कि न्यायालय की अवमानना का विचार लोकतांत्रिक शासन एवँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूलभूत मान्यताओं के प्रतिकूल है। न्यायालय भी सरकार के तीन अंगों में एक है इसलिए न्यायालय की आलोचना का अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। अवमानना के वर्तमान कर्नन मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि जस्टिस कर्नन से संबंधित किसी भी समाचार को प्रेस को छापने और प्रसारित करने प्रतिबंधित कर दिया जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक गहरा झटका है।

2. न्यायपालिका सरकार का विशेष और महत्वपूर्ण अंग और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय से सभी का सहमत होना आवश्यक नहीं है अतः निर्णय की आलोचना की जा सकती है।

3. अवमानना की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका के निर्णय को प्रभावी रूप में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है और न्यायालय की

स्वतंत्रता भी संरक्षित होती है।

अवमानना एवं न्यायपालिका / न्यायाधीशों के विरुद्ध अवमानना :-

1. न्यायालय को अवमानना की शक्ति आम नागरिकों के विरुद्ध प्रदान की गई है और अवमानना के उल्लंघन के आरोप में न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को दण्डित भी कर सकती है परन्तु भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार यह देखा गया कि जब उच्च न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश को अवमानना के आरोप में दण्डित कर दिया।

अवमानना की शक्ति को पुनर्परिभाषित करने की माँग :-

1. अवमानना की शक्ति को वर्तमान परिदृश्य में संशोधित करने की आवश्यकता है इसलिए यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करता है अथवा ~~न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित~~ करने से सीधे इंकार कर देता है तो उसके

विरुद्ध अवमानना का मामला बनता है परन्तु न्यायाधीशों की आलोचना को अवमाननों के दायरे से बाहर रखने की आवश्यकता है।

2. अवमानना की शक्ति के आधार पर न्यायपालिका में विद्यमान भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता के विरुद्ध आवाज का दमन नहीं होना चाहिए।

न्यायपालिका के न्यायिक कार्य :-

1.

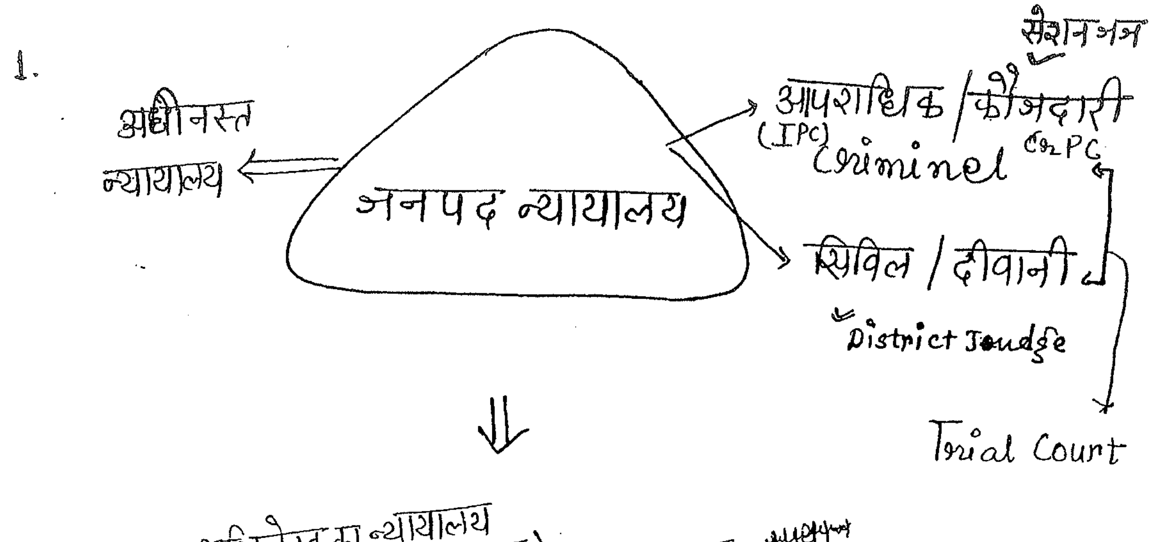

2.

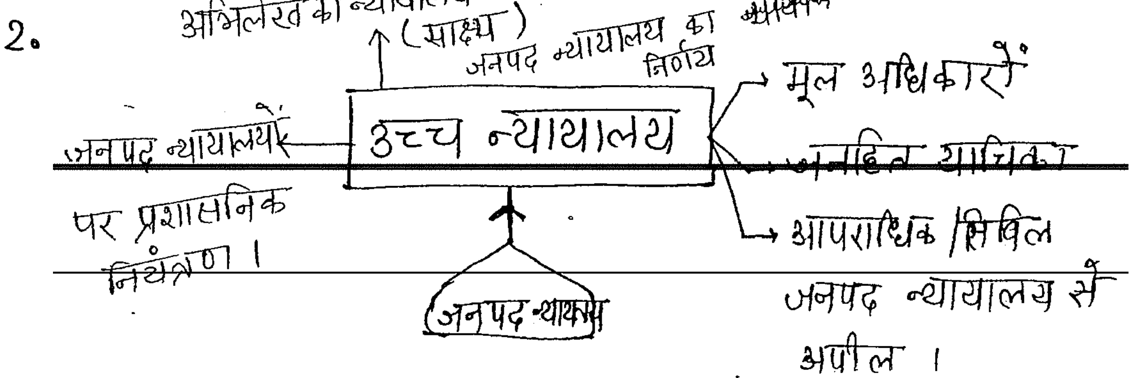

3.

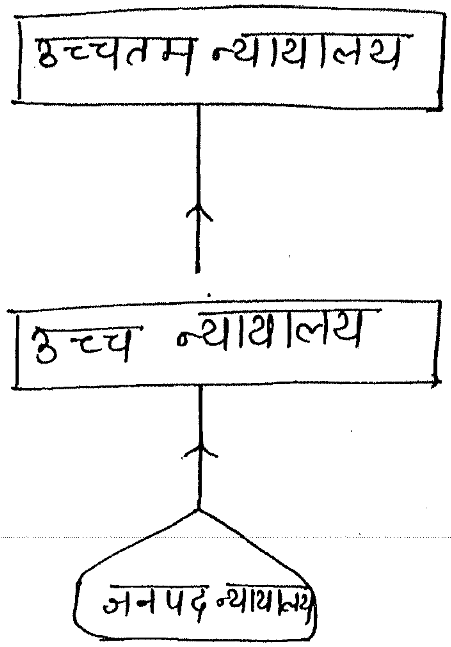

1. मूल अधिकारों का संरक्षक
2. संविधान का संरक्षण।
3. संघीय विवादों का समाधान
4. राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार (सलाहकारी शक्ति)
5. विशेष इजाजत से अपील (Special leave petition)
6. अभिलेख न्यायालय
7. दीवानी और आपराधिक मुद्दे पर अपील का सर्वोच्च न्यायालय
8. जनहित याचिका जारी करता है।

* उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ :-

1. मूल अधिकारों का संरक्षक के रूप :-

(1) अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत पाँच प्रकार की याचिका जारी करता है।

2. ये याचिका समूचे भारतीय भूभाग के लिए।

3. अनुच्छेद 32 का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के लिए।

उच्च न्यायालय :-

1. अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत पाँच प्रकार की याचिका जारी करेगा।

2. इसकी याचिका केवल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तक सीमित होगा।

3. उच्च न्यायालय पाँच याचिकाओं का प्रयोग मूल अधिकारों के रक्षा के अलावा अन्य विषयों के लिए कर सकता है।

* उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 1980 के दशक से जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया गया

* जनहित याचिका के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरणीय कर आरोपित होना चाहिए क्योंकि प्रदूषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

2. संघीय विवादों का समाधान :-

1. भारतीय संविधान लिखित है। संविधान के 7 वें अनुसूची के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है जिस संबंध में व उत्पन्न विवादों को हल करने का अधिकार एकमात्र उच्चतम न्यायालय का है। इसीलिए 1994 के प्रसिद्ध एस. आर. बोम्बई वाद में संघीय विवादों को हल करते हुए न्यायालय ने कहा कि संघीय शासन संविधान का आधारभूत लक्षण।

ATUL PHOTOSTAT

2. जी.एस.टी. के मुद्दे पर संघ राज्य का विवाद संघीय विवाद है लेकिन यह वित्तीय मामला ~~है इसलिए उच्चतम न्यायालय को क्षेत्राधिकार से बाहर है~~

GurusNotes.com

राज्यों के बीच जल विवाद और वित्त आयोग द्वारा करों का विभाजन भी उच्चतम न्यायालय के संघीय क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी शक्ति :-

1. उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। और यदि निर्णयों की अवहेलना की गई तो अवमानना की शक्ति का प्रयोग करके व्यक्तियों को दण्डित किया जा सकता परन्तु अनु० 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर अथवा संविधान लागू होने से पहले किए गए संधि एवं समझौते के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है जिसका अभिप्राय है कि सरकार के लिए परामर्श मानना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रपति :
- 1. सार्वजनिक महत्व
  - 2G आवंटन
  - अयोध्या
  - 2002
    - निर्वाचन
    - मुख्य [illegible]
- 2. संविधान लागू से पूर्व के संधि/समझौता

2. सैद्धांतिक रूप में उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। परन्तु व्यवहारिक रूप में न्यायालय की सलाह को सरकार स्वीकार कर लेती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्मित कोलेजियम व्यवस्था (1998) उच्चतम न्यायालय की सलाह पर आधारित है जिससे वर्तमान में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है।

3. सलाहकारी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक मुद्दे पर या संवैधानिक विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से पूर्व सलाह लेकर बाद में निर्मित होने वाले विधियों में उसका समावेश किया जा सकता है जिससे न्यायालय द्वारा उस कार्य को असंवैधानिक घोषित करने की संभावना कम हो जाती है।

सलाहकारी अधिकारिता के अन्तर्गत दिए जाए निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है परन्तु उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए

बाध्यकारी बन जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। जिसके निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं।

अपीलीय शक्ति :- (Appellate power)

1. सिविल मामले :-

1. उच्च न्यायालय का प्रमाण की आवश्यकता।
2. किसी विषय में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है। (Substantial Question)
3. किसी वाद में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अन्तर्निहित हो।

2. आपराधिक मामला :

1. बिना प्रमाण पत्र के अपील (उच्च) :-

(A) यदि जनपद न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को ~~मृत्युदण्ड या आज~~ निर्दोष घोषित किया गया और अपील में उच्च न्यायालय ने ~~उसे मृत्युदण्ड या आजीवन का कारावास~~ दे दे।

B) उच्च न्यायालय कोई मामला जनपद न्यायालय से अपने पास सुनवाई के लिए मंगा ले और व्यक्ति को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा दे दी।

2. प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

A) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है।

3. विशेष इजाजत से अपील (Art 136) (SLP) :-

यदि किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त होने के सभी विकल्प बंद हो गए हो तो उच्चतम न्यायालय अपने विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के द्वारा भारतीय क्षेत्र के किसी भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति दे सकता है परन्तु एक अपवाद है सैनिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत की अपील नहीं दी जा सकती है।

अपीलीय शक्तियों का आलोचना :-

1. उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। और न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय से सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अपील के चार सर्किट कोर्ट स्थापित होने चाहिए जो अपील के सर्वोच्च न्यायालय होंगे और उच्चतम न्यायालय का मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या मूल अधिकारों की रक्षा संघीय विवादों की समाधान होना चाहिए जिससे उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्यमान लंबित मामला भी कम होंगे।

आलोचकों के अनुसार वर्तमान में विशेष इजाजत की अपील की शक्ति का दायरा अत्यधिक बढ़ा दिया गया है जिसको सीमित करने की आवश्यकता है।

* उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 142

- उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों तथा आदेशों को लागू कराने के लिए एवं न्याय को पूर्ण बनाने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लेता है। हाल में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंश के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा रायबरेली जनपद न्यायालय में चलने वाले वाद को लखनऊ के लिए स्थानांतरित कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि राय बरेली में आडवाणी तथा उमा भारती पर बाबरी मस्जिद के विध्वंश के विरुद्ध षड्यंत्र करने का मामला चल रहा था जबकि उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ में इसे CBI अदालत को स्थानांतरित कर दिया।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्याय को पूर्ण कराने के लिए अथवा न्याय को परिणाम तक पहुँचाने के लिए न्यायालय अपने किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा और उच्चतम न्यायालय ने रायबरेली न्यायालय द्वारा किया गया विलंब पर भी आपत्ति व्यक्त की जबकि आलोचकों के अनुसार न्यायालय

का यह निर्णय व्यक्ति को प्राप्त होने वाले Fair trail के विचार के विरूद्ध है।

निष्कर्ष :-

उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक, संविधान का संरक्षक है इसलिए नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए तथा विधि के शासन एवं संविधान के शासन को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यधिक सकारात्मक एवं निर्णायक है।

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) :-

सरकार

1. विधायिका	2. कार्यपालिका	3. न्यायपालिका
विधि का निर्माण	(i) नीति का निर्माण।	(i) विधि का पुनरावलोकन
	(ii) विधियों का क्रियान्वयन	(ii) कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों की परीक्षण

- उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है संविधान सर्वोच्च विधि है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों से संविधान का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
- भारतीय संविधान में सरकार का कोई भी अंग ~~भी~~ सर्वोच्च नहीं है बल्कि संविधान की सर्वोच्चता का विचार अपनाया गया है और सरकार के प्रत्येक अंगों पर संविधान द्वारा निश्चित प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं जिसकी व्याख्या न्यायपालिका ही करती है।

- संसद द्वारा निर्मित विधियों और अध्यादेशों का पुनरावलोकन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।
- 1973 के केशवानन्द भारती वाद के बाद संविधान संशोधन को भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में शामिल कर लिया गया है।
- वर्तमान में संसदीय विशेषाधिकारों का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो रहा है।

ATUL PHOTOSTAT

न्यायिक विधायन (Judicial Legislation):-

1. वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का निरंतर विस्तार हो रहा है और न्यायालय के द्वारा विधि के पुनरावलोकन के बजाय विधायिका को विधि निर्माण के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिससे यह प्रतीत होता है न्यायपालिका तीसरे सदन के रूप में कार्य कर रही है और आलोचक इसे

न्यायिक सक्रियता का नाम दे रहे हैं।

Delegated Legislation (प्रदत्त विधायन) :-

- कार्यपालिका द्वारा विधि निर्माण (प्रत्यावर्तित विधायन)

न्यायपालिका की परिवर्तित कार्यपालिकीय भूमिका

- उच्चतम न्यायालय के कार्य ~~नि~~ नीति निर्माण के मामलों में भी बढ़ते चले आ रहे हैं जो विशुद्ध रूप में कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है।
- उच्चतम न्यायालय के द्वारा राजमार्गों के निकट शराब बिक्री पर प्रतिबंध, BCCI में सुधार के लिए समिति का गठन, काले धन के जाँच के लिए SIT का निर्माण कार्यपालिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप प्रतीत होता है। न्यायपालिका की इस भूमिका को आलोचक न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Overreach) मानते हैं।

न्यायिक सक्रियता की आलोचना :-

1. आलोचकों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सक्रिय भूमिका के कारण सरकार के तीनों अंगों के बीच टकराव बढ़ रहा है जिसका शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

2. न्यायपालिका की यह भूमिका संविधान में अन्तर्निहित शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों के भी विरुद्ध है क्योंकि न्याय पालिका को सरकार की निगरानी करनी चाहिए न कि सरकार चलाने का प्रयास करना चाहिए।

न्यायिक सक्रियता का भारतीय लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव :-

1. भारतीय लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई और विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका जनता के कल्याण के बजाय शक्ति और सत्ता के संचय तक सीमित हो गई और न्यायपालिका ने विभिन्न

जनहित याचिकाओं के माध्यम से व्यक्तियों के मूल अधिकार की रक्षा, चुनाव में सुधार शासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य किया।

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कार्यपालिका नीति निर्माण का अधिकार है परन्तु यह स्वेच्छाचारी या मनमानी नहीं होना चाहिए। इसलिए 2G के आवंटन को न्यायपालिका ने रद्द किया था। न्यायपालिका के अनुसार उसका मुख्य दायित्व संविधान की रक्षा और मूल अधिकार का संरक्षण है इसलिए न्यायपालिका सक्रिय नहीं है।

निष्कर्ष :-

न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रही है परन्तु एक लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीशों की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती न्यायपालिका की भूमिका सरकार को चेतावनी देने वाली होनी चाहिए न कि सरकार को संचालित करने वाली

इसलिए सामान्य शासन के तीनों अंगों के बीच समन्वय ही सुशासन का आधार है।

उच्च न्यायालय (High Court)

#• उच्च न्यायालय मूलतः अपील का न्यायालय है।

उच्च न्यायालय
⇑
अपील
⇑
जनपद न्यायालय
1. सिविल
2. अपराधिक

- संविधान में आपराधिक मामले में सीधे उच्च न्यायालय में नहीं आ सकता है।

- भारत के कुछ उच्च न्यायालयों में सिविल मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सम्पति का विवाद सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है आलोचक इस विसंगतियों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और इसके अनुसार

GurusNotes.com

किसी भी उच्च न्यायालय को सिविल मामले में आरंभिक अधिकारिता नहीं होना चाहिए।

लेटर्स पेटेन्ट की अपील

भोपाल
- (2) बड़ी Bench
- ⇑ अपील
- (1) छोटी Bench

- अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा पाँच प्रकार की याचिकाएँ जारी की जाती है। जिनका प्रयोग मूल अधिकां की रक्षा के अलावा अन्य मामलों के लिए भी हो सकता है उदाहरण चुनाव से संबंधित विवाद को सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

- उच्च न्यायालय की अधीक्षण /प्रशासनिक शक्ति :-

उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता लेकिन उच्च न्यायालय का जनपद

ATUL PHOTOSTAT

तथा अन्य न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसलिए राज्यपाल के द्वारा जनपद न्यायधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर करता है। उच्च न्यायालय के द्वारा जनपद न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है और उच्च न्यायालय की सलाह के आधार पर ही इनकी प्रोन्नति किया जाता है।

अधिकरण (Tribunals):-

अधिकरण की आवश्यकता

1. परम्परागत न्यायपालिका →
   - CrPC
   - साक्ष्य अधिनियम
   - IPC

   } प्रक्रिया ↑ कठिन

2. प्रशासनिक अधिकारी
3. करारोपण
4. पर्यावरण

- वर्तमान युग में नए विवादों के समाधान की विशेषज्ञता न्यायपालिका के पास नहीं है।
- पर्यावरण, करारोपण, प्रशासनिक श्रमिक विवाद के कारण न्यायपालिका पर कार्य का बोझ बढ़ता है इसलिए लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है।
- परम्परागत न्यायपालिका का कार्यप्रणाली न केवल जटिल है बल्कि न्याय महंगा और विलम्बकारी भी है।

ATUL PHOTOSTAT

अधिकरण का अभिप्राय :-

1. अधिकरण अर्द्ध न्यायिक संस्थाएँ है क्योंकि अधिकरणों में न्यायाधीशों तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों को शामिल किया जाता है।
2. अधिकरण विशिष्ट विवादों को हल करने के लिए विशेष रूप में स्थापित होते है जैसे पर्यावरणीय विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया।

3. अधिकरणों के द्वारा प्रक्रिया के बजाय परिणाम पर ज्यादा बल दिया जाता है इसलिए जटिल प्रक्रियाओं के पालन के बजाय प्राकृतिक न्याय की पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

अधिकरणों का संवैधानिक प्रावधान

1. भारतीय मूल संविधान में अधिकरणों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार अधिकरणों का प्रावधान किया गया और संविधान में अनुच्छेद 323(A) और अनुच्छेद 323(B) जोड़ा गया। अनु० 323A में प्रशासन अधिकरणों का प्रावधान किया गया जबकि अनु० 323(B) में अन्य अधिकरणों का उल्लेख किया गया जैसे (i) औद्योगिक विवाद

(ii) श्रमिक विवाद

(iii) करारोपण विवाद

(iv) आयात निर्यात

(v) चुनाव विवाद

2. अधिकरणों का गठन व्यवहारिक रूप में 1985 में

किया गया और वर्तमान में भारत में अनेक प्रकार के अधिकरण कार्य कर रहे हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय प्रणाली के अधिकरण की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का गठन 2010 में किया गया।

1. CAT (प्रशासनिक अधिकरण :)

- केन्द्रीय सेवक तथा अखिल भारतीय सेवकों के सेवा संबंधी विवादों (भर्ती, प्रोन्नति, स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्यवाही) के निवारण हेतु।

- प्रशासनिक अधिकरणों में सेवकों (सिविल) के विवादों को हल करने के लिए अधिकरण ने न्यायाधीश तथा वरिष्ठ आई ए एस अधिकारी को शामिल किया जाता है।

- अधिकरण की नई दिल्ली के अलावा अनेक राज्यों में
~~बेंच का गठन किया गया है इसलिए~~
~~अधिकरण के अध्ययन के अलावा~~ 16

उपाध्यक्ष तथा 49 सदस्य होते हैं।
अधिकरण की स्वायत्तता बनाए रखने
के यह प्रावधान किया गया है कि
अधिकरण का अध्यक्ष सदैव न्यायाधीश
होगा जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश
बनने की योग्यता रखता हो।

अधिकरण में यह भी प्रावधान किया
गया था कि कैट के निर्णय से अपील
केवल उच्चतम न्यायालय में होगी जिसे
उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक
घोषित कर दिया है और न्यायालय
के अनुसार कैट के स्थापना के द्वारा
उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित
करने का प्रयास किया गया जो न्यायपालिका
की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

प्रशासनिक अधिकरणों की आलोचना

1. आलोचकों के अनुसार अधिकरणों की
स्थापना संविधान में अन्तर्निहित शक्ति
पृथक्करण के प्रावधानों के विरुद्ध है।

2. प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता के विचार के प्रतिकूल है क्योंकि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित मंत्रालय के द्वारा होती है और वित्तीय रूप में अधिकरण मंत्रालय पर ही निर्भर होते हैं।

3. आलोचकों के अनुसार वर्तमान में अनेक अधिकरणों के निर्माण के द्वारा परम्परागत न्यायपालिका के कार्यों को विशेषज्ञ अधिकरणों को सौंपा जा रहा है इसलिए प्रशासन पर भी न्यायपालिका का नियंत्रण कमजोर हो रहा है।

NGT (National Green Tribunal) :-

समस्या

1. 1990 के बाद उच्चतम न्यायालय के पास पर्यावरण के संबंध में अनेक मामले आए।
2. विकास योजनाओं का लंबित होना।
3. न्यायाधीश न्याय लेने में विलम्ब।

~~न्यायाधीश पर्यावरण संबंधी मामलों पर विचार करने में असमर्थ।~~

क्षेत्राधिकार

1. पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले क्षति/हानि के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अधिकरण में प्रवेश कर सकता है तथा अधिकरण के द्वारा नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया जा सकता है। आरंभ में वही व्यक्ति NGT में आ सकता था जिसकी पर्यावरणीय आपदा के कारण सीधा प्रभावित हो।

ATUL PHOTOSTAT

2. वर्तमान में कोई भी पर्यावरणीय क्षति से संबंधित मामले को NGT में ले जा सकता है भले ही वह क्षति से प्रभावित न हो अतः अन्य के भलाई के लिए भी NGT में प्रवेश संभव है।

3. सरकार के द्वारा निर्मित विभिन्न परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय क्षति के विरुद्ध भी NGT न्याय प्रदान करती है।

4. दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित

करने के लिए NGT के द्वारा यह आदेश दिया गया कि दिल्ली की सड़कों पर 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन का संचालन प्रतिबंधित होगा

5. यह उल्लेखनीय है कि NGT द्वारा 6 महीने के भीतर विवाद को हल किया जायेगा परन्तु NGT के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में होगी।

6. वाहनों पर प्रतिबंध के मामले पर NGT के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और उच्चतम न्यायलय ने NGT के निर्णय को कायम (बरकरार) रखा।

NGT की संरचना :-

1. अधिकरण होने के कारण NGT में न्यायाधीश और पर्यावरणीय विशेषज्ञ दोनों शामिल होते हैं।

2. अधिकरण की मुख्य बेंच नई दिल्ली में स्थापित है जबकि अन्य क्षेत्रीय बेंच में भोपाल, पूणे, कोलकत्ता और चेन्नई है।

3. यह अधिकरण। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

आलोचना :-

1. आलोचकों के अनुसार NGT बनाने पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुद्दे उपेक्षित हो गए क्योंकि NGT को अवमानना के विरुद्ध दण्ड देने की शक्ति प्राप्त नहीं होती।

2. NGT प्रशासनिक और वित्तीय रूप में भी अत्यधिक कमजोर है क्योंकि न्यायाधीशों एवं सदस्यों के लिए सुनवाई के भवन नहीं है और न आवास की व्यवस्था नहीं है।

ATUL PHOTOSTAT

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र

(Alternative dispute settlement system)

National Legal Services Authority Act (NALSA) :- 1987

• निशुल्क वैधानिक सहायता :-

~~- निदेशक तत्वों के भाग में यह उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क एवं वैधानिक~~

GurusNotes.com

सहायता उपलब्ध कराथी जायेगी जिसका प्रावधान संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया।

- समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों महिलाओं अनुसूचित जाति/जनजातियों को निःशुल्क वैधानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उच्चतम न्यायलय में वैधानिक सेवा समिति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसका प्रधा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है।
  प्रत्येक राज्य ~~राज्य~~ उच्च न्यायालय में तथा जनपद स्तर पर ऐसी समितियों का गठन किया गया है।
- आलोचकों के अनुसार व्यक्तियों को निःशुल्क वैधानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जेल में बंद सभी लोगों के डीजिटल आंकड़े होने चाहिए। स्वतंत्र भारत में आजतक वकीलों की फीस को नियंत्रित करने के कोई कानून नहीं बन सका। इसलिए निःशुल्क वैधानिक सहायता का यह कदम प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

लोक अदालत :-

1. परम्परागत न्याय प्रणाली में विद्यमान औपचारिक प्रक्रिया और जटिलता को कम करने के लिए तथा न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए लोक अदालतों का विचार लाया गया।

⇓

उच्चतम न्यायालय

↑

उच्च न्यायालय

↑

जनपद न्यायालय

1. न्यायाधीश।
2. प्रक्रीया और वकिल की आवश्यकता।
3. अपील का प्रावधान

⇓

लोक अदालत

1. न्यायाधीश + सामाजिक कार्यकर्ता
2. व्यक्ति स्वयं मामले की सुनवाई कर सकता।
3. अपील का प्रावधान नहीं।
4. निर्णय अंतिम

2. लोक अदालतों की स्थापना समय-समय पर उच्चतम न्यायालय करता है और न्यायालिकाओं ~~में लंबित मामले आपसी सहमति से~~ लोक अदालत के समक्ष लाये जा सकते हैं।

3. लोक अदालतों के समक्ष सिविल मामले ही लाये जाते हैं जिनमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य होती है और यहाँ भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2002 से लोकअदालतों को स्थायी बना दिया गया।

Fast Track Court (फास्ट ट्रैक कोर्ट)

1. भारत में आपराधिक मामलों में लंबित मुद्दे न्यायिक व्यवस्था को धाराशाही कर दे रहे है तथा इससे मानव अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है और आपराधिक मामलों के त्वरित फैसले के लिए Fast track court का प्रावधान किया गया।

2. इसका गठन जनपद स्तर पर होता है इसलिए Fast track court की प्रकृति सत्र न्यायालयों की भांति होती है परन्तु न्यायाधीशों की संख्या में कमी, न्यायालय में विद्यमान ~~भवनों का अभाव तथा सरकार द्वारा आवंटित वित्त के अभाव के कारण Fast~~

Track Court का विचार भी प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र

(Arbitration and Reconciation)
(मध्यस्ता और सुलह)

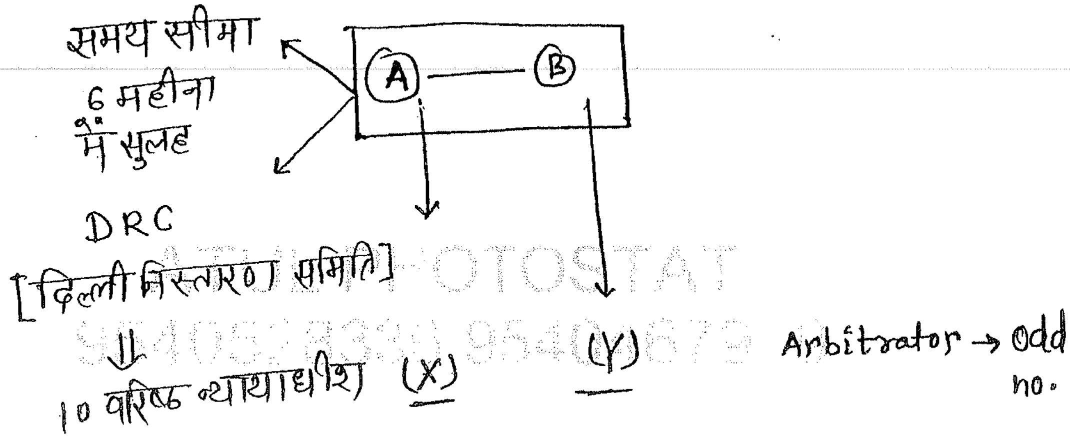

1. भारतीय संसद के द्वारा वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए 1996 में मध्यस्ता एवं सुलह अधिनियम का निर्माण किया गया जिसके द्वारा व्यापारिक एवं अन्य गैर अपराधिक विवादों को मध्यस्तों की नियुक्ति के द्वारा हल किया जा सकता है। अंतराष्ट्रीय व्यापारिक विवाद ~~के लिए भी इसका~~ प्रयोग किया जा सकता है।

2. 1996 में इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा इसे और आसान बनाने का प्रयास किया गया और इसके अंतर्गत विवाद 6 महीनों में हल कर लिया जायेगा। और मध्यस्तों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के बजाय न्यायाधीश का भी होगा।

2. नए संशोधन के द्वारा इलेक्ट्रोनिक रूप में लिखित समझौतों को भी वैधता प्राप्त की गई है।

ATUL PHOTOSTAT

3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक विवादों के लिए मध्यस्त की नियुक्ति का अधिकार उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है।

Reconciation :

1. भारत में वैकल्पिक न्याय प्रणाली के संबंध में अभी जागरूकता का अभाव लोगों में है। तथा वकील इसे जान बुझकर प्रोत्साहित नहीं करते तथा सुलह और मध्यस्ता ~~के द्वारा दिए गए निर्णय से अपील~~ का भी प्रावधान किया गया।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विचार :-

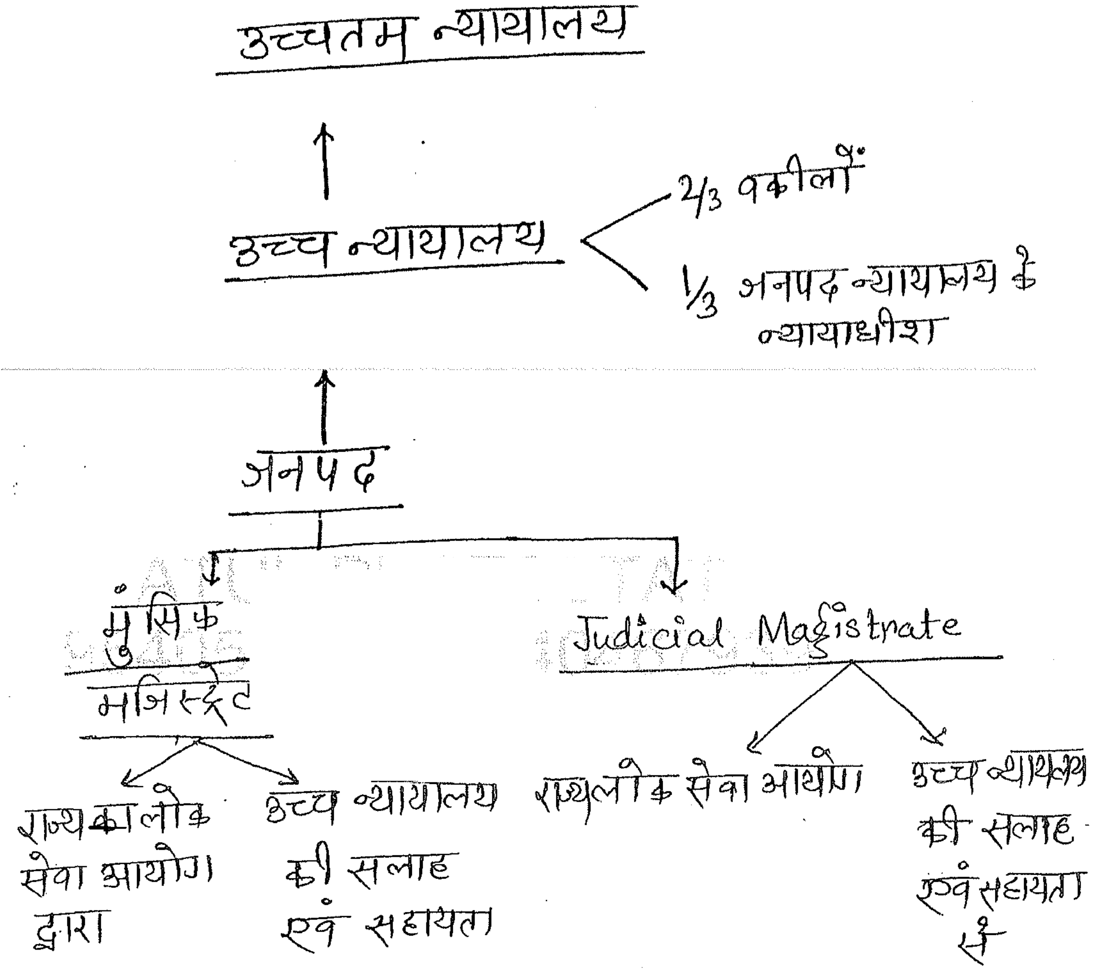

1. संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान उल्लेखित है (Art 312)। और इसके निर्माण के लिए संसद को अधिकार प्रदान किया गया है बशर्ते इस संबंध में राज्य सभा उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से होने वाले लाभ:-

1. भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनपद न्यायालय अत्यधिक उपेक्षित है जहाँ न कोई प्रभावशाली वकील कार्य करना चाहता है और न ही कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है क्योंकि जनपद न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के अवसर कम है और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से जनपद न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होगा।

2. वर्तमान में तीन करोड़ मामले न्यायपालिका के समक्ष लंबित है जिनमें ढाई करोड़ मामले केवल जनपद न्यायलयों में लंबित है और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से मामलों के तीव्र निस्तारण में सहायता मिलेगी।

3. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से न्यायिक एकीकरण के अलावा राष्ट्रीय एकीकरण।

में सहायता मिलेगी क्योंकि इनकी भर्ती संघलोक सेवा आयोग द्वारा होगी तथा प्रशिक्षण एक साथ होगा।

बाधाएँ

1. संविधान में उच्च न्यायालय को जनपद न्यायालयों एवं अधीनस्त न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि जनपद न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की भर्ती में उच्च न्यायालय की प्रमुख भूमिका होती है। जबकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के बाद उच्च न्यायालय की भूमिका सीमित होगी।

2. भारत के वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में जनपद न्यायालय एवं अधीनस्त न्यायालय राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए भारतीय अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं से राज्यों ~~की शक्तियाँ प्रभावित होगी जो संविधान~~ के संघीय ढाँचे के प्रतिकूल है।

भारत जैसे विशाल देश में अत्यधिक भाषायी विविधता विद्यमान है और अधीनस्त न्यायालय सख्यों के अन्तर्गत होने के कारण अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग न्यायालय में करते हैं। जो अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से प्रभावित होंगे।

निष्कर्ष :-

अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण न्यायिक सुधार एवं सुशासन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

न्यायिक विलंब :-

I. कारण :-

जनपद न्यायालय में

भारत में न्यायपालिका की कार्य प्रणाली अभी भी जटिल और औपचारिक है।

जबकि उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों के द्वारा अलग अलग निर्णय देने की परम्परा तथा भारी भरकम निर्णय न्यायिक विलम्ब को बढ़ाते है।

2. अधीनस्त न्यायालयों में बार-बार होने वाले हड़ताल।

3. वादी-प्रतिवादी न्याय की प्रणाली से न्यायिक विलम्ब बढ़ता है।

4. भारत में देश के विभिन्न भागों में चल रहे मुकदमों में दिल्ली मुम्बई जैसे मेट्रो में स्थानांतरित करने की मांग से भी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

5. भारत में मुट्ठी भर वकील समूचे देश में न्यायालयों के समक्ष पेश होते है और एक साथ अनेक मामले चलने के कारण वे प्रत्येक न्यायालय में वे उपस्थित नहीं हो पाते है इसलिए जान बुझकर स्थगन लेलेते है और न्यायिक विलम्ब बढ़ता है।

ATUL PHOTOSTAT
9540551295 9540467939

न्यायिक विलम्ब से होने वाली समस्या :-

1. एक प्रसिद्ध कहावत है - विलम्बित न्याय अन्याय के समान है। और आपराधिक मामलों में न्याय से होने वाले विलम्ब से समाज का समूचा तना-बाना क्षतिग्रस्त हो रहा है।

2. न्याय में होने वाले विलम्ब के कारण होने वाले आर्थिक विकास, ~~अथवा~~ निवेश तथा सरकार की परियोजनाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

3. न्यायिक विलम्ब विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है और विधायिका और कार्यपालिका की निर्णय शक्ति को भी प्रतिबंधित कर देता है।

समाधान :-

1. न्यायालयों में स्थगन के विचार को सीमित कर दिया जाए।
लोक अदालत तथा वैकल्पिक न्यायप्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता।

GurusNotes.com

3. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना ।

4. वकीलों की हड़ताल को प्रतिबंधित करना ।

5. उच्चतम न्यायालय द्वारा सामूहिक निर्णय की परम्परा को बढ़ावा देना

समाधान में समस्या :-

1. भारत में संघीय शासन प्रणाली है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संघ सरकार के अधीन है जबकि जनपद न्यायालय राज्यों के अधीन कार्य करते है और संघ राज्य सहयोग के बिना न्यायिक सुधार संभव नहीं है।

2. वकीलों और न्यायपालिका की प्रतिबद्धता ~~के बिना न्यायिक सुधार पूर्ण नहीं हो~~ सकता। इससे भी बढ़कर एक

जागरूक नागरिक समाज द्वारा राज्यों सरकार पर दबाव बनाकर न्यायिक सुधार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

ग्राम न्यायालय

- मोबाईल न्यायालय
- सिविल मामलों/ग्रामीण स्तर
- न्यायधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश
- विचार 2008 में आया।

Q. आधारित संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए की कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे एक उच्चतर अग्रलक्षी भूमिका निभायी है। इन कथन के प्रकाश में लोकतंत्र की आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियतवाद द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

1. आधारभूत ढ़ाँचे
2. अग्रलक्षी भूमिका
   - (i) जनहितयाचिका को आगे बढ़ाया
   - ~~(2) भ्रष्टाचार के खिलाफ~~
   - (3) चुनाव सुधार
   - (4) पारदर्शिता
3. न्यायिक सक्रियता
   - सकारात्मक
   - नकारात्मक
     - (i) शासन संचालन में ~~हस्तक्षेप~~
     - (ii)
     - सरकार के तीनों अंगों के बीच

Q. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्ता एवं सुलह अधिनियम 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए हैं यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा चर्चा करें।

Q. भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Q. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि न्यायपालिका का कार्य एक विवाद निवारण तंत्र बढ़कर सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले उपकरण के रूप में हो चुका है।

Q. अर्द्ध-न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है ठोस उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

Q. वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का अभिप्राय स्पष्ट करें इसका प्रमुख उद्देश्य विवाद को शीघ्रता हल करना है अथवा न्याय को आम लोगों तक पहुँच सुलभ कराना है टिप्पणी करें।

Q. वर्तमान समय में न्यायालय का स्थान अधिकरण लेते जा रहे हैं परिणाम स्वरूप न्यायिक स्वतंत्रता और नियंत्रण के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है उदाहरण सहित विवेचन करें।